ISSN-0971-8397

योजना

सितम्बर 2014 विकास को समर्पित मासिक ₹ 10

शहरी नियोजन

भारत में शहरी नीति और कार्यक्रम: अतीत और भविष्य
आर. बी. भगत

झुग्गीमुक्त भारत का एक दृष्टिकोण
अमिताभ कुंडु

भारतीय शहरों में ग्रामीण समावेश
नरेन्द्र पणि

स्मार्ट शहरों के लिए योजना: कहां से हो शुरुआत
एस. चन्द्रशेखर एवं निहारिका वेंकटेश

विशेष आलेख
गंगा में प्राकृतिक जल प्रवाह की अनिवार्यता
एच.एस. सेन एवं दीपांकर घोराय

मुक्त विद्यालय-छुए मन, बदले जीवन

विद्याधनम् सर्वधनं प्रधानम्

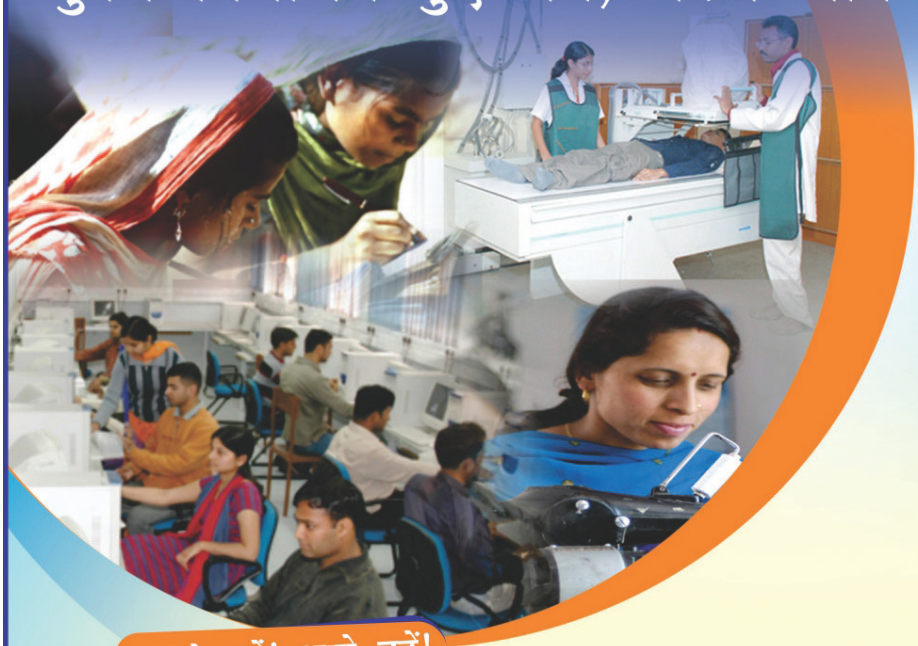

आओ पढ़ें! आगे बढ़ें!

अपनी शिक्षा आगे बढ़ायें...
मुक्त विद्यालय को अपनायें

पाठ्यक्रम	प्रवेश शुल्क (बिना विलम्ब)			प्रवेश के लिए तिथियां
	पुरुष	महिलाएं	छूट प्राप्त वर्ग	
• मुक्त बेसिक शिक्षा कक्षा–III, V एवं VIII	–	–	–	30 जून (प्रत्येक वर्ष)
• सेकेन्डरी (कक्षा - X)				ब्लाक-1 : 16 मार्च–31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क)
(i) पाँच विषयों के लिए	₹ 1350	₹ 1100	₹ 900	1 अगस्त–15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ)
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	₹ 200	₹ 200	₹ 200	ब्लाक-2 : 16 सितम्बर–31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क)
				1 फरवरी–15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
• सीनियर सेकेन्डरी (कक्षा - XII)				ब्लाक-1 : 16 मार्च–31 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क)
(i) पाँच विषयों के लिए	₹ 1500	₹ 1250	₹ 975	1 अगस्त–15 सितम्बर (विलम्ब शुल्क के साथ)
(ii) प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए	₹ 230	₹ 230	₹ 230	ब्लाक-2 : 16 सितम्बर–31 जनवरी (बिना विलम्ब शुल्क)
				1 फरवरी–15 मार्च (विलम्ब शुल्क के साथ)
• व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (6 माह से 2 वर्ष)	पाठ्यक्रमों एवं अवधि के आधार पर			सत्र - 1 : 30 जून (प्रत्येक वर्ष) सत्र - 2 : 31 दिसम्बर (प्रत्येक वर्ष)

प्रवेश के लिए अपने निकटतम अध्ययन केंद्र अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।
विलम्ब शुल्क, अध्ययन केंद्रो, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.nios.ac.in देखें।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान)

ए–24/25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

टॉल फ्री नं. **1800-180-9393**; ईमेल : **lsc@nios.ac.in** वेबसाइट : **www.nios.ac.in**

विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली

YH - 150/2014

योजना

वर्ष 58 ● अंक 9 ● सितंबर 2014 ● भाद्रपद-आश्विन, शक संवत 1936 ● कुल पृष्ठ 60

प्रधान संपादक
राजेश कुमार झा

संपादक
जय सिंह
ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय
538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष: 23717910, 23096738
टेलीफैक्स: 23359578
ईमेल: yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट: www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
http://www.facebook.com/योजनाहिंदी

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
वी. के. मीणा
व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष: 26100207
फैक्स: 26175516
ईमेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: **जी. पी. धोपे**

इस अंक में

- संपादकीय – 3
- भारत में शहरी नीति और कार्यक्रम: अतीत और भविष्य — आर बी भगत — 7
- शहर, समाज और लोकतंत्र: क्यूरीटीबा का अनुभव — राजेन्द्र रवि — 11
- झुग्गीमुक्त भारत का एक दृष्टिकोण — अमिताभ कुंडु — 15
- भारतीय शहरों में ग्रामीण समावेश — नरेन्द्र पणि — 19
- **विशेष आलेख**
  गंगा में प्राकृतिक जल प्रवाह की अनिवार्यता — एच.एस. सेन, दीपांकर घोराय — 23
- स्मार्ट शहरों के लिए योजना: कहां से हो शुरुआत — एस चंद्रशेखर, निहारिका वेंकटेश — 30
- ऊंची छतों पर हरी-भरी दुनिया — संजय श्रीवास्तव — 33
- नगर नियोजन तब भलो, जब न कचरा, हां पानी — अरुण तिवारी — 37
- उत्तर उदारवादी शहरी भारत में नगर नियोजन शिक्षा — रोली अरण्या, चेतन वैद्य — 41
- तीव्र शहरीकरण और भविष्य की तैयारी — गौरव कुमार — 45
- नगरीय शासन में सहभागी मॉडलों की जरूरत — पंकज कुमार झा — 49
- **क्या आप जानते हैं** – 52
- सूचना तकनीक से लैस होंगे स्मार्ट शहर — कविता पंत — 53
- **विकास पथ** – 56

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें। व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड IV, तल VII, आर. के. पुरम, नयी दिल्ली-66 दूरभाष: 26100207, 26105590

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं: सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष: 24367260, 5610), हाल सं, 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष: 23890205) *701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष: 27570686) *8, एसप्लानेड, ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030), *'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष: 24917673) *प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुअनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650) *ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383) *फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष: 25537244) *बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2683407) *हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष: 2225455) *अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669) के. के. बी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष: 2665090)

चंदे की दरें: वार्षिक: ₹ 100 द्विवार्षिक: ₹ 180, त्रैवार्षिक: ₹ 250, विदेशों में वार्षिक दरें: पड़ोसी देश: ₹ 530, यूरोपीय एवं अन्य देश: ₹ 730

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है। योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने है। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

आपकी राय

सरोकारों से दूर होता लोकतंत्र

योजना हिंदी मासिक जुलाई 2014 का अंक पढ़ा जो कि लोकतंत्र एवं चुनाव सुधार पर केंद्रित था। भारत की जनता आज लोकतंत्र से जुड़ाव महसूस नहीं करती क्योंकि शायद हमारा लोकतंत्र जनता के सरोकारों से दूर हो रहा है। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। किंतु यह बात भी सौ प्रतिशत सत्य है कि चुनाव जीतने के लिए नेता सम्प्रदायवाद जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद की आड़ लेते हैं। क्या यह विरोधाभास नहीं है, राजनीति का पतन नहीं है?

हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जबकि एशिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र का दीपक या तो जला नहीं और अगर जला तो जल्दी ही बुझ गया या बुझने के निकट है।

लोकतंत्र पर इस बहस के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रवादी आंदोलन के गांधीवादी दौर में महिलाएं बड़ी संख्या में घर की चारदीवारी से बाहर निकली थी और स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने अहम् एवं सक्रिय भूमिका निभाई थी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी अंतर्निहित क्षमता के बल पर आत्म विश्वास और साहस के साथ पुरुष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व का अहसास करवाने का सफल प्रयास कर रही हैं। यदि भारत में नवीनता लानी है तो उसे महिलाओं के संबंध में उचित व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करना होगा, क्योंकि कई स्थानों पर अलग-अलग स्वीकार्य विधियों के कारण महिलाओं के साथ उचित न्याय नहीं हो पाता है।

प्रकाशन विभाग की संपादक आर. अनुराधा जी के असामायिक निधन की जानकारी भी मिली। आर. अनुराधा जी अति सम्माननीय संपादकों में से एक है। मैं सभी योजना हिंदी पाठकों की तरफ से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आगरा में आजकल बालभारती मुश्किल से मिल पा रही है। इस पर ध्यान देंगे।

खुशाल सिंह कोली
फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश

चुनाव सुधार में आर्थिक सुधार

योजना के जुलाई 2014 अंक के अंतर्गत श्री उर्मिलेश लिखित लेख 'चुनाव सुधार पर खामोशी क्यों' पढ़ा। वास्तव में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग के बार-बार प्रयास के बाद भी तथा संस्तुतियों के बाद भी राजनीतिक दलों द्वारा 'सुधार' विशेषतः आर्थिक नियमन सम्बंधी सुधर की सहमति तो दे दी जाती है परंतु कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जाता यद्यपि चुनावों में उम्मीदवारों की खर्च सीमा तो तय की गयी है परंतु राजनीतिक दलों पर अज्ञात-ज्ञात स्रोतों से प्राप्त धनराशि पर कोई बंधन नहीं, जो पारदर्शी लोकतंत्र के लिए अध्वंशक है। ये काले धन के पर्याय कहे जा सकते हैं, जिन पर नकेल कसने का काम भी अर्थात संवैधानिक नियमन का कार्य भी उन्हीं के हाथ है जो इनसे स्वयं लाभाविन्त हो रहे हैं जिनके लिए पूरे तंत्र में परिवर्तन की आवश्यकता है।

नगेन्द्र प्रताप सिंह
करमैनी, संत कबीर नगर,
उत्तर प्रदेश

सुधारों की अभिव्यंजना

जुलाई 2014 अंक बेहद प्रभावपूर्ण, ज्ञानवर्द्धक, रोचक व अत्यन्त महत्वपूर्ण लगा। इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार स्तम्भों को रेखांकित करते हुए चुनाव प्रक्रिया की सुनियोजित व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है व चुनाव सुधारों के जरिए जनभागीदारी व लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के क्रम में जटिल राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की सख्त हिदायत दी गयी है।

निर्वाचन प्रक्रिया को आज और अधिक स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की जरूरत है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रणाली का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्त्व है और इसे तब तक लोकप्रिय, प्रभावशाली व पूर्णरूपेण निष्पक्ष नहीं माना जा सकता जब तक कि इसमें जनता की विश्वसनीय भागीदारी सन्निहित अथवा शामिल न हो। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जनसाधारण के स्वतंत्र, स्वैच्छिक व वैध लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण का सिलसिला अपने चरम पर है। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना आज नितान्त आवश्यक हो गया है।

उपर्युक्त आदर्श राजनैतिक मूल्यों के संरक्षण से सम्बन्धित उपयोगी पहलुओं के संदर्भ में यह कहना जल्दबाजी होगी कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका तथा इसी तरह की कुछ अन्य मध्यस्थ संस्थाएं प्रजातांत्रिक प्रणाली के मौलिक मूल्यों की रक्षा करने में पूर्णतया समर्थ है।

राकेश रंजन
गौतम नगर, नई दिल्ली

चुनाव सुधार में आर्थिक सुधार

लोकतंत्र एवं चुनाव सुधार पर केंद्रित जुलाई 2014 का अंक पढ़ा। अंक के सभी लेखों से

सारगर्भित व उपयोगी जानकारी मिली। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित यह पत्रिका प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए रामबाण है। मैं विगत सात माह से योजना नियमित पढ़ती हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। लोकतंत्र में आम चुनावों का विशेष महत्व होता है। भारत जैसे विकासशील देश में निष्पक्ष चुनाव होना अतिआवश्यक है क्योंकि भारत विविधताओं से भरा एक बड़े भू-भाग वाला देश है और यहां कि चुनाव प्रक्रिया काफी खर्चीली है, लेकिन इतने खर्च के बावजूद अच्छे जनप्रतिनिधियों का नहीं चुना जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के आम चुनाव में चुनकर आए 16वीं लोकसभा के 543 सांसदों में से 185 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि संविधान में निष्पक्ष चुनाव हेतु प्रावधान है। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 चुनाव सुधार संबंधी उपबंध करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (क) से लेकर 171 (झ) में चुनाव संबंधी अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 (ए) के तहत गलत हलफनामा देने पर प्रत्याशी के खिलाफ मुकदम चल सकता है और आरोप सही पाए जाने पर छः माह की सजा हो सकती हैं।

राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसमें आम मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्हें स्वच्छ छवि वाले शिक्षित उम्मीदवारों चुनना होगा तथा राजनीति पार्टियों को भी स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार खड़े करने होगें। आदर्श लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव प्रणाली निष्पक्ष व पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि तभी अच्छे जनप्रतिनिधि आएंगे जो देश की प्रगति के लिए बेहद आवश्यक है।

नेहा कुमारी
हाजीपुर, वैशाली, बिहार

उपयोगी अंक

''जनता का अधिकार है''...संपादकीय पढ़ा अच्छा लगा धनबल और बाहुबल ही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है इसके लिए हमारे यहां और कड़े कानून होने चाहिये। योजना का पूरा अंक बहुत जानकारी भरा हुआ है।

यूपी त्रिपाठी 'भारत'
ई-मेलः vittesh12@gmail.com

चुनाव सुधार में आर्थिक सुधार

योजना का जुलाई अंक पढ़ा जो कि 'लोकतंत्र एवं चुनाव सुधार' पर विशेष था। इस अंक में चुनाव सुधार से संबंधित सभी आलेख काफी अच्छे और ढेरों जानकारियों वाले थे, जिन्हे पढ़कर काफी सारी बातें पता चलीं।

हमारे देश में चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होता है। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो या फिर छात्रसंघ चुनाव हो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराना तो बहुत ही टेढ़ी खीर होता है। आम जनता चाहती है कि उनका नेता एक ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाला हो। खराब रिकार्ड वाले और आपराधिक रिकार्ड वाले लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। राजनीति में परिवारवाद भी काफी फलफूल रहा है। चाहे केंद्र की राजनीति हो या फिर राज्य की परिवार वाद का भारी बोलबाला रहता है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद चोरी छिपे पैसों और शराब का इस्तेमाल वोटरों को रिसाने में किया जाता है।

वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया में भी और सुधार किये जाने चाहिए। कंई बार देखा गया है कि फोटो किसी की होती है, नाम किसी का होता है वोटर कार्ड पर। कई वोटर तो ऐसे होते है जिन पर पिता का नाम और पति का नाम गलत छपा होता है। कई बार वोटर लिस्ट से नाम तक गायब होते हैं। जिनके चलते कई लोग वोट देने से वंचित रह जाते हैं। अगर पल्स पोलियो अभियान की तरह ही वोटर कार्ड बनाने का कार्य किया जाए और कार्य की पूरी मॉनीटरिंग भी की जाए तो गलतियों की गुंजाईश काफी कम होगी। चुनावी उम्मीदवार के लिए इंटर पास की अनिवार्यता कर देनी चाहिए। जात-पात की राजनीति बंद होनी चाहिए। हमारे ग्रामीण इलाकों में अक्सर ऐसा होता है कि ग्राम प्रधान महिला बन तो जाती है पर सारे काम उसका पति ही करता है। प्रधान महिला घर के काम करती है और उसका पति ग्राम प्रधान न होने के बावजूद ग्राम प्रधान की हैसियत से सारे कार्य करता है। इस पर रोक लगनी चाहिए।

महेन्द्र प्रताप सिंह
मेहरागांव, अलमोड़ा, उत्तराखण्ड

पठनीय अंक

गत 40 वर्षों से 'योजना' का नियमित अध्ययन कर रहा हूँ। अर्थशास्त्र विषय में पीजी करने का मन 'योजना' पत्रिका की वजह से ही बना। जुलाई अंक में भारतीय लोकतंत्र एवं चुनाव सुधार की आवश्यकता' लेख चिंतन हेतु बाध्य करता है। चुनाव संबंधित भ्रम दूर हो गए। सत्येन्द्र रंजन द्वारा किया गया विश्लेषण लाजवाब लगा। आर. अनुराधा के निधन की खबर सुनकर (पढ़कर) बहुत दुख हुआ। सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाली यह पत्रिका विद्यार्थियों के लिए काफी मायने रखती है। पत्रिका में सम्मिलित जानकारी पठनीय लगी। आपकी राय स्तंभ के पृष्ठ कम से कम 2-3 होने चाहिए ताकि पाठक वर्ग संपादक मंडल से सीधा संपर्क स्थापित कर सके। कई भाषाओं में इसका प्रकाशन हो रहा है, यह वाकई खुशी की बात है।

राजेन्द्र मिश्र, प्राचार्य
सेंट्रल इंडिया पब्लिक स्कूल, नागपुर

चुनाव सुधार एक महती आवश्यकता

जुलाई 2014 का योजना अंक पढ़ा जो कि लोकतंत्र एवं चुनाव सुधार पर पूर्णतः केंद्रित था। विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने विचारों और वर्तमान में निहित समस्याओं पर प्रकाश डाला जोकि वर्तमान समय की नितांत आवश्यकता है। जिस गति से समय प्रगतिशील हो रहा है। उसी तीव्रता के साथ लोकतंत्र एवं चुनावों को सशक्त बनाने की महती आवश्यकता है। वर्तमान में लोकतंत्र और चुनाव सुधारों में निहित परेशानियों को दूर करके उन्हे साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है।

वर्तमान समय में चुनावी पार्टियों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये समाजसेवा एक धर्म न रहकर व्यवसाय जैसी हो गयी है। इन्हें और ज्यादा न बढ़ाकर इनकी संख्या को कम करने की पहल होनी चाहिए और जैसा कि कई अन्य देशों में होता है चुनाव सिर्फ दो पार्टियों के बीच होना चाहिए। विभिन्न राज्यों में प्रगतिशील विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर सिर्फ दो मुख्य चुनावी पार्टी होनी चाहिए जिससे बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

एम विष्णु कुमार
डिपो चौराहा, भोपाल मध्य प्रदेश

CL हॉल ऑफ फेम

सिविल सेवा '13 की प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ -241 (समान्य श्रेणी) था आप 241 में से 190 अंक GS II (CSAT) में ही प्राप्त कर सकते हैं बहुत से CL विद्यार्थियों ने ऐसा कर दिखाया

CL पंजीकरण संख्या	विद्यार्थी का नाम	यूपीएससी अनुक्रमांक	CSAT प्राप्तांक (200 में से)	CSAT प्रतिशत	सिविल सेवा (प्रा.) 2013 के कट ऑफ (241) में CSAT के प्राप्तांक का प्रतिशत
1988094	अभिषेक आनंद	225650	194.18	97.1	80.6
2699229	राज कमल रंजन	220538	190.83	95.4	79.2
5619304	श्रुजीत वेलुमुला	044017	190	95.0	78.8
5619556	शेख़ रहमान	181495	190	95.0	78.8
5619239	प्रशांत जैन	322447	190	95.0	78.8
5619441	रविंदर जैन	327293	190	95.0	78.8
494563	शरत थोटा	083223	190	95.0	78.8
5293707	आशीष सांगवान	011764	188.33	94.2	78.1
5597674	रानाधीर अल्लू	136150	187.5	93.8	77.8
2387378	श्रीकांत रेड्डी	188130	187.5	93.8	77.8
5619612	गरूण सुमित सुनील	361061	187.5	93.8	77.8
2387056	प्रतीक वमसी गुर्रम	164567	187.5	93.8	77.8
5597676	मुरलीधर कोमीशेट्टी	033471	187.5	93.8	77.8
5597844	अर्पित शर्मा	103316	187.5	93.8	77.8
3013398	विनीत कुमार	241717	187.5	93.8	77.8
5293702	रतेन्द्र सिंह	006643	186.68	93.3	77.5
5099681	पंकज मित्तल	153106	186.68	93.3	77.5
3012296	अनुदीप दूरीशेट्टी	123528	186.68	93.3	77.5
2387152	प्रेम अकुंला	539516	185.83	92.9	77.1
5597689	आकांश दूबे	020889	185	92.5	76.8
2387786	नरसिम्हा पालाशानी	109847	185	92.5	76.8
3013337	गौरीशंकर डी	404474	185	92.5	76.8

और भी बहुत से...

CSAT '15 के लिए CL से जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें

सिविल सेवा परीक्षा '13 के टॉप 10 में से 6 CL विद्यार्थी हैं

रैंक 1st

गौरव अग्रवाल
CL पंजीकरण संख्या: 3540934
(सीएल एमबीए प्रेप विद्यार्थी)

रैंक 3rd

रचिव राज
CL पंजीकरण संख्या: 1035692

रैंक 6th

साक्षी साहनी
CL पंजीकरण संख्या: 5293711

रैंक 8th

जॉनी टी वर्गीश
CL पंजीकरण संख्या: 5293820

रैंक 9th

दिव्यांशु झा
CL पंजीकरण संख्या: 4088566

रैंक 10th

मेधा रूपम
CL पंजीकरण संख्या: 10017630

और भी बहुत से...

80+* CL विद्यार्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा 2013 में सफलता प्राप्त की

*परिणामों का ऑडिटिंग अभी जारी है

प्रवेश जारी है
GS और CSAT '15 बैच के लिए

CL | Civil Services Test Prep

/CLRocks

www.careerlauncher.com/civils

नये बैचों की जानकारी हेतु अपने निकटतम् CL सिविल केंद्र से संपर्क करें

मुखर्जी नगरः 204/216, द्वितीय तल, विराट भवन/एमटीएनएल बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस के सामने, फोन – 41415241/46
ओल्ड राजेन्द्र नगरः 18/1, प्रथम तल, अग्रवाल स्वीट्स के सामने, फोन – 42375128/29
बेर सरायः 61बी, ओल्ड जे. एन. यू. कैम्पस के सामने, जवाहर बुक डिपो के पीछे, फोन – 26566616/17
गाजियाबादः सी–27, द्वितीय तल, आरडीसी मार्केट, राजनगर (बीकानेर स्वीट्स के सामने), फोन – 0120–4380996
अहमदाबादः 9879111881 | इलाहाबादः (0)9956130010 | बंगलुरुः 41505590 | भोपालः 4093447 | भुवनेश्वरः 2542322 | चंडीगढ़ः 4000666 | चेन्नईः 28154725
हैदराबादः 66254100 | इन्दौरः 4244300 | जयपुरः 4054623 | लखनऊः 4108009 | नागपुरः 6464666 | पटनाः 2678155 | पुणेः 32502168

YH - 161/2014

संपादकीय

दो नगरों की कहानी

कल्पना कीजिए कि आप घघ्घर नदी के तट पर बसे हड़प्पाकालीन सभ्यता के ऐतिहासिक नगर कालीबंगा की साफ-सुथरी सड़कों पर टहल रहे हैं। नगर की स्वच्छता, सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली और नागरिक एवं वाणिज्यिक हलचलों और गतिविधियों ने आपका मन मोह लिया है। इस प्रागैतिहासिक शहर का नगर-नियोजन प्रेक्षकों को विस्मित किए बिना नहीं रहता। अब आप इससे करीब दो हजार वर्ष आगे का गोता लगाकर पवित्र गंगा के तट पर बसे काशी और शाही यमुना को निहारते शाहजहानाबाद के दर्शन कीजिये। कुछ और निकट आते हैं तो न्यूयार्क की सिलिकॉन वैली, विश्व का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र शंघाई और भारत की साइबरसिटी बंगलुरू, जहां एक ओर विस्मय पैदा करते हैं, वहीं प्रशंसा के पात्र बनते हैं। निश्चय ही नगरों में ही मानवसभ्यता की भौतिक उपलब्धियों का चरम दिखाई देता है। दुर्भाग्यवश, उनके साथ उनके गर्भ में असमान सुविधाओं, विषमता, गंदगी, विलगाव और विस्थापन जैसी बीमारियां भी छिपी होती हैं। जो आधुनिक नगरीय बसाहट की विशेषताएं बन चुकी हैं। गगनचुम्बी अट्टालिकाओं के साये में मलिन बस्तियां बसी होती हैं। शहर के आधुनिक कार्यालय-व-व्यवसायिक परिसर की बाहरी चमक दमक के पीछे फुटपाथ पर खुले आकाश के नीचे हजारों लाखों लोग रात को सोते हैं। गर्मी, ठंड, बारिश और कोहरे का दंश झेलते हुए ये लोग रात को जब इन फुटपाथों पर सोते हैं, तो उनके होठों पर यही दुआ होती है कि कहीं वे एक लक्जरी कार के नीचे आकर अगले दिन के अखबारों की सुर्खियां न बन जायें। ''मैक्सिमम सिटी'' सिर्फ मुंबई को ही नही कहा जाता बल्कि अब उन सभी आधुनिक नगरों के लिये एक रुपक बन चुका है जो अपेक्षाओं और अवसरों की चरम संभावनायें तो संजोये हुए है, परंतु साथ ही हवा, पानी, रहने की जगह और अपनेपन के अभाव से जूझ रहे हैं।

यह निर्विवाद है कि शहरीकरण ही भविष्य है। विश्व के आर्थिक विकास का इतिहास दर्शाता है कि शहरों का विकास न केवल स्वाभाविक है, बल्कि अपरिहार्य भी, और यही मुनासिब भी है। शहरीकरण, स्थान का बेहतर दोहन कर और उत्पादक शक्तियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर कुछ ऐसी दक्षता पैदा करता है जो विकास प्रक्रिया को सुगम बनाता है। परंतु, शहरों को यदि उत्पादक उद्यमों का केंद्र, रचनात्मकता का गढ़ और साझी प्रचुरता की पहचान बनना है तो उसके लिये सावधानीपूर्वक योजनाएं बनानी होंगी।

यह आवश्यक नहीं है कि नियोजन बाहर से थोपा जाए। वास्तव में यदि शहर के स्वाभाविक विकास की संभावनाओं का पता लगाकर उसे आधुनिक शहरी बसाहट से समेकित किया जाए तो भविष्य के नगरों का बेहतर खाका तैयार किया जा सकता है।

पूरी तरह शीशों की बनी चमचमाती अट्टालिकाएं ऊर्जा का बेतहाशा दोहन करती हैं लेकिन ऐसी इमारतें आज हमारे शहरों की पहचान बन चुकी हैं। दरअसल ये शहरीकरण की त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के परिणाम हैं। नियोजकों में अब उन प्राचीन शहरों की ओर रुचि बढ़ रही है जो सदियों से टिके हुए हैं और आज भी फलफूल रहे हैं। इन लोगों ने स्वाभाविक रुप से बढ़ते हुए शहरों की गतिशीलता का गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया है ताकि यह समझ सकें कि पर्यावरण को विरूपित किए बिना वे कैसे लोगों को आश्रय, रोजगार, अपनापन और प्यार देते आ रहे हैं। किसी सुनियोजित नगर की सफलता को केवल आर्थिक समृद्धि के आधार पर तय करने के पहले उसे इस कसौटी पर भी कसा जाना आवश्यक है कि उनमें कितनी आत्महत्यायें, दुर्घटनायें, हिंसात्मक अपराध, सड़कों पर उत्तेजित राहगीरों में मारपीट की घटनायें हो रहीं हैं और इनमें श्वास जनित और हृदय रोगी, असुरक्षित बुजुर्गो, आवासहीन और फुटपाथों पर रहने वालों की संख्या क्या है। यहां तक कि कितने तलाकशुदा और भ्रमित लोग यहां रह रहे हैं।

चाहे यह नये विकसित किये जा रहे शहर हों या जीवंत पुराने और बसे बसाए शहर, शहरी नियोजकों में यह धारणा बढ़ती जा रही है कि शहरों की जनसंख्या का वह बड़ा हिस्सा जो मुख्यत: मौन और वंचित रहता है, उसे भी योजना के निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल किया जाना चाहिये। शहरों के जो लोग काम पर जाते हैं, उनका 75 प्रतिशत भाग उन लोगों का है जो असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र से हैं। इस विशाल और विशद जनसंख्या तथा उनकी जिंदगी की हकीकत की उपेक्षा करने का अर्थ होगा, उन योजनाओं का निरर्थक होना जो इन भावी शहरों के लिये तैयार की जाएंगी। हमें यह स्वीकार करना होगा कि एक सुनियोजित, सुरक्षित, सुव्यवस्थित आवासीय बस्ती के पास जो झुग्गी झोंपड़ियां आ खड़ी होती हैं, वे कुलीन और भद्र परिवारों के जीवन को आरमदायक बनाने में योगदान देती हैं। घरेलू नौकर चाकर से लेकर, प्लम्बर, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशीयन, सुरक्षाकर्मी जैसे अनेक कार्यों के जरिए ये झुग्गी झोंपड़ी निवासी शहरों के भद्रलोक का जीवन खुशहाल बनाते हैं। हर शहर में एक दूसरा शहर भी बसा होता है और वंचन और असमानताओं के कारण जिसका दम घुटता रहता है। दो शहरों की यह कहानी बदसूरत है और इसे बदलना ही होगा। बुरे वक्त को अच्छे वक्त के लिये रास्ता देना ही होगा। यह जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर होगा। ❑

PATANJALI सिविल सेवा की तैयारी हेतु समर्पित भारत का विशेषज्ञ संस्थान I.A.S.

उनके लिए → जो सिविल सेवा की तैयारी प्रारम्भ कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो सुधार चाहते हैं।

- भारतवर्ष
- हिन्दी व Eng.माध्यम
- एक विषय

दर्शनशास्त्र

- एक संस्थान
- सर्वाधिक चयन
- सर्वाधिक अंक

नये बदले संदर्भ में निबंध और G.S. के लिए उपयोगी

सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय क्यों?

अब परीक्षा के नये पैटर्न में वैकल्पिक विषय से पूर्व गैप नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में लाखों तथ्यों को रटने वाले, भारी-भरकम पेपरों का पूरा रिवीजन भी संभव नहीं हो पायेगा। जबकि छोटा एवं वैचारिक विषय होने के कारण दर्शनशास्त्र का संपूर्ण रिवीजन आसानी से संभव है।

भारत का नं. 1 संस्थान

2012 Results
Top 500 Rank

एक-दो को छोड़कर दर्शनशास्त्र के साथ सफल सभी अभ्यर्थी (हिन्दी या Eng. Med.) पतंजलि संस्थान के मुख्य परीक्षा कक्षा कार्यक्रम से संबंधित हैं।

वर्ष 2012
visit : www.patanjaliias.in

दर्शनशास्त्र के साथ हिन्दी माध्यम के प्रथम पाँचों टॉपर्स 'पतंजलि' संस्थान के मुख्य परीक्षा कक्षा-कार्यक्रम से संबंधित रहे हैं।

PRIYANKA NIRANJAN
M.A. (Eco.)

DHARMENDRA KUMAR
M.A. (History)

DEEPA AGRAWAL
B.A (Geog.)

SANGEETA TETARWAL
M.B.B.S.

AMIT P. YADAV
Mechanical Engg.

निःशुल्क परिचर्चा के साथ
बैच आरम्भ
(हिन्दी माध्यम)
28 अगस्त
समय
सुबह: 8:45 बजे से
9810172345

वर्ष 2013

PATANJALI

HEAD OFF.: 202, IIIrd Floor, Bhandari House (Above Post Office) Dr. Mukherjee Nagar. Delhi-09
Ph.: 011-32966281, 011-43557558, Mob: 9810172345
BRANCH OFF.: 104, 1st Floor, above OBC Bank, Old Rajinder Nagar, Delhi-60
Ph.: 011-45615758, Mob.: 9811583851, 9555043146
Visit us : www.patanjaliias.in, E-mail : iaspatanjali@gmail.com

YH - 155/2014

भारत में शहरी नीति और कार्यक्रम अतीत और भविष्य

आर बी भगत

भारत के अधिकांश शहरों में प्रभावी शहर आयोजना का अभाव नजर आता है। अधिकांश नगर आयोजना प्रासंगिक नहीं रह गयी हैं और इससे न सिर्फ शहरवासियों को बल्कि गांव के लोगों को भी कोई फायदा नहीं होता। यहां तक कि जहां आयोजना को संशोधित या नया तैयार किया जाता है, वह काम भी सलाहकार या तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए। आयोजना इस तरह से होनी चाहिए कि शहर के निवासी अपनी जरूरतों के अनुसार सबकुछ प्राप्त कर सकें, यह भागीदारीपूर्ण और विकेंद्रित हो

उदारवाद के दौर के बाद भारत के आर्थिक विकास में शहरी और नगरीय केंद्रों का महत्व बढ़ रहा है। उदाहरणस्वरूप भारत के सकल घरेलू उत्पाद में शहरी क्षेत्रों का योगदान सन् 1950-51 के 29 फीसदी के मुकाबले सन् 1980-81 में बढ़कर 47 फीसदी, 2007 में 62-63 फीसदी और सन् 2021 तक इसके 75 फीसदी तक बढ़ जाने का अनुमान है (योजना आयोग, भारत सरकार 2008:394)। इस बात पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में 9 से 10 फीसदी की वृद्धि मूलभूत रूप से भारतीय शहरों को ज्यादा रहने योग्य और समावेशी बनाये जाने पर ही निर्भर करती है (योजना आयोग, भारत सरकार 2008:394)।

राजनीति और नीति को प्रभावित करने वाले शहरीकरण का एक स्वरूप यह भी है कि यह जाति और धर्म पर आधारित पुरानी राजनीतिक लामबंदी को कमजोर करता है और विकास और अधिकारों पर आधारित स्थानीय मुद्दों को सशक्त करता है। इस तरह विशिष्ट अधिकारों के माध्यम से विधान में जैसी व्यवस्था है, उसी तरह का लोक सशक्तिकरण संभव हो पाता है। नयी नीति और शासन में आवश्यक तौर पर शहरी प्रकृति के हैं। गांव और शहरों के बीच बढ़ती खाई से आदिम पहचान के साथ जीना अकसर मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रामीण लोग भी अब आर्थिक और सामाजिक संसाधनों तक अपनी पहुंच के प्रति जागरूक हैं और ऐसा नहीं होने पर वे अपने भविष्य के प्रति सरकार को जिम्मेवार ठहराते हैं।

भारतीय शहरी इतिहास से जुड़ा एक आश्चर्यजनक सच यह भी है कि ज्यादातर नगरों और शहरों का विकास अपने आप हुआ है। नीतियां और कार्यक्रमों का असर बड़े शहरी केंद्रों पर ही पड़ा है, लेकिन गैर-महानगरीय छोटे नगर और शहर, शहरी नीति और कार्यक्रमों से अप्रभावित ही रहे हैं (शॉ 1996 : 224)। यह पेपर आलोचनात्मक रूप से शहरी नीति, योजना और कार्यक्रमों का एक सार संक्षेप प्रस्तुत करता है और आगे का रास्ता भी सुझाता है।

पंचवर्षीय योजना में शहरी कार्यक्रम और आयोजना

पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कई संस्थाएं और संगठनों की स्थापना हुई। उदाहरणस्वरूप, सरकार ने शहर और राष्ट्र योजना संगठन, राष्ट्रीय भवन संगठन और दिल्ली विकास प्राधिकरण इस काल में गठित किये। दिल्ली मास्टर प्लान तैयार करने का प्रयास किया गया, जो दूसरे राज्यों की शहरी योजना के लिए मॉडल बनता (शॉ 1996: 225)। इस काल में राज्यों को सलाह दी गयी कि वे मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक ऐसा शहर और राष्ट्र योजना विधेयक लायें, जो शहरी भूमि के नियमनों के मुताबिक हो (रामचंद्रन 1989: 570)।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) भारत के शहरी विकास और योजना के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। इसने संतुलित क्षेत्रीय विकास के मद्देनजर नगरों और शहरों के महत्व को मान्यता दी और सलाह दी कि

लेखक, आव्रजन और शहरी अध्ययन विभाग, अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं। युनेस्को-यूनीसेफ भारत आव्रजन कार्यक्रमों में योगदान के साथ नीतिगत मुद्दों पर गठित कई सरकारी समितियों में रहे हैं। इसके अलावा शहरीकरण, आव्रजन, स्वास्थ्य, पर्यावरण और विकास के क्षेत्र में कई शोधपत्र और पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ईमेल: rbbhagat@iips.net

शहर योजना क्षेत्रीय जरूरतों के आधार पर बनें। इसने शहरी भूमि अधिनियम की आवश्यकता, शहरी भूमि की कीमतों पर नियंत्रण पर जोर दिया और साथ ही बड़े शहरों के मास्टर प्लान बनाने का सुझाव दिया। इसमें स्पष्ट था कि मास्टर प्लान तैयार करना राज्य और स्थानीय शासन का दायित्व है। इसने यह भी रेखांकित किया कि नये उद्योग बड़े शहर और घनी आबादी से दूर लगाये जायें और नगर निगमों को मजबूत बनाया जाये। इस कालखंड में ज्यादातर राज्यों ने ब्रिटिश टाउन प्लानिंग की तर्ज पर शहर योजना विधेयक लागू किये। वास्तव में तीसरी योजना शहरी योजना बनाने के क्रम में सबसे नाजुक रही (शॉ 1996:226)। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) ने भी तीसरी योजना के क्षेत्रीय और शहरी विकास के प्रयासों पर जोर दिया और 72 शहरी केंद्रों की विकास योजना शुरू की गयी। मेट्रोपोलिटन शहर दिल्ली, ग्रेटर बांबे और कलकत्ता के संदर्भ में क्षेत्रीय अध्ययन किये गये।

चंडीगढ़, गांधीनगर और भुवनेश्वर जैसी राज्यों की राजधानियों के विकास को केंद्र सरकार द्वारा विशेष अनुदान देकर गति दी गयी। इसने शहरी अधिनियम के विकास पर जोर देते हुए राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे सहरी विकास में बाधक बन रही स्थितियों की समीक्षा करें। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी भूमि (सीमा और नियमन) अधिनियम 1976 पास किया गया। इसने राज्य सरकारों को सलाह दी कि शहर प्रशासन के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए महानगर योजना क्षेत्रों का निर्माण करें। इस योजना काल में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी 1975 को मुंबई मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट एक्ट पास कर दिया और मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजनल डेपलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) का गठन कर दिया। इसी काल में आवास और शहरी विकास निगम (हडको) का गठन हुआ, जो शहरी स्थानीय निकायों, आवास बोर्ड और दूसरे संगठनों को फंड मुहैया कराता था। चौथी योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि महानगर और राष्ट्रीय महत्व के नगरों को विशेष वित्तीय सुविधाएं मुहैया करायी गयीं जो पंचवर्षीय योजना (1974-79) तक चलती रहीं। समन्वित शहरी विकास योजना के तहत कोलकाता, मुंबई और चेन्नई और राष्ट्रीय महत्व के अन्य शहरों को फंड मुहैया कराये गये। पांचवीं योजना तक स्पष्ट तौर पर बड़े शहरों को प्रोत्साहित किया जाता रहा हालांकि शहरी और औद्योगिक विकेंद्रीकरण जैसे शब्दाडंबर योजना दर योजना चलाये जाते रहे (शॉ 1996 :227)।

छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) में छोटे और मध्यम शहरों (एक लाख से कम की आबादी वाले शहर) के विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके तहत सन् 1979 में केंद्र सरकार द्वारा छोटे शहरों के लिए समन्वित विकास (आईडीएसएमटी) योजना लायी गयी। आईडीएसएमटी योजना में 96 करोड़ रुपये से लगभग 200 छोटे और मध्यम शहरों को लाभ पहुंचाने का प्रावधान था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण सांस्थिक विकास किये गये, जिससे देश में शहरी विकास और योजना का एक स्वरूप तैयार हुआ। शहरीकरण पर बने राष्ट्रीय आयोग ने अगस्त 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और आयोग के सुझावों को शामिल करते हुए लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक शहरी और स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास था, जिसके तहत एक त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान था। इसमें शीर्ष पर केंद्र सरकार, माध्यमिक स्तर पर राज्य और सबसे निचले स्तर पर स्थानीय निकायों को रखा गया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पास नहीं हो सका, क्योंकि इसे राज्य सरकार की स्वायत्तता में हस्तक्षेप माना गया। कुछ संशोधनों के बाद यह विधेयक सन् 1992 में 74वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में फिर से पेश किया गया, जिसे संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया और मार्च 1993 से यह अस्तित्व में आ गया।

शहरीकरण पर बने राष्ट्रीय आयोग ने अगस्त 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और आयोग के सुझावों को शामिल करते हुए लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक शहरी और स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास था, जिसके तहत एक त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान था। इसमें शीर्ष पर केंद्र सरकार, माध्यमिक स्तर पर राज्य और सबसे निचले स्तर पर स्थानीय निकायों को रखा गया था।

आठवीं योजना के दौरान सन् 1993-94 में मेगा सिटी योजना लायी गयी, जिसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरू और हैदराबाद शामिल थे। इसके साथ ही आईडीएसएमटी का पुनर्गठन करके उसे आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम से जोड़ दिया गया ताकि बड़े शहरों की ओर बढ़ रहे पलायन को मोड़कर छोटे और मध्यम शहरों की ओर इसे मोड़ा जा सके। ग्रामीण भारत की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए छोटे और मध्यम शहरों को विकास केंद्र माना गया। बड़े शहरों के मास्टर प्लान की ही तरह, यह सुझाव दिया गया कि छोटे और मध्यम शहरों के विकास में क्षेत्रीय योजना महत्वपूर्ण हो सकती है। इस बात को रेखांकित किया गया कि फंड की कमी इसमें बाधा बन सकती है और बजट और सांस्थिक प्रावधानों से अलग भी फंड की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए।

नौवीं योजना (1997-2002) में यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य शहरीकरण की योजना विविध शहरी विकास कार्यक्रमों के साथ सहक्रियात्मक रूप से तैयार की जानी चाहिए। हालांकि आठवीं योजना में शुरू किये गये अधिकांश कार्यक्रम नौवीं योजना तक चलाये जाते रहे, इस बात पर हमेशा जोर दिया जाता रहा कि शहरी स्थानिय निकायों का विकेंद्रीकरण और वित्तीय स्वायत्तता बरकरार रहे, ताकि उनमें प्रतिस्पर्धात्मक और क्षमताओं का विकास हो और वे बाजार आधारित चुनौतियों का सामना कर सकें। एक दिसंबर 1997 से एक नयी योजना स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना शुरू की गयी, जिसमें एनआरवाई, यूबीएसपी और पीएमआईयूपीईपी को मिला दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत दो उप-योजनाएं चलायी गयीं, जिनमें (1) शहरी स्वरोजगार योजना और (2) शहरी वेतन रोजगार कार्यक्रम शामिल थीं। उस समय प्रचलित एनआरवाई और पीएमवाईयूपीईपी के स्वरोजगार और वेतन रोजगार घटकों का पुनर्गठन करके इस नयी योजना में मिला दिया गया। आगे एनआरवाई और पीएमआईयूपीईपी के आवास घटकों को एक नये कार्यक्रम में मिला दिया गया और सन् 1997 में राष्ट्रीय झुग्गी विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) की शुरुआत की गयी हालांकि यह योजना सन् 2005-06 के वित्त वर्ष से खत्म कर दी गयी। यह भी दुखद रहा

कि छोटे और मध्यम शहरों की फंडिग काफी कम थी। उदाहरणस्वरूप, आईडीएसएमटी योजना के तहत आठवीं योजना के अंत तक 904 शहरों को कवर किया गया और इस मद में केंद्रीय सहायता मात्र 283.96 करोड़ रुपये की ही दी गयी। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार, तब 4500 शहरी केंद्र ऐसे थे, जो छोटे और मध्यम शहर (तीन लाख की आबादी से कम) के तहत शामिल थे, लेकिन आवंटन न सिर्फ कम था, बल्कि यह छोटे और मध्यम शहरों के पांच में से एक भाग को ही कवर कर पाया। इन परिस्थितियों में यह संभव ही नहीं था कि ये छोटे और मध्यम शहर एक विकसित केंद्र के रूप में अपने अस्तित्व का विकास कर पायें ताकि देश में क्षेत्रीय विकास की गति कायम रह सके।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में यह तथ्य सामने आया कि शहरीकरण ने आर्थिक उदारीकरण के सन् 1980-90 के दशकों में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इससे यह बात भी सामने आयी कि पांच नगरों की मेगा सिटी परियोजना, आईडीएसएमटी और एयूडब्ल्यूएसपी को अपेक्षित रूप से कम ही सफलता मिली। यह भी सामने आया कि पूर्व में शामिल क्षेत्रों और केंद्रीय सहायता की राशि प्राविधिक कारणों और सीमित बजट प्रावधानों के कारण अपर्याप्त और असमान रही थी। आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए बनायी गयीं योजनाएं जैसे आईडीएसएमटी और मेगा सिटी परियोजनाओं ने कई शहरों को बिना वित्तीय सहायता के छोड़ दिया था। दसवीं योजना में भी यह बात सामने आयी कि एनएसडीपी का प्रदर्शन इस वजह से भी संतोषजनक नहीं रहा क्योंकि मुख्य रूप से राज्य के स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसियों को फंड मुहैया कराने में देर की गयी। सन् 2001-02 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए आवास और वर्तमान आवास में सुधार के लिए एक योजना *वाल्मीकि-अंबेडकर आवास योजना* शुरू की गयी थी। शहरों के आकार को ध्यान में रखते हुए प्रति घर 20 से 30 हजार का अनुदान भी दिया गया था। यह भी स्वीकार किया गया कि राज्य की सहाय्य एजेंसियां जैसे विकास प्राधिकरणों को शहरी स्थानीय निकायों की सहायक भूमिका में होना चाहिए था, न कि शहरी स्थानीय निकायों के काम को अपने हाथ में लेना चाहिए था। समग्र रूप से दसवीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि शहरी स्थानीय निकायों के संस्थानों और उसके लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किये बिना शहरी विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के तहत शहरी नीति और कार्यक्रमों में कई विकासात्मक परिवर्तन किये गये। कुछ प्रमुख शहरी विकास नीतियां इस तरह थीं-

1. क्षमता विकास और बेहतर वित्त प्रबंधन के माध्यम से स्थानीय निकायों को सशक्त करना।
2. विनियमन और भूमि विकास के द्वारा शहरों की क्षमता और उत्पादकता में विकास।
3. शहरी आधारभूत संरचना के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार से मुक्ति और निजी क्षेत्र के निवेश के लिए माकूल माहौल तैयार करना।
4. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कामकाज पर नजर रखने के लिए एक स्वायत्त नियमन संरचना का गठन।
5. गरीबी के मामले कम करना।
6. बड़े पैमाने पर तकनीक और नवाचार का प्रयोग।

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को बीएसयूपी और आईएचएसडीपी कार्यक्रमों का नोडल मंत्रालय बनाया गया है जो शहरी गरीबों, खासकर झुग्गी के रहवासियों के आवास और आधारभूत जरूरतों के लिए काम करता है। इस योजना के तहत मौलिक जरूरतें जैसे स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल जैसे काम हाथ में लिये गये हैं।

शहरी विकास नीति को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) जैसी बड़ी योजना शुरू की, ताकि प्रारंभिक तौर पर 63 चुनिंदा शहरों की शहरी आधारभूत संरचना के समन्वित विकास पर ध्यान दिया जा सके। इस योजना का जोर शहरी गरीबों की मौलिक सेवा जरूरतों मकान, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कों का संजाल, शहरी परिवहन और शहर के अंदर और पुराने शहरी क्षेत्रों का विकास आदि पर था। पूर्व की योजनाएं जैसे मेगा सिटी, आईडीएसएमटी, एनएसडीपी और वीएएमबीएवाई आदि इसमें मिला दी गयीं।

जेएनएनयूआरएम को दो भागों में विभाजित किया गया, जैसे (1) शहरी आधारभूत संरचना और प्रशासन और यूआईजी और (2) 63 लक्षित शहरों में शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता। गैर लक्षित नगरों और शहर यूआईडीएसएसएमटी आईएचएसडीपी योजना के तहत कवर किये गये हैं। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को बीएसयूपी और आईएचएसडीपी कार्यक्रमों का नोडल मंत्रालय बनाया गया है जो शहरी गरीबों, खासकर झुग्गी के रहवासियों के आवास और आधारभूत जरूरतों के लिए काम करता है। इस योजना के तहत मौलिक जरूरतें जैसे स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल जैसे काम हाथ में लिये गये हैं। दूसरी ओर, शहरी विकास मंत्रालय जेएनएनयूआरएम के तहत यूआईजी और यूआईडीएसएसएमटी की देखभाल करता है।

जेएनएनयूआरएम के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक शहर अपनी शहरी विकास योजना तैयार करेगा और शहर के लिए दीर्घावधि की विकास योजना का खाका तैयार करेगा। इसने शहरी सुधारों जैसे भूमि हदबंदी अधिनियम 1976 को रद्द करने, यूएलबी के सशक्तिकरण और निगम लेखा आदि में क्षमता निर्माण और बेहतरी से जुड़ी कई शर्तें भी रखीं। इसका यह भी लक्ष्य था कि परियोजनाओं के विकास और वित्त पोषण में पीपीपी के तहत निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाये। एसजेएसआरवाई के तहत रोजगार निर्माण और गरीबी उन्मूलन पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को फिर से प्रभावी बनाया गया और क्षमता निर्माण, स्व-सहायता समूहों का गठन और स्वरोजगार के लिए माइक्रो फाइनेंस पर जोर दिया गया। एसजेएसआवाई के तहत केरल की कुदुंबश्री संस्था का मॉडल और देश के अन्य हिस्सों के श्रेष्ठ प्रयासों को अपनाने पर भी बल दिया गया (योजना आयोग 2008)।

ग्यारहवीं योजना के मध्यावधि पुनरावलोकन में यह स्वीकार किया गया कि शहरी विकास और जेएनएनयूआरएम के तहत शहरी नवीकरण के लिए बड़े पैमाने पर फंड की आवश्यकता है। माना जाता है कि इसके लिए लगभग 3-4 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जबकि जेएनएनयूआरएम के तहत सातवीं पंचवर्षीय

योजना में महज 66 हजार करोड़ रुपये ही आवंटित किये गये (2005-12)।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में जेएनएनयूआरएम को मजबूत बनाये जाने का प्रस्ताव है और माना गया है कि शहरी सुधारों में इसकी व्यापक भूमिका होगी। बारहवीं योजना के तहत जेएनएनयूआरएम में निम्न घटक शामिल है:

1. शहरी आधारभूत संरचना और प्रशासन (यूआईजी)।
2. राजीव आवास योजना (आरएवाई)।
3. शहरों में झुग्गियों का पुनर्वास जो आरएवाई में शामिल नहीं।
4. क्षमता निर्माण।

उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मुख्य रूप से मुख्य धारा की शहरी योजना का विफल होना, अपूर्ण सुधार और परियोजना के क्रियान्वयन की सुस्त गति आदि प्रमुख व्यवधान रहे हैं। परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने में देरी और विभिन्न नियमन प्राधिकारों से स्वीकृति आदि में देरी भी सुस्त गति के कारक रहे हैं। सामने आया है कि कई शहरों में शहरी योजना अभी शुरू ही नहीं हो सकी है और इसे मजबूत और भागीदारीपूर्ण बनाने की भी आवश्यकता है। योजना की प्रकृति में ही ऐसा है कि नगर की सीमा से सटे शुरुआती शहरी क्षेत्रों को नजरअंदाज कर देने से भी नगर की विकास योजना पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

राजीव आवास योजना दो जून 2011 को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो साल के लिए शुरू की गयी थी, जिसका लक्ष्य देश को झुग्गी-मुक्त बनाना था। केंद्र सरकार ने अंतत: 2013-2022 की अवधि के लिए तीन सितंबर 2013 को इस योजना का शुभारंभ किया। योजना का लक्ष्य राज्य सरकार और शहरी प्रशासन को झुग्गियों के उन्नयन, उनमें रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देना था और इनका विकास भारत में आबादी की रफ्तार को देखते हुए इस तरह करना था कि भविष्य में भारत झुग्गी-मुक्त हो जाये। योजना के तहत शहर की सभी झुग्गी बस्तियां चाहे वे अधिसूचित हों या न हों (चिह्नित और मान्यताप्राप्त सहित), चाहे जमीन केंद्र सरकार या इसके अधीन संस्था की ही क्यों न हो, स्वायत्त संस्थाएं जो संसद, राज्य सरकार या उसके अधीन गठित की गयी थीं, की ही क्यों न हों, चाहे वे यूएलबी या किसी सार्वजनिक और निजी एजेंसी की ही क्यों न हो, शामिल की गयी हैं। योजना शहर के योजना क्षेत्र के तहत शहरी गांव, शहरी बेघर और पटरी पर रहने वालों के लिए भी लागू है। बारहवीं योजना के दौरान नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के तहत एसजेएसआरवाई के अंदर आाने वाले शहरी गरीबी घटाव और रोजगार सृजन कार्यक्रम को खत्म कर दिये जाने का प्रस्ताव है। इसका मूलभूत लक्ष्य ऐसे क्षेत्रों की क्षमता और दक्षता बढ़ाना है, जहां रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, ताकि शहरी गरीबों को इसका लाभ मिल सके।

विशेषज्ञों द्वारा यह बात सामने लायी गयी है कि संविधान के 74वें संशोधन का क्रियान्वयन आधा-अधूरा ही रहा, क्योंकि राज्य सरकारों ने यूएलबी को पूरी तरह सशक्त किया ही नहीं, ताकि वे संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप काम कर सकें। दूसरी ओर, कई कार्यक्रम इसलिए भी सफल नहीं पाये क्योंकि शहरी क्षेत्र कई स्वामित्वों के नियंत्रण में होते हैं और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन में भी कोताही बरती जाती है (एचपीईसी 2011:23)।

विशेषज्ञों द्वारा यह बात सामने लायी गयी है कि संविधान के 74वें संशोधन का क्रियान्वयन आधा-अधूरा ही रहा, क्योंकि राज्य सरकारों ने यूएलबी को पूरी तरह सशक्त किया ही नहीं, ताकि वे संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप काम कर सकें। दूसरी ओर, कई कार्यक्रम इसलिए भी सफल नहीं पाये क्योंकि शहरी क्षेत्र कई स्वामित्वों के नियंत्रण में होते हैं और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन में भी कोताही बरती जाती है।

शहरी प्रशासन और योजना: आगे की राह

भारतीय योजना का कामकाज केंद्रित, शीर्ष से नीचे और क्षेत्र आधारित रहा है। शहरी विकास योजना के बारे में यह भी सच है कि इसने शहरी आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, झुग्गी विकास, शहरी आधारभूत संरचना का निर्माण, मेगा सिटी और छोटे और मध्यम शहरों पर फोकस किया है। हालांकि शहरी विकास राज्य का विषय है, ऐसा कम ही संभव है कि राज्य एक समन्वित शहरी विकास, नीतियां और योजना पर सोचें। राज्य योजना आयोग/बोर्ड अपेक्षित रूप से राज्य शहरी विकास कार्यक्रमों में पर्याप्त हाथ नहीं बंटा पाये हैं और ज्यादातर योजना आयोग एक विशेषज्ञ के तौर पर जैसा सुझाव देता है, उस पर ही निर्भर करते हैं। दूसरी ओर, शहरी विकास एक अतिशय महत्व का विषय है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं जैसे बिजली, पेय जल, स्वच्छता और एलपीजी की कमी से जूझते रहते हैं। सड़क पर ट्रैफिक की भीड़, हवा और जल प्रदूषण, नगर निगम का कचड़ा का जमाव सहित कानून-व्यवस्था कुछ अन्य मुद्दे हैं जो शहरी प्रशासन की चिताएं बढ़ाते रहते हैं। शहरी योजना मुख्यत: स्थानीय निकाय, जिसमें नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत जो सामान्यत: यूएलबी के तौर पर जाने जाते हैं, के द्वारा ही तैयार की जानी चाहिए, जिसमें राज्य सरकार का सहयोग हो। शहरी स्थानीय निकायों को उनके काम के अधिकार, वित्तीय स्रोत और स्वायत्ता से सशक्त किये जाने की खासी जरूरत है। यूएलबी की प्रशासनिक, प्रबंधकीय और तकनीकी क्षमताएं बढ़ाने की भी नितांत आवश्यकता है। इसे महसूस किये जाने की जरूरत है कि शहरी योजना को शहरी प्रशासन से अलग नहीं किया जा सकता। संविधान के 74वें संशोधन के तहत विस्तृत शहरी समूह जो कई नगर निकायों में फैले होते हैं और गांवों के अंदर तक विस्तार पाते हैं, के लिए योजना बनाने की देखभाल महानगर योजना समिति द्वारा की जानी चाहिए। भारत के अधिकांश शहरों में प्रभावी शहर योजना का अभाव नजर आता है। अधिकांश नगर योजना प्रासंगिक नहीं रह गयी हैं और इससे न सिर्फ शहरवासियों को बल्कि गांव के लोगों को भी कोई फायदा नहीं होता। यहां तक कि जहां योजना को संशोधित या नया तैयार किया जाता है, वह काम भी सलाहकार या तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए। योजना इस तरह से बननी चाहिए कि शहर के निवासी अपनी जरूरतों के अनुसार सबकुछ प्राप्त कर सकें, यह भागीदारीपूर्ण और विकेंद्रित हो। संविधान के 74वें संशोधन के तहत यूएलबी को लोकतांत्रिक और सशक्त बनाये जाने की भी सख्त आवश्यकता है। अधिकारों और कार्य-दोनों ही में मेयर को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। कई वैश्विक नगरों की समस्याओं का समाधान मेयर की अध्यक्षता में निर्वाचित स्थानीय सरकारों द्वारा किया जा चुका है। उदाहरण के तौर पर लंदन और न्यूयॉर्क के मेयर को

(शेषांश पृष्ठ 18 पर)

शहर, समाज और लोकतंत्रः क्यूरीटीबा का अनुभव

राजेन्द्र रवि

क्यूरीटीबा की स्थापना एक पिछड़े और उपेक्षित शहर के रूप में हुई थी। 1940 में यहां की आबादी 1,25,000 थी और आज वहां की आबादी तीन लाख के करीब है। क्यूरीटीबा इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि मानवोचित जिंदगी बसर करने की चाह किस तरह एक साफ-सुथरे पर्यावरण का स्रोत भी बन सकती है। यह शहर नक्शे में अपनी जगह की वजह से खूबसूरत नहीं है। यहां न तो समंदर के किनारे हैं, न नदियों पर लंबे-चौड़े पुल हैं। न ही संस्कृति या ऐश्वर्य के स्तर पर यह महान है। यह तो एक मझौले आकार का ब्राजीलियन शहर है

सरकार ने भारतवासियों के सपनों को पूरा करने का वादा किया है। उन्हीं वादों में एक है 'सौ स्मार्ट शहरों' का निर्माण। दुनियाभर में जितने भी शहर हैं उनमें अधिकांश का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। इने गिने शहर ही होंगे जिनका निर्माण हुआ है। क्या 'सौ स्मार्ट शहरों' के निर्माण से हमारी समस्याओं का 'निदान' होगा या समस्याओं का समाधान ही हमारे शहरों को 'स्मार्ट' रूप देगा।

आज भारत सरकार के इस एजेंडे को पूरा करने के लिए दुनिया के तमाम बड़े मुल्क अपनी पूंजी का निवेश करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और वे अपने प्रतिनिधिमंडलों के साथ प्रधानमंत्री से मिलकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का वादा कर रहे हैं।

कार्यभार संभालने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान से आरम्भ की। भूटान ने अपने मुल्क के विकास का मानदण्ड जीडीपी के बजाय 'सकल राष्ट्रीय खुशहाली' बनाया है। प्रधानमंत्री की अगली यात्रा ब्राजील की थी। क्या हम कुछ इन मुल्कों से सीख पाएंगे ?

ज्ञातव्य है कि भारत 'ब्रिक्स फोरम' का सदस्य है और माना जाता है कि 'ब्रिक्स फोरम' में शामिल देशों की समस्याओं में काफी एकरूपता है। भारत यूरोप और अमेरिका की तरह नहीं है बल्कि लैटिन अमेरिका के देश ब्राजील की तरह है। भारत और लैटिन अमेरिकी देशों की समस्याएं और समाधान आपस में मेल खाते हैं। भारत और ब्राजील दोनों विकासशील देश हैं। कुछ मुद्दों पर हम से वे सीख सकते हैं और कुछ मुद्दों पर उनसे हम।

आज भारत के तमाम शहर आवास, आजीविका, आवागमन और मौलिक सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। हम पैसे लगाते हैं 'समस्याओं' के 'समाधान' के लिए, लेकिन पैसे खत्म हो जाते हैं और धरी रह जाती हैं हमारे हिस्से की समस्याएं।

ब्राजील का एक शहर है 'क्यूरीटीबा', जिसने शहरी विकास में दुनिया को दिशा दी है। शहरों की समस्याओं और खुशहाली की जांच-परख करने के दौरान हमने कई शहरों का नाम सुना था जिनके प्रशासनों एवं नगर सेवकों ने शहरवासियों की समस्याओं को बेहतरीन तरीके से सुलझाने के लिए पहल की थी, उसमें एक नाम क्यूरीटीबा का भी था। क्यूरीटीबा के बारे में विभिन्न स्रोतों से हमने बहुत सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। कुछ ब्राजीलियन से दोस्ती भी बनाई लेकिन जैसे-जैसे जानकारी बढ़ती गई, वैसे-वैसे इस शहर को रूबरू देखने की जिज्ञासा भी बढ़ती गई। हमने क्यूरीटीबा को देखने की योजना बनाई। मैं देखना चाहता था- इस शहर की खूबसूरती और शहरवासियों से उसके सरोकार। एक सप्ताह तक हम यहां रहे। सुबह-सुबह शहर के सिपाहियों, व्यापारियों, मालियों, सिविल इंजीनियरों, साहित्यकारों व योजनाकारों से बातचीत की। दोपहर बाद हम शहर के विभिन्न इलाकों को देखते-समझते-बूझते शहर के पार तक चक्कर लगाते रहे।

होटल के सामने की सड़क गोल पत्थरों से बनाई गई थी। वहां कारों का आना-जाना माना था। दोनों तरफ रोशनी की कतारें चमचमा रही थीं। यह सड़क आगे जाकर ऐसी ही एक और सड़क से जुड़ जाती थी और वह सड़क

लेखक शहरी सामाजिक योजनाकार, अनुसंधानवेत्ता और शहरी मुद्दे के विशेषज्ञ हैं। इस समय वह 'इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबिलिटी' दिल्ली के निदेशक हैं। वह शहरी नियोजन, शहर में परिवहन आदि विषयों पर पत्र-पत्रिकाओं तथा आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से लगातार अपनी राय रखते रहे हैं। प्रकाशित पुस्तकें: रिक्शा एक महागाथा, रिक्शा जिंदगी है यारों, यथार्थ की धरती और सपना, ट्रैफिक की समझ, गरीब हैं गुलाम नहीं, (सभी हिंदी), सागा ऑफ रिक्शा (अंग्रेजी)। डॉक्यूमेंट्री: द पैडल सोल्जर्स ऑफ इंडिया, साईकिलिंग-मोबिलिटि फॉर इक्विटि। ईमेल: rajendraravi1857@gmail.com

एक लंबे-चौड़े और हरियाली भरे मैदान में जाकर खत्म होती थी। मैदान में सड़क के दोनों तरफ दुकानों की लामबंद कतारें दिखाई पड़ रही थीं। क्यूरीटीबा शहर पहाड़ियों के बीच में बसा है। रात में काफी धुंध रहती है, लेकिन लोग मजे से यहां-वहां टहलते हुए खरीददारी कर रहे थे। आसपास तकरीबन कोई कार नहीं थी। सिर्फ एक चौराहे पर बसों की एक कतार आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। मुझे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि इस शहर की नगर बस व्यवस्था का दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। यहां के पार्कों की घास के रखरखाव का जिम्मा नगरपालिका के लिए काम करने वाले गड़रिये और उसकी तीस भेड़ों के समूह के सुपुर्द रहता है।

इस शहर की कामयाबी सांख्यिकीय दृष्टि से अनपेक्षित-सी मालूम पड़ती थी। इसकी एक वजह तो यह है कि क्यूरीटीबा तुलनात्मक रूप से गरीब शहर है। इस शहर की औसत प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 2500 डॉलर के आसपास बैठती है। इससे भी बुरी बात यह है कि विस्थापित किसानों के पलायन करके शहर में आने के कारण शहर पर आबादी का दबाव बढ़ गया। इस लिहाज से तो यहां की हालत भी साओ पाओलो या मैक्सिको सिटी जैसी भयावह होनी चाहिए थी लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि ऐसा नहीं था। और मैं बार-बार यह सोचता रहा कि ऐसा क्यों नहीं है।

यह शहर नक्शे में अपनी जगह की वजह से खूबसूरत नहीं है। यहां न तो समंदर के किनारे हैं, न नदियों पर लंबे-चौड़े पुल हैं। न ही संस्कृति या ऐश्वर्य के स्तर पर यह महान है। यह तो एक मझौले आकार का ब्राजीलियन शहर है लेकिन जहां तक 'जीने के योग्य' होने की बात है, इस शहर का कोई मुकाबला नहीं। मैं ऐसे किसी शहर में नहीं गया जो जीने के लिए इतना उत्साहजनक और लायक दिखाई देता हो। हाल के एक सर्वेक्षण में बताया गया था कि न्यूयार्क के 60 फीसदी लोग अपने समृद्ध और महानगरीय शहर को छोड़कर चले जाना चाहते हैं। इसके विपरीत क्यूरीटीबा के 99 प्रतिशत बाशिंदों का कहना था कि वे अपने शहर से बहुत खुश हैं। साओ पाओलो के 70 फीसदी लोगों का मानना था कि उनकी नजर में क्यूरीटीबा में जिंदगी बेहतर हो सकती है।

इस शहर में भी झोपड़ियां हैं। कुछ वैसी ही झोपड़पट्टियां जो तीसरी दुनिया के ज्यादातर शहरों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। ऐसे शहरों में आबादी बढ़ने के साथ-साथ शहर के इर्द-गिर्द इस तरह की झोपड़पट्टियां उग आती हैं। लेकिन यहां की झोपड़पट्टियां भी कुछ अलग किस्म की हैं। उनको देखकर एक उम्मीद सी पैदा होती है। ये झोपड़पट्टियां साफ-सुथरी हैं। मिसाल के तौर पर, एक नगर कार्यक्रम के प्रावधान के तहत यदि कोई झोपड़पट्टीवासी एक बोरा कूड़ा इकट्ठा करता है तो बदले में नगर प्रशासन की तरफ से उसे खाने का एक पैकेट दिया जाता है। क्यूरीटीबा इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि मानवोचित जिंदगी बसर करने की चाह किस तरह एक साफ-सुथरे पर्यावरण का स्रोत भी बन सकती है। शहर की यातायात व्यवस्था तो बढ़िया ही है, यहां के बाशिंदे भी शहर के किनारों की बजाय मध्य में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से ब्राजील के बाकी लोगों के मुकाबले यहां प्रति व्यक्ति ईंधन खपत 25 प्रतिशत कम रहती है।

इस शहर की कामयाबी सांख्यिकीय दृष्टि से अनपेक्षित-सी मालूम पड़ती थी। इसकी एक वजह तो यह है कि क्यूरीटीबा तुलनात्मक रूप से गरीब शहर है। इस शहर की औसत प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 2500 डॉलर के आसपास बैठती है। इससे भी बुरी बात यह है कि विस्थापित किसानों के पलायन करके शहर में आने के कारण शहर पर आबादी का दबाव बढ़ गया।

क्यूरीटीबा की स्थापना एक पिछड़े और उपेक्षित शहर के रूप में हुई थी। 1940 में यहां की आबादी 1,25,000 थी। और आज वहां की आबादी तीन लाख के करीब है। पूरे देश के साथ-साथ आधुनिक विकास और कार-बहुल प्रणाली का असर क्यूरीटीबा में भी साफ दिखाई पड़ता था। बहुत सारे ऐसे ही दूसरे असर भी वहां दिखाई देते थे। शहर के मध्य इलाकों में परिवहन व्यवस्था घिसट-घिसट कर चलने लगी थी। हवा में धुएं का ज्यादा जोर था। जाहिर था कि अब शहर को योजनाबद्ध तरीके से बसाने-बढ़ाने का वक्त आ चुका था। परन्तु तमाम बाकी शहरों की तरह यहां भी नियोजन का मतलब 'व्यक्तिगत वाहनों' के लिए नियोजन था।

आधिकारिक योजना में तय किया गया कि शहर की मुख्य सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, उनमें नई लाइनें जोड़ी जाएंगी। इसका मतलब था कि एक सदी पुरानी उन इमारतों को गिरा दिया जाएगा जो मध्य इलाके की सड़कों के दोनों तरफ आसमान से बातें कर रही थीं। इस योजना में तय किया गया कि एक ऐसी जमीनी पुल परियोजना बनाई जाए जिसके जरिए शहर के सारे चौराहे एक-दूसरे से जुड़ जाएं लेकिन इस योजना का लोगों ने प्रतिरोध किया। यह विरोध केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा और वास्तुशास्त्र एवं योजना विभागों में खासतौर से ज्यादा था। इस प्रतिरोध के सबसे मुखर नेतृत्वकर्ता थे जेम लर्नर।

थुलथुल शरीर के स्वामी जेम लर्नर एक दोस्ताना व्यक्तित्व के मालिक हैं। वह 'चीयर्स' होटल में बॉर के सिरे पर खड़े नोर्म से मिलते-जुलते हैं। वह सूट पहन लें तो बड़ा बेतुका महसूस करते हैं। इसीलिए वह क्यूरीटीबा के महापौर रहने के बावजूद आमतौर पर पोलो शर्ट ही पहनना पसंद करते हैं। वह कई बार शहर के महापौर रह चुके हैं। साठ के दशक के आखिर में वह सिर्फ एक युवा योजनाकार और वास्तुकार थे। उनकी परवरिश इस शहर में अपने पोलिश पिता की दुकान में काम करते हुए हुई थी। जेम लर्नर ने उसी जमाने में जमीनी पुल के खिलाफ मुहिम चलाई थी। वह कहते हैं, 'सरकार हमारे शहर के इतिहास को कूड़े में फेंक देने की कोशिश कर रही थी।'

यह एक अच्छी बात है कि जेम लर्नर क्यूरीटीबा में तरह-तरह के लोगों को देखते हुए बड़े हुए थे। उन्हें इस मिश्रित आबादी से लगाव था। कुछ राजनीतिक उतार-चढ़ावों की वजह से महज 33 साल की उम्र में लर्नर ने खुद को क्यूरीटीबा के महापौर की कुर्सी पर बैठे पाया। पलक झपकते उनके तमाम दोस्त और सहकर्मी धूल खाती अपनी-अपनी योजनाएं लेकर उनके सामने हाजिर होने लगे। पलक झपकते ही उन्हें कारों की बजाय आम लोगों के लिए क्यूरीटीबा को शक्ल-सूरत तय करने का मौका मिल गया।

इस तरह नए क्यूरीटीबा की कहानी शुरू हुई। यह कहानी क्यूरीटीबा की केंद्रीय सड़क -रूआ क्विंजे- से शुरू हुई जिसे पुरानी योजना में जमीनी पुल के साए में आंखों से ओझल कर देने का मंसूबा बांधा गया था। लर्नर ने रूआ क्विंजे को अस्त-व्यस्त करने की बजाय इस बात पर जोर दिया कि इस सड़क को पैदल चलने वालों की सुविधा के हिसाब से विकसित किया जाए। इस इंसानी शहर की निजी चाह का यह पहला प्रतीक था। वह

कहते हैं, 'मैं जानता था कि इस काम में हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं दुकानदारों को इस बात का यकीन नहीं दिला सकता था कि इस सड़क को पैदल चलने वालों के लिए आरक्षित कर देने से उन्हें भी फायदा होगा। ब्राजील में तो तब तक इस तरह का कोई 'पेडेस्ट्रियन मॉल' था ही नही लेकिन मुझे यकीन था कि अगर उन लोगों को वाकई 'पेडेस्ट्रियन मॉल' दिखाने का मौका मिल जाए तो वह बस उन्हें देखते रह जाएंगे।

विरोध से निपटने के लिए उन्होंने बहुत एहतियात से अपनी योजना तैयार की। वह बताते हैं ''मैंने अपने सभी कर्मचारियों से कहा कि 'अब युद्ध की तरह तैयारी करनी होगी।' मेरे सार्वजनिक कार्य सचिव ने कहा कि इस काम के लिए दो माह का वक्त लगेगा। मैंने उसे समझाया कि यह काम एक महीने में पूरा हो जाए तो अच्छा रहेगा। कुछ देर खींचतान चली और मैंने उसे एक हफ्ते में काम पूरा करने के लिए मना लिया। उसने कहा, 'ठीक है लेकिन अब कोई बहस नहीं होगी।' मैने कहा, 'चलो ठीक है, शुक्रवार की रात से काम शुरू करते हैं और सोमवार की सुबह तक हमें यह काम पूरा कर लेना है' और उन्होंने कर डाला। उन्होंने फुटपाथों को तोड़कर नए सिरे से बना दिया। सड़क पर लगे गोल पत्थरों को हटा दिया, सड़क पर बत्तियां और खोखे लगा दिए और दसियों हजार फूलों के पौधे जगह-जगह लगा दिए गए।''

इस काम में लर्नर की मदद करने वाले ओसवाल्डो आल्वेस कहते हैं, 'यह एक भयानक जोखिम था। इस दुस्साहस के लिए उन्हें बर्खास्त किया जा सकता था लेकिन सोमवार की दोपहर तक हालत यह हो गई कि जो दुकानदार कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे थे, वही महापौर के पास इस बात की अर्जी लेकर पहुंच गए कि मॉल को और बढ़ा दिया जाए। अगले सप्ताहांत में स्थानीय ऑटोमोबाइल क्लब के कुछ सदस्यों ने धमकी दी कि वह इस सड़क पर अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे जबरन इस सड़क पर अपनी कारें चलाएंगे। लर्नर ने इन लोगों से निपटने के लिए पुलिस को नहीं बुलाया। इसकी बजाय उन्होंने शहर के कर्मचारियों और आम लोगों को सड़क की पूरी लंबाई-चौड़ाई में छोटे-बड़े कागज के टुकड़े लेकर बैठने की दावत दे दी।' जब ऑटो क्लब के लोग मौके पर पहुंचे तो सड़क पर दर्जनों बच्चे बैठकर तस्वीरें बना रहे थे। क्यूरीटीबा की कायापलट का सिलसिला शुरू हो चुका था।

क्यूरीटीबा के नियोजन में किफायत तीन बुनियादी उसूलों में से एक है। शहर की बहुत सारी इमारतों का 'पुनर्नवीनीकरण' किया गया है। योजना मुख्यालय भी एक पुरानी फर्नीचर फैक्ट्री में स्थित है। बारूद डिपो में एक फर्नीचर फैक्ट्री खोल दी गई है। गोंद बनाने वाले एक संयंत्र को बच्चों की पाठशाला में तब्दील कर दिया गया है। रूआ क्विंजे पर स्थित एक पुरानी ट्रॉली स्टेशन को नि:शुल्क बालवाड़ी में तब्दील कर दिया गया है जहां खरीदार अपने बच्चों को कुछ घंटों के लिए छोड़ सकते हैं। शहर के पार्क किफायत के मामले में बुद्धिमानी की एक मिसाल हैं। जब लर्नर ने 1971 में पहली बार कुर्सी संभाली थी तो क्यूरीटीबा का एकमात्र पार्क शहर के मध्य में स्थित था। पासियो पुब्लिको नामक इस आरामदेह चिड़ियाघर और खेल के मैदान में पैडल बोट्स तथा पुराने खूबसूरत वृक्षों के छोटे-छोटे झुंड थे। इन पेड़ों पर वसंत के मौसम में नीले फूल खिलते हैं। आल्वेस बताते हैं कि 'उस पहले कार्यकाल में ही हम बहुत सारे चौराहे और प्लाजा विकसित कर देना चाहते थे। इसके लिए हमने एक जगह चुनी, बहुत सारी दीवारें बनाई और वहां बहुत सारे पेड़ लगा दिए।'

इंजीनियरों ने पूरे शहर में कई जगह छोटे-छोटे बांध बनाकर नदी के पानी को कई झीलों में मोड़ दिया। हर पार्क के बीच में एक झील बना दी गई। व्यवस्था ऐसी थी कि अगर बरसात बहुत ज्यादा हो तो भी झीलों का पानी एक या दो फुट ही ऊपर उठ सकता था। उसके शहर में जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

इत्तेफाक से उसी समय ज्यादातर ब्राजील शहरों में लंबी-चौड़ी बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर काम चल रहा था। क्यूरीटीबा के पास भी शहर से गुजरने वाली पांच नदियों को 'सही रास्ता दिखाने' के लिए पैसा मौजूद था। योजना यह थी कि इन नदियों को कंक्रीट की दीवारों से बांध दिया जाए ताकि शहर को बाढ़ से बचाया जा सके।

आल्वेस बताते हैं, 'बैंकर चाहते थे कि सारी नदियों को मजबूती से घेर दिया जाए ताकि वे पाट के बाहर न बह सकें।' नगर प्रशासन ने इसी काम के लिए कर्जा तो लिया पर उसे नदियों की बजाय जमीन पर खर्च कर डाला। इंजीनियरों ने पूरे शहर में कई जगह छोटे-छोटे बांध बनाकर नदी के पानी को कई झीलों में मोड़ दिया। हर पार्क के बीच में एक झील बना दी गई। व्यवस्था ऐसी थी कि अगर बरसात बहुत ज्यादा हो तो भी झीलों का पानी एक या दो फुट ही ऊपर उठ सकता था। उसके शहर में जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पार्कों की देखभाल के लिए जिम्मेदार निकोलाऊ क्यूपेल कहते हैं कि 'उफनना तो हर नदी का अधिकार है। भला आप उसे कैसे दबा सकते हैं।'

मुख्य रूप से अपनी बाढ़ नियंत्रण योजना की वजह से ही बीस साल में यहां की हरियाली कई गुना बढ़ गई। पहले यहां प्रति व्यक्ति दो वर्ग फुट हरियाली थी जो बीस साल में 150 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई। यह स्थिति तो तब थी जब इस दौरान शहर की आबादी तीन गुना हो चुकी थी। अधिकृत दस्तावेजों और साहित्य में स्वाभाविक गर्व के साथ इस बात को बार-बार दोहराया जाता है कि यह संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मानक -12 वर्ग मीटर- से चार गुना ज्यादा है। क्यूरीटीबा की हर खिड़की से मुझे उतनी ही हरियाली दिखती थी जितनी कंक्रीट दिखाई पड़ती थी। और इसमें क्या शक है कि हरियाली ही खुशहाली का स्रोत है। नए पार्कों के इर्द-गिर्द जमीनों की कीमत तेजी से बढ़ी है और इसी अनुपात में नगर प्रशासन की आमदनी में भी इजाफा हुआ है।

शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन लगता है कि क्यूरीटीबा के लोगों ने अपनी सामाजिक समस्याओं की कमर तोड़ दी है। झोपड़पट्टियों में रहने वाले ज्यादातर लोग गांव-देहात के अपने घर-बाड़ से उजड़ कर आए हैं। इसलिए उनके लिए एक अदद मकान का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। उन्हें सिर्फ एक आश्रय-स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा मकान चाहिए जो उनका अपना हो। अस्सी के दशक के मध्य तक क्यूरीटीबा का सार्वजनिक आवास कार्यक्रम एक तय ढर्रे पर चलता था। यहां किसी भी दूसरे ब्राजील शहर के मुकाबले प्रति व्यक्ति ज्यादा मकान बनाए जाते थे। इन मकानों को छोटे-छोटे जत्थों में शहर के हर कोने में बनाया गया जिससे वह आसपास के इलाकों में आसानी से खप जाएं। पर समस्या तो तब

खड़ी हुई जब इस कार्यक्रम के लिए पैसे का स्रोत बंद हो गया। 1985 में नेशनल हाउसिंग बैंक धराशाही हो गया। उसी समय मकानों की मांग आसमान छूने लगी, क्योंकि गांव-देहात से बड़ी तादाद में लोग झोपड़पट्टियों में आकर रहने लगे थे। छोटे, अलग-अलग मकानों की नीति छोड़ कर नगर प्रशासन ने तय किया कि शहर की जमीन पर कुछ बड़े पट्टों को विकसित किया जाए। इसके लिए कई नदियों से घिरी खेती की जमीन चुनी गई और उसे नोवो बायरों का नाम दिया गया।

सार्वजनिक आवास कार्यक्रम के एक अधिकारी ने बताया, 'अल्प आय तबके के साठ फीसदी लोग निर्माण उद्योग में किसी न किसी स्तर पर जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि घर कैसे बनाए जाते हैं।' और यहीं सबसे हृदयस्पर्शी पहलू सामने आता है: आपको जमीन का सिर्फ टुकड़ा नहीं मिलता। उसके साथ मालिकाने का कागज, दो पेड़- एक फलदार और एक सजावटी- तथा शहर में बैठे आला वास्तुकारों के साथ एक घंटे बात करने का मौका भी मिलता है। एक वास्तुकार ने बताया, 'हमारे पास जो लोग आते हैं वे खुद बताते है कि उन्हें क्या चाहिए - अगली तरफ बड़ी-सी खिड़की या रसोई में कमरा या कुछ भी। वे हमें बताते हैं कि उनके बच्चे कितने हैं, या उनकी जरूरत कितनी है। और इसके बाद हम उनके लिए योजना तैयार करते हैं।' इस वास्तुकार ने शहर में 3,000 से ज्यादा मकानों का नक्शा तैयार किया है।

एक और डिजाइनर ने हमें समझाया, 'ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में सिर्फ एक कमरा ही बना पाते हैं। तब हम उन्हें बताते हैं कि सबसे पहले उन्हें कहां से शुरु करना चाहिए और क्या बनाना चाहिए।'

नेवो बायरों के मध्य में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम के तहत 24 घरों वाली एक 'प्रौद्योगिकी सड़क' बनाई गई है। इन 24 घरों में से हरेक अलग-अलग निर्माण तकनीक से बनाया गया ताकि लोग इस बात का अंदाजा लगा सके कि किस तरह का मकान उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। ये सारे छोटे-छोटे मकान हैं, मगर उनसे उन लोगों के बारे में काफी कुछ पता चलता है जिन्होंने उन्हें बनाया है। आवास परियोजना के मुखिया का कहना है, 'यह एक ऐसा मकान है जो प्यार की बुनियाद पर खड़ा है। इसी वजह से लोग इसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लोग यहीं अपनी जिंदगी संवारेंगे और शहर का हिस्सा बन जाएंगे।'

क्यूरीटीबा शासन की शब्दावली में एकीकरण शब्द बार-बार सुनाई पड़ता है। यह भी यहां के नगर प्रशासन के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक है। इसका मतलब यह है कि पूरे शहर -अमीर, गरीब, और मध्य वर्ग -को सांस्कृतिक, आर्थिक और भौतिक दृष्टि से एक-दूसरे से जोड़ दिया जाए।

नेवो बायरों में सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब बस स्टेशन तैयार किया गया। इस बस स्टेशन के जरिए यह इलाका बाकी शहर से जुड़ गया। क्यूरीटीबा शासन की शब्दावली में एकीकरण शब्द बार-बार सुनाई पड़ता है। यह भी यहां के नगर प्रशासन के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक है। इसका मतलब यह है कि पूरे शहर -अमीर, गरीब, और मध्य वर्ग -को सांस्कृतिक, आर्थिक और भौतिक दृष्टि से एक-दूसरे से जोड़ दिया जाए। हितोशी नाकापूरा शहर के पार्क आयुक्त और लर्नर के पुराने साथी व सहयोगी हैं। बातचीत के दौरान मैंने उनसे नदी के आसपास के इलाके में बसने वाले लोगों के सामने पेश आने वाली समस्याओं के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, 'हमें झोपड़पट्टियों के लोगों से भी संवाद रखना चाहिए। अगर हम उनसे संवाद न रखें, अगर वे अलग-थलग महसूस करने लगें तो वे शहर और समाज के खिलाफ काम करने लगेंगे। अगर हम उनपर ध्यान दें तो वे खुद को लावारिस महसूस नहीं करेंगे। वे सभ्य नागरिक की तरह आत्मविश्वास से पेश आएंगे।'

क्यूरीटीबा का अनुसरण करने के लिए दुनिया को अपनी कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। और सबसे मुश्किल आदत यह है जिसे लर्नर 'एक त्रासद, मरणासन्न रोगी जैसा एहसास' कहते हैं। बहुत सारे शहरों में 'असंख्य लोग ऐसे हैं जो यह साबित करने के माहिर हैं कि अब बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं बची है। मैं उन्हें समझाना चाहता हूं कि जितनी ताकत वे यह साबित करने में लगाते हैं कि कुछ नहीं किया जा सकता, अगर उतनी ही ताकत वे इस कोशिश में लगा दें कि बदलाव लाया जा सकता है तो वाकई बहुत कुछ बदल जाएगा।

आज भारत के योजनाकार तथा खुद प्रधानमंत्री सौ स्मार्ट शहरों को बनाने की

(शेषांश पृष्ठ 55 पर)

योजना

आगामी अंक

अक्टूबर 2014

असंगठित क्षेत्र (विशेषांक)

नवंबर 2014

प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था

झुग्गीमुक्त भारत का एक दृष्टिकोण

अमिताभ कुंडु

मलिन बस्तियों के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) से उपलब्ध आंकड़े उनकी विशिष्टताओं के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने में मदद करते हैं। वास्तव में एनएसएस के आगामी सर्वेक्षण में मलिन बस्तियों की कुछ विशिष्टताओं को भी तर्कसंगत तरीके से शामिल करना संभव होना चाहिए, ताकि उनकी पहचान अधिक सारगर्भित हो सके। इन आंकड़ों के आधार पर यह तर्क किया जा सकता है कि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में औसतन 70 प्रतिशत मलिन बस्तियां स्थायी तौर पर बसी हुई हैं

भारत के शहरी क्षेत्रों को मलिन बस्ती रहित बनाने के सरकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई राजीव आवास योजना की संकल्पना और संचालन के बीच काफी बड़ा अंतर है। इस योजना ने विभिन्न तिमाहियों के दौरान कई प्रकार से उम्मीदें जगाई हैं। गरीब और बेघर लोग जो आजादी के बाद से ही अपने लिए किसी प्रकार के आश्रय की उम्मीद लगाए बैठे थे, वे अब इस योजना के वास्तविकता में बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। रीयल एस्टेट लॉबी जो आधे दशक पहले तक इस डर में थी कि आवास योजना का ये बुलबुला किसी भी समय फूटने ही वाला है उन्हें अब इस क्षेत्र में व्यापक रियायतें और प्रोत्साहन की आस नजर आ रही है। इसी प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र को भी आवासीय ऋण की पेशगियों में वृद्धि के माध्यम से बड़ी कमाई की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। इस योजना से सबसे ज्यादा खुश शहरी मध्यम वर्ग और धनाढ्य वर्ग के लोग हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि इससे उनके शहर कानून और व्यवस्था, गंदगी जैसी अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों से बच जाएंगे, जो समस्याएं आम तौर पर झुग्गी झोपड़ियों से जुड़ी होती हैं। उन्हें इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि इस योजना की पूर्ति झुग्गियों को हटाकर की जाए या फिर उसी स्थान पर इन बस्तियों का उन्नयन कर की जाए।

परिचालन और ढांचा

इस योजना की शर्तों और सामग्रियों का अपवर्जनात्मक शहरीकरण के पैटर्न के संदर्भ में परीक्षण किया जाना आवश्यक है, जो देश में पिछले तीन दशकों से चला आ रहा है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेनुरम) इस मामले में एक प्रभावी उदाहरण पेश करता है। वास्तव में यह राजीव आवास योजना के लिए सही मायने में शुरूआती कदम की परिकल्पना देता है। राजीव आवास योजना की संकल्पना का आकलन स्मार्ट और विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के योग्य शहरों की बढ़ती मांग के संदर्भ में किया जाना चाहिए। विशेष तौर पर राजीव आवास योजना के ढांचे का परीक्षण शहरों में जमीन की उपलब्धता, मलिन बस्तियों के स्थायित्व, झुग्गी में रहने वाले लोगों की पात्रता और उनके सामर्थ्य (कुंडु) के संदर्भ में किया जाना चाहिए। ये सभी चार मुद्दे जेनुरम या राजीव आवास योजना के जनसांख्यिकीय विकास और गरीबों की भागीदारी पर सीधा असर डालते हैं। जो शहर की आर्थिक रूप से शामिल करने की नीति और शहरों की दक्षता का प्रतिबिंब हैं, जिसकी पहले चर्चा की गई है।

जमीन की उपलब्धता और स्थायीकरण

राजीव आवास योजना का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कार्यान्वयन समितियों द्वारा निशुल्क जमीन उपलब्ध कराए जाने का है। यदि कोई शहर या राज्य मिशन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराता, तो यह योजना के तहत केंद्र सरकार से धन की मांग नहीं कर सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि किस तरह एक स्थानीय निकाय निशुल्क जमीन अधिग्रहीत कर उपलब्ध करा सकता है। कोई यह कल्पना कर सकता है चूंकि किसी शहरी जनसंख्या में लगभग 18

लेखक वेर्जबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर तथा दिल्ली नीति समूह, भारत में वरिष्ठ फैलो हैं। वह जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र में भी प्रोफेसर हैं। वह एमस्टर्डम विश्वविद्यालय मेसन डी सांइस, पेरिस तथा कैसर्सलाटन विश्वविद्यालय में भी अतिथि प्राध्यापक रहे हैं। इस समय वह भारतीय रिजर्व बैंक की आवासन संबंधी एक समिति के अध्यक्ष हैं। ईमेल: akundu.juu@gmail.com

से 20 प्रतिशत झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है, इसलिए मात्र 3 से 4 प्रतिशत जमीन हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि अधिकांश मलिन बस्तियां शहरों के केंद्र में स्थित हैं, जिन्हें हड़पने के लिए निहित स्वार्थी तत्व हमेशा ताक में रहते हैं।

इस मुद्दे से जुड़ा एक सवाल इन भूमियों के स्थायित्व का भी है। राजीव आवास योजना के दिशा निर्देश संबंधी दस्तावेज में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन भूमियों के 75 प्रतिशत हिस्से में झुग्गियां हैं उन्हें स्थाई मलिन बस्तियां माना जाए और केवल अस्थाई झुग्गियां जिनमें 25 प्रतिशत से ज्यादा घर न हों, उन्हें ही कहीं और स्थानांतरित किया जाए। यद्यपि 70 से 75 प्रतिशत झुग्गियों वाली भूमि का ही स्थायी बस्ती के रूप में विचार करने की बात कही गई है, अन्य लोगों के लिए भूमि हासिल करने में भी कई परेशानियां आएंगी क्योंकि मलिन बस्तियों के विकास में उसी स्थान पर उनका उन्नयन करने की प्रणाली महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बाकी 25 प्रतिशत झुग्गीवासियों के लिए अन्यत्र व्यवस्था करना अधिक मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उनमें से अधिसंख्य निवासियों को स्थायी बस्तियों के लिए उपलब्ध भूमि में ही समायोजित किया जा सकेगा।

हालांकि जमीनी हकीकत इससे बहुत भिन्न है। शहर और राज्य के स्तर पर कोई ऐसी संस्था या निकाय नहीं है जो अपनी अतिक्रमण की हुई भूमि को स्थायी घोषित करने की स्वीकृति दे। वो इसे झुग्गीवासियों से पुनः हासिल कर उस भूमि का उपयोग धन उत्पन्न करने के लिए स्वयं करना चाहते हैं। व्यवहार में, जब शहर के मास्टर प्लान में किसी भूमि का उपयोग तय नहीं हो और उस संपत्ति का कोई स्वामी भी न हो तो उसे स्थायी माना जाता है। अनेक शहर ऐसी भूमि का उपयोग वैश्विक और राष्ट्रीय पूंजी आकर्षित करने के लिए करने का प्रयास करते हैं, वे पूरे स्थायीकरण के मामले को लाभ की दृष्टि से आंकते हैं। इसलिए भूमि के मूल्य के आधार पर ही स्वामित्व के मामले का निर्धारण करते हैं और शहर या इसकी सीमा में मौजूद कम मूल्य की भूमि को ही स्थायी घोषित करते हैं (कुंडु 2012)।

भूमि की अनुपलब्धता और स्थायित्व की परिभाषा और धारणाओं ने राजीव आवास योजना को विभिन्न शहरों में असफल बना दिया है। यही स्थिति जेनुरम के साथ भी है। बड़े शहरों में नागरिक संगठनों सहित विभिन्न स्थानीय संस्थाएं अस्थाई ढांचे के उपनियमों का हवाला देते हुए सरकार पर दबाव डालती हैं कि उनकी भूमि का अधिग्रहण मिशन के लिए न किया जाए। अधिकतर मामलों में, कार्यान्वयन एजेंसी या जिला स्तर के प्राधिकरण अधिकारी जमीनी स्तर पर जड़ें फैलाए निहित स्वार्थी तत्वों की वजह से इन बस्तियों को स्थायी करने से संबंधित मुद्दों को हल करने में सफल नहीं हो पाते। राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने सलाह दी थी कि जिलाधीशों को स्थायित्व के मसले को हल करने की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को इन बस्तियों को स्थायी बनाने के मानदंडों और विशिष्टताओं से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश देने होंगे अन्यथा जिलाधीशों के लिए इन समस्याओं को निपटाना संभव नहीं होगा।

भूमि की अनुपलब्धता और स्थायित्व की परिभाषा और धारणाओं ने राजीव आवास योजना को विभिन्न शहरों में असफल बना दिया है। यही स्थिति जेनुरम के साथ भी है। बड़े शहरों में नागरिक संगठनों सहित विभिन्न स्थानीय संस्थाएं अस्थाई ढांचे के उपनियमों का हवाला देते हुए सरकार पर दबाव डालती हैं कि उनकी भूमि का अधिग्रहण मिशन के लिए न किया जाए।

मलिन बस्तियों के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) से उपलब्ध आंकड़े उनकी विशिष्टताओं के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने में मदद करते हैं। वास्तव में एनएसएस के आगामी सर्वेक्षण में मलिन बस्तियों की कुछ विशिष्टताओं को भी तर्कसंगत तरीके से शामिल करना संभव होना चाहिए, ताकि उनकी पहचान अधिक सारगर्भित हो सके। इन आंकड़ों के आधार पर यह तर्क किया जा सकता है कि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में औसतन 70 प्रतिशत मलिन बस्तियां स्थायी तौर पर बसी हुई हैं। महाराष्ट्र के लिए राजीव आवास योजना के अंतर्गत तर्कसंगत रूप से स्थायी मलिन बस्तियों की निर्धारित संख्या से कम की घोषणा न करना बाध्यकारी होगा। कुछ शहरों में यह आंकड़ा 65 प्रतिशत भी हो सकता है और कुछ अन्य शहरों में 75 से 80 प्रतिशत तक। चूंकि इस तरह के मानदंड केंद्रीय और राज्य स्तर पर निर्दिष्ट नहीं हैं, स्थानीय प्रशासन के लिए यह आसान हो जाता है कि वह केवल 25 से 30 प्रतिशत ही स्थायी बस्तियों की घोषणा कर छुटकारा पा जाए। जब तक केंद्र और राज्य सरकारें दिशा निर्देशों के जरिए स्थायी बस्तियों के बारे में कोई स्पष्ट परिभाषा न दें, तब तक इस मुद्दे का स्थानीय स्तर पर निराकरण नहीं हो सकता और इसका कानूनी अड़चनों से गुजरना तय है। हालांकि जब इसका हल निकल आएगा, तब किसी भी राज्य में 75 प्रतिशत आबादी वाली मलिन बस्तियों को स्थायित्व का दर्जा हासिल हो जाएगा। ऐसे में स्थानीय प्रशासन संसाधनों के सृजन के नाम पर ज्यादा भूमि हड़पने में सफल नहीं होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इन क्षेत्रों को निजी बिल्डरों को व्यवसाय के लिए भी नहीं दिया जा सकेगा।

पात्र परिवारों की पहचान

भूमि की उपलब्धता और स्थायित्व संबंधी सवालों को आपूर्ति पक्ष की समस्याओं के संदर्भ में देखना जरूरी है। जबकि मांग पक्ष में परिवारों की पात्रता और सामर्थ्य निर्धारित करने का मुद्दा शामिल है। वास्तव में, इस योजना के संचालन में रियायती आवासों की पात्रता एक महत्वपूर्ण प्रतिवाद है। एक मलिन बस्ती में कोई यह कैसे तय करेगा कि कौन किसी भूमि का मालिकाना हक और मकान हासिल करने की पात्रता रखता है। बहुत से नागरिक संगठन और संस्थाएं बहस करती हैं कि कोई किसी भी प्रक्रिया का उपयोग करे और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो झुग्गी में उपस्थित हो उसकी पात्रता पर विचार किया जाना चाहिए। यह जानी हुई बात है कि शक्तिशाली भू-माफिया मलिन बस्तियों से अपने कार्य का संचालन करते हैं। इसलिए पात्र परिवारों की पहचान करने के मानदंड निर्दिष्ट करना जरूरी है। अगर यह कार्य किसी सरकारी संस्था को दिया जाता है, तो यह अनिवार्य रूप से मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे निर्दिष्ट दस्तावेजों की जांच निश्चित तौर पर करेगा, जो मिशन के उद्देश्य को विफल कर देगा क्योंकि बहुत से झुग्गीवासी दशकों से एक

ही स्थान पर रहने के बावजूद ये दस्तावेज हासिल करने में असफल रहे हैं।

सोसाइटी फॉर द प्रोमोशन ऑफ एरिया रिसोर्स सेंटर (स्पार्क) ने 1990 के उत्तरार्द्ध में महाराष्ट्र की राज्य सरकार और मुंबई नगर निगम के सहयोग से इस दिशा में बहुत ही अच्छा काम किया था। उन्होंने संयुक्त रूप से 16-17 पृष्ठों का एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया था, जिसमें किसी पते पर हासिल किया गया पत्र, कुछ भूमि हस्तांतरण के कागजात, किसी पते से संबंधित मेडिकल बिल जैसी विचार योग्य वस्तुएं शामिल थीं। इनमें से किसी के भी अनुपस्थिति के बावजूद, 20 परिवारों ने एक सामूहिक बैठक में पहचाना कि वह व्यक्ति दिए हुए स्थान पर खास अवधि तक रहा, जिसे कि स्वीकार्य सबूत के तौर पर माना गया। यह सब एक सर्वेक्षण के जरिए किया गया, जिसमें निगम और राज्य के अधिकारी, नागरिक संगठनों और समुदायों ने भागीदारी की। चारों संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए और पात्र परिवारों के नाम पर जमीन का कब्जा दिया गया।

इस तरह के सर्वेक्षण के परिचालन के लिए, शहर में झुग्गीवासी के आगमन की एक कट-ऑफ तिथि का निर्धारण करना होगा, हालांकि यह सब एक बार में ही तय होना आवश्यक नहीं है। इस तरह के सर्वेक्षण औपचारिक, लेकिन भागीदारीपूर्ण होने चाहिए, जिनमें कागजात और प्रक्रिया की आवश्यकताओं के संबंध में कुछ लचीलापन होना आवश्यक है।

सबसे जरूरी है कि इस तरह के सर्वेक्षण को राज्यों और स्थानीय सरकार के संबंधित विभाग की भागीदारी से कुछ कानूनी आधार हासिल होना। स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। दुर्भाग्यवश जेनुरम या राजीव आवास योजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों के लिए किए गए सर्वेक्षणों में भारी राशि खर्च की गई है। सर्वेक्षणों के लिए प्रश्नावली तैयार करने के लिए बैठकें की गईं और दस्तावेजों की सूची का निर्धारण किया गया, जिन्हें स्वीकार्य माना जाए। दुर्भाग्यवश, विभिन्न शहरों में राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से प्रक्रिया या दस्तावेजों की सूची तय किए बिना ही सर्वेक्षण कराए गए।

मकान खरीदने का सामर्थ्य

मिशन के लिए बैंकों की वित्त संबंधी स्वीकृति के लिए पात्रता मानदंड अपनाने का परिपेक्ष्य एक महत्वपूर्ण चिंता का विशय है। दीपक पारेख समिति (सस्ते आवास के लिए समिति, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, 2004) ने बड़े ही खुले तरीके से सस्ते घरों को परिभाषित किया है। समिति ने तय किया कि प्रत्येक परिवार इसके लिए मासिक किश्त अदा करेगा और मौजूदा कीमत के हिसाब से ऋण की अदायगी के लिए लगभग 3000 रुपये के हिसाब से किश्त अदा की जाएगी। अगर हम और अधिक गरीबी की रेखा में जीने वालों को देखें तो यह 32 रुपये प्रतिदिन होगा, जिसे उपभोक्ता मूल्य-सूचकांक के हिसाब से सामयिक बनाया जाएगा। अगर हम दिल्ली के लिए शहर विशिष्ट मूल्य-सूचकांक उपयोग में लाते हैं तो उसके आधार पर गरीबी की रेखा में रहने वाले औसत आकार के परिवारों की मासिक आय लगभग 6,500 रुपये होने का अनुमान किया गया। छोटे कस्बों के लिए यह आंकड़ा लगभग 5800 रुपये से 6000 रुपये के आस-पास है। यह कोई अच्छी आय नहीं है, लेकिन आज भी शहरी आबादी का 20 प्रतिशत इसी दबावपूर्ण हालातों के बीच जीने के लिए मजबूर है। ये ऐसे परिवार हैं, जिन्हें तुरंत मिशन द्वारा ध्यान दिए जाने की जरूरत है न कि ऐसे परिवार जो 3000 रुपये प्रतिमाह की ऋण अदायगी की सामर्थ्य रखते हैं।

एक पिछली गणना के अनुसार, यह स्पष्ट है कि सही मायने में गरीब परिवार इस मासिक किश्त को अदा करने में सक्षम नहीं हैं। शहरी जनसंख्या के सबसे निचले स्तर के 30 प्रतिशत लोगों पर खपत-व्यय के आधार पर तैयार किए गए एनएसएस के 2009-10 के आंकड़ों के आधार पर कोई भी यह बहस कर सकता है कि ये 30 प्रतिशत लोग महीने में 850 रुपये से ज्यादा की किश्त अदा नहीं कर सकते हैं, जो कि उनके कुल गैर-खाद्य व्यय के बिल्कुल बराबर है।

मौजूदा कीमतों के अनुसार संशोधित मासिक किश्त की राशि 1000 रुपये होगी। यह स्पष्ट है कि 2800 रुपये से 3000 रुपये की मासिक किश्त सबसे ज्यादा जरूरतमंद को इस लाभ से वंचित करने के समान होगा। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े शहरों में 1000 रुपये की मासिक किश्त में उचित आवासीय इकाई नहीं उपलब्ध कराई जा सकती है, यहां तक कि वह भूमि सरकारी विभाग से ही क्यों न ली गई हो। अगर बैंक विनियोजन मिशन की एक महत्वपूर्ण चिंता है तो राजीव आवास योजना के अंतर्गत तैयार झुग्गी इकाईयों के निर्मित क्षेत्र का आकार कम करके 120 फीट किया जा सकता है। योजना के लिए स्वीकृत न्यूनतम 180 वर्ग फीट का स्थान मुहैया कराने में अतिरिक्त ब्याज और नकद रियायत (सबसिडी) देनी पड़ेगी।

जेनुरम शहरों में अपवर्जनात्मक शहरीकरण

पैंसठ ऐसे बड़े शहरों को ध्यान में रखते हुए जहां जेनुरम लागू किया गया, कोई भी यह जान सकता है कि (अ) वहां जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आई है और सबसे अहम बात (ब) शहरी क्षेत्रों में स्लम आबादी में नाटकीय रूप से कमी आई है। इस बात का अनुमान कोई भी जनगणना 2011 और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) 69 वें दौर के आंकड़ों से लगा सकता है। वास्तव में स्लम आबादी के प्रतिशत में कमी के तथ्य को शहरों की स्वच्छता में हुई वृद्धि की रोशनी में देखा जाना चाहिए। जिसमें इन मलिन बस्तियों की बेदखली और इन्हें शहर की परिधि में धकेलना भी शामिल है। हालांकि बुरी हालत में स्थित मलिन बस्तियां, जिनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उन्हें गिराने की बात समझ में आती है। इससे मलिन बस्तियों में रहने वालों की औसत गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसकी वजह से मूलभूत सुविधाओं का उपयोग करने वालों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। साथ ही मलिन बस्तियों के स्थानांतरण और इनके परिधिकरण से नागरिक सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग संभव हो सका है।

सभी जनसांख्यिकीय संकेतकों में जेनुरम अपने सभी 65 मिशन शहरों में अपवर्जनात्मक साबित हुई है। यहां भी जनसंख्या की वृद्धि और गरीबी की दर में भी पर्याप्त गिरावट आई है। अधिकांश जेनुरम शहरों के जनसांख्यिकीय विकास में तेजी को प्रजनन या मृत्यु दर में गिरावट की प्रवृत्ति का कारण नहीं माना जा सकता है। इसे इन शहरों में प्रवासियों के अवशोषण की दर में कमी के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। आगे एनएसएस के विश्वसनीय सबूतों के आधार पर कह सकते

हैं कि दस लाख से अधिक जेनुरम शहरों में गरीब का प्रतिशत काफी नीचे आ गया है।

संचालन के लिए एक परिप्रेक्ष्य

योजना बनाने वालों और प्रशासकों के मध्य यह मान्यता बढ़ी है कि बड़े शहरों के मुकाबले छोटे और मंझोले शहरों में अधिक गंभीर ढांचागत कमियां हैं और यहां ज्यादा बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसे देखते हुए नीति निर्माताओं को मजबूर किया जाना चाहिए कि वह इन कस्बों में बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी सुविधाओं की कमी पर ज्यादा ध्यान दें। वर्तमान में जेनुरम और राजीव आवास योजना के अंतर्गत बड़े शहरों पर विशेष जोर देने की स्थिति में बदलाव होना चाहिए। छोटे और मंझोले शहरों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जेनुरम की तरह का ही मिशन शुरू किए जाने की आवश्यकता है। 2011 की जनगणना में ऐसे 2800 नए नगरों की पहचान की गई है, जिनमें से अनेक ने गैर-कृषि गतिविधियों में वृद्धि और अर्थ-व्यवस्था में विविधीकरण की संभावनाएं दर्शायी हैं। जब तक कि इन नगरों को विशेष आधारभूत सहायता नहीं मुहैया करवाई जाती वे भविष्य में उभरते हुए वृद्धि केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे और यहां तक कि इनमें से कई शहरी परिदृश्य से गायब भी हो सकते हैं। बड़ी संख्या में छोटे और मझोले शहरों को आधारभूत सहायता मुहैया कराना, देश के संतुलित स्थानिक विकास को सुनिश्चित करने की रणनीति का एक मुख्य घटक है।

राजीव आवास योजना की अवधारणा और संचालन एक अलग दिशा में अग्रसर है, इसमें राष्ट्रीय और शहरी स्तर पर योजनाकारों के मध्य गंभीर संवादहीनता दिखाई देती है। भूमि पर अधिकार रखने वाली स्थानीय एजेंसियां यथास्थान उन्नयन को लगभग पूरी तरह से नकारती हैं। सभी भूमि का स्वामित्व रखने वाले निकायों ने मलिन बस्ती के अंतर्गत आने वाली जमीन को किसी एक या अन्य कारण से अस्थाई घोषित किया हुआ है। दूसरी ओर झुग्गीवासी कई कारणों से शहर से बाहर स्थानांतरित होना नहीं चाहते। इन जमीनी हकीकतों को देखते हुए मलिन बस्ती रहित भारत का सपना हासिल करना असंभव सा बन गया है। यह भी जानी हुई बात है कि यदि 60 से 70 प्रतिशत भूमि को स्थाई घोषित किया जा सके, तो मौजूदा मलिन बस्तियों में रहने वाली कुल आबादी का दो से तीन गुना लोग 2-3 माले के भवन निर्माण और बस्तियों के बेहतर डिजाइन के जरिए समायोजित किए जा सकते हैं।

इस मिशन को एक भागीदारी ढांचे के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। आवासों का निर्माण झुग्गीवासियों के जागरूक सहयोग से उनकी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसे सरकारी सहायता प्रदान की गई हो। हालांकि निजी बिल्डरों की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। विशेषकर बड़े शहरों में जहां जमीन की काफी कमी है लेकिन उन्हें इस बात की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि वह गरीबों के नाम पर बहुमंजिले भवनों का निर्माण करें और उन्हें बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत हों। इस योजना के दो बुनियादी घटक हैं: एक आवास और दूसरा ढांचागत और मूलभूत सुविधाएं। दुर्भाग्यवश जेनुरम के अंतर्गत दोनों के मध्य संतुलन कायम नहीं किया गया और गरीब वर्ग के लिए मूलभूत सुविधाओं (बीएसयूपी) का स्थान बहुमंजिला भवनों के निर्माण की योजना ने ले लिया। यह समझने वाली बात है कि ये आवास गरीब तबके के लोगों की सामर्थ्य से बाहर हैं और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सीमित संसाधनों की वजह से इस तरह की योजनाओं के अंतर्गत पूरे शहर को कवर नहीं किया जा सकता है।

अगर हम यह विश्वास करें कि झुग्गीवासियों को आवास मुहैया कराने के लिए गंभीर प्रयास किया गया है, तो मिशन के लिए निशुल्क भूमि भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। निर्मित क्षेत्र व्यवहारिक तौर पर 180 से 200 फीट के मध्य होना चाहिए, ताकि परिवारों के लिए ऋण की अदायगी संभव हो सके। ❑

संदर्भ

- ***दीपक पारीख टास्कफोर्स (2008):*** *रिपोर्ट ऑफ हाई लेविल टास्क फोर्स: अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलीवेशन मिनिस्ट्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।*
- ***कुंडु, अमिताभ, (2012:*** *द चैलेंज ऑफ मेकिंग इंडियन सिटीज़ स्लम फ्री, इंडिया एट एलएसई, द लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, लंदन, अक्टूबर।*
- ***आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार:*** *राजीव आवास योजना, गाइडलाइन्स फॉर स्लम-फ्री सिटी प्लानिंग।*

(पृष्ठ 10 का शेषांश)

अपने-अपने नगरों के नीतिगत प्रशासन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है और उन्हें प्रचुर संसाधनों के साथ-साथ राजनीतिक शक्तियां भी दी गयी हैं। जब शहरी निकाय शक्ति और संसाधन-विहीन हो जाते हैं, तब उनपर प्रभावी निकाय जैसे शहरी विकास प्राधिकरण आदि शहर पर काबिज हो जाते हैं और जमीन और आधारभूत संरचना को प्रोत्साहन मिलने लगता है। दूसरी ओर, मूलभूत क्षेत्र जैसे पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास आदि उपेक्षित होने लगते हैं। जैसा कि शहरी विकास राज्य का विषय है, राज्य सरकारों को शहरों की भूमिका पर गंभीरता से सोचना होगा और स्थानीय निकायों को सशक्त करते हुए शहरी सुधार लागू करने होंगे-प्रशासनिक और वित्तीय दोनों ही तरह से। हमें शहरों की कल्पना इस रूप में करनी होगी कि वे मानव विकास के इंजन बनें, न कि कुछ लोगों के लिए पूंजी उगाहने का साधन बन कर रह जायें। ❑

संदर्भ

- ***आशीष बोस (1980):*** *इंडियाज अरबनाइजेशन 1901-2001, द्वितीय पुनरीक्षित संस्करण, टाटा मैग्रॉ हिल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, न्यी दिल्ली*
- ***आरबी भगत ऐंड एस मोहंती (2009):*** *'इमर्जिंग पैटर्न ऑफ अरबनाइजेशन ऐंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेशन इन अर्बन ग्रोथ ऑफ इंडिया- एशियन पॉपुलेशन स्टडीज', वॉल्यूम 5 नंबर-1,2009, पीप-5-20*
- ***योजना आयोग, (2008):*** *ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12), अंक 3: एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, सर्विसेज ऐंड फिजिकल इनफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली: 394-422*
- ***योजना आयोग, भारत सरकार (2013):*** *बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17), वॉल्यूम-2: इकोनॉमिक सेक्टर्स, सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली: 318-361*
- ***योजना आयोग, भारत सरकार (2010):*** *संदर्भ सामग्री 2010, विभिन्न डिवीजनों की कार्यप्रणाली के नोट्स, योजना आयोग, भारत सरकार, नयी दिल्ली*
- ***एचपीईसी (हाई पावर एक्सपर्ट कमिटी) (2011):*** *रिपोर्ट ऑन इंडियन अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर ऐंड सर्विसेज, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार*
- ***आर रामचंद्रन (1989):*** *अर्बनाइजेशन ऐंड अर्बन सिस्टम्स इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली*
- ***अन्नपूर्णा शॉ (1996):*** *'अर्बन पॉलिसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया: ऐन अप्रेजल' इकॉनोमिकल ऐंड पॉलिटिकल वीकली, जनवरी 27, पीपी. 224-228*

भारतीय शहरों में ग्रामीण समावेश

नरेन्द्र पणि

बंगलुरु में और यकीनन ज्यादातर भारतीय शहरों में गांव का प्रभाव बहुआयामी है। ऐसे प्रभाव शहर की भौगोलिक सीमाओं के भीतर और साथ ही साथ उससे कुछ दूरी पर स्थित गांवों के स्थानों में उभर सकते हैं। गांवों को समाहित करने की गतिशीलता सभी भारतीय शहरों में समान होने की उम्मीद करना ज्यादती होगी। ऐसे में भारतीय शहरों को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों और यहां तक कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए एक प्रभावी शहरी नीति तैयार की जानी चाहिए

भारत में नीति विमर्श आम तौर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा के आधार पर होता रहा है। 1970 के दशक में भारतीय नीति निर्माताओं पर शहरी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का आरोप लगा (लिप्टन, 1977), जैसा कि हाल के दिनों में उन पर ग्रामीण पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने का आरोप लगा है (शिवरामकृष्णन, 2011) लेकिन अगर हम वैश्वीकरण से प्रेरित सीमाओं को लेकर होने वाली चर्चाओं पर ध्यान दें तो यह देखना मुश्किल नहीं है कि इस तरह के कठोर सीमांकन को पूरी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सास्किया ससेन का विचार है कि इन सीमाओं को मोटे तौर पर दो रूपों में देखा जा रहा है। ''एक यह है कि, सीमा उत्पाद, व्यक्ति, और साधन में अंतर्निहित है: एक मोबाइल एजेंट सीमा की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समाहित करता है। दूसरा यह है कि सीमा के लिए कई स्थान हैं, चाहे वे फर्म के अंदर हो या लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय डोमेन में हों'' (ससेन, 2006 पृ. 416)। ये दोनों प्रकार की सीमाएं शहरी और ग्रामीण के बीच मौजूद हैं और भारतीय शहरों में इनके तेजी से बढ़ने के साक्ष्य उपलब्ध हैं।

अपने गांवों के साथ मजबूत संबंध रखने वाले, शहरी केंद्रों में रोजगार की तलाश कर रहे लोग, यहां तक कि जब वे शहरी लोकाचार में रहते हैं, तब भी वे ग्रामीण के मजबूत तत्वों का पालन कर रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में वे अक्सर अपने साथ ग्रामीण की सीमाओं को भी ले जाते हैं, और अक्सर वे इसे शहर में गहराई तक ले जाते हैं। ग्रामीण और शहरी के बीच की सीमा के कई स्थानों को तब भी बनाया जाता है जब भारतीय शहर अपने विकास के रूप में गांवों को समाहित करते हुए अपना क्षैतिज विस्तार करते हैं। गांव के मुख्य क्षेत्र शहरी केंद्रों में समाहित होने के बाद दशकों तक ग्रामीण भावना को बनाए रख सकते हैं। ग्रामीण फिर भारतीय शहरों में गहराई से अंतर्निहित होते हैं; इतना ज्यादा कि वे खुद में ग्रामीण भूमिका पर कुछ स्पष्टता के बिना भारतीय शहरों को समझने का दावा नहीं कर सकते हैं।

भारतीय शहरों में ग्रामीण के प्रभाव में तब दो बिल्कुल अलग सीमाओं के समझौते शामिल होते हैं। पहला, शहर में समाहित हो चुके गांव और इसके आसपास और यहां तक कि इसके अंदर भी शहरी विकास के बीच एक स्थायी सीमा; और दूसरा, शहर और उससे कुछ दूरी पर गांव के बीच सीमा, ऐसी सीमा जो व्यक्तियों में अंतर्निहित हो जो शहर और उनके साथ लाये उत्पादों में भी हो। यहां तक कि इन समझौतों के एक संक्षिप्त अन्वेषण, जैसाकि इस शोधपत्र में किया गया है, से भी स्पष्ट होता है कि शहरी स्थितियों को ग्रामीण क्षेत्रों की घटनाओं से प्रभावित किया जा सकता है। एक प्रभावी शहरी नीति तब ग्रामीण को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। संक्षिप्तता की खातिर यह शोधपत्र एकमात्र भारतीय शहर, बंगलुरु के अनुभव पर ध्यान देगा।

शहरों के भीतर गांव

गांवों को समाहित करने की गतिशीलता सभी भारतीय शहरों में समान होने की उम्मीद करना ज्यादती होगी। जिन गांवों को अपेक्षाकृत

नरेन्द्र पणि राष्ट्रीय उच्च अध्ययन संस्थान, बंगलुरु में प्रोफेसर हैं। देश-विदेश में उनके कई शैक्षणिक आलेख प्रकाशित हो चुके हैं और सम-सामयिक नीति निर्माण को समझने के लिए गांधीवादी सिद्धांतों को प्रभावी माध्यम में काफी योगदान दिया है। ईमेल: narendar.pani@gmail.com

कम विनिर्माण इकाइयों को बनाने के लिए समाहित किया जा रहा है और उनमें से जिन्हें एक बहुत अलग तरह के एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाने के लिए समाहित किया जा रहा है, उनमें गांवों के साथ-साथ शहरों के भीतर भी कई प्रकार के मतभेद हो सकते हैं लेकिन अंतर्दृष्टि हासिल करने के लिए इस तरह की एक प्रक्रिया के एक उदाहरण को करीब से देखना उपयोगी होगा जिनका अन्य स्थितियों और शहरों में अनुभव से परीक्षण किया जा सकता है। अपने परिधान निर्यात उद्योग के विकास के संदर्भ में बंगलुरु के गांवों को समाहित करना, इस प्रकार की गतिशीलता का एक उदाहरण पेश करता है। बंगलुरु में मुख्य रूप से महिला परिधान श्रमिकों की मुख्य विशेषता यह है कि उनके काम की परिस्थितियों और उनके रहने की स्थिति के बीच बहुत बड़ा फर्क है। बंगलुरु के परिधान निर्यात उद्योग में महिला श्रमिकों के घरों की स्थिति, उनके कारखाने के भीतर की स्थिति के साथ-साथ बंगलुरु की वैश्विक छवि को एक विपरीत स्वरूप प्रदान करती है। नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, बंगलुरु, (एनआईएएस) के द्वारा 2009 में किया गया एक सर्वेक्षण इन महिलाओं की स्थितियों का अवलोकन प्रदान करता है।

तालिका 1 से महिला श्रमिकों और उनके घरों की कहानी का पता चलता है। आय अर्जित कर रही महिला श्रमिकों को गरीबी रेखा से ऊपर रखा गया था, लेकिन उनमें सभी महिलाएं तो शामिल नहीं थीं। काफी संख्या में महिला श्रमिकों के परिवारों के पास अपना खुद का घर नहीं था और उन्हें किराए के घर का भुगतान करना पड़ता था। उद्योग में उच्च संघर्ष दर के कारण श्रमिकों का कारखानों में स्थानांतरण काफी हद तक निष्पक्ष रूप से हुआ। बंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन के महंगा होने के कारण भी अधिकतर श्रमिकों को पैदल ही काम पर जाना पड़ा। इसके कारण वे जब भी नौकरी बदलते थे उन्हें अक्सर अपना घर बदलना पड़ता था ताकि उनका घर उनके कार्यस्थल से पैदल जाने की दूरी पर हो। अधिकतर श्रमिकों द्वारा किराए पर लिये गये घरों में सस्ते चादर की छतें थीं। इन सस्ते आवास में अक्सर, उनके भीतर पानी के नल नहीं होते थे, और दूसरे घरों के साथ एक शौचालय को साझा करना पड़ता था। ये खराब चादर की छत वाले घर तंग भी थे और इनमें

तालिका 1: बंगलुरु के परिधान निर्यात उद्योग में महिला श्रमिकों के परिवारों का प्रोफाइल *(आंकड़े प्रतिशत में)*

किराए पर आवास लेने वाले	87.5
चादर या अन्य घटिया सामग्री की छतों वाले	64.8
कार्य स्थल के दो किलोमीटर के भीतर रहने वाले	78.2
प्रति कमरा (रसोई सहित) दो या अधिक व्यक्ति वाले	81.5
प्रति कमरा (रसोई सहित) तीन या अधिक व्यक्ति वाले	31.4
घरों में बिना शौचालय वाले	76.1
घरों में बिना जल स्रोत वाले	73.0

स्रोत : परिधान श्रमिकों का एनआईएएस सर्वेक्षण, 2009

से एक चौथाई-पांचवें घरों में हर कमरे में औसतन दो से अधिक लोग रह रहे थे, और 31 प्रतिशत घरों में एक कमरे में तीन से अधिक लोग रह रहे थे।

बंगलुरु में गांवों के अक्सर अराजक तरीके से समायोजन के परिणामस्वरूप ही शहर के अचल संपत्ति मूल्यों में तेजी से हो रही वृद्धि के बीच इस तरह के अपेक्षाकृत कम लागत के घरों की उपलब्धता संभव हो पायी। जैसा कि 1970 के दशक और 1980 के दशक में भूमि अधिग्रहण के एक आधिकारिक मूल्यांकन में उल्लेख किया गया था, इस प्रक्रिया में कम से कम दो कानूनों के माध्यम से एक प्रेरणा प्राप्त की गयी-कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 और बंगलुरु विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1976-जिसने अधिग्रहित भूमि का इस्तेमाल कर संस्थान बनाए (रवींद्र एवं अन्य, 1989)। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के निर्माण ने आसानी से कृषि भूमि लेकर इसे निजी उद्योगों को दे दिया। बंगलुरु विकास प्राधिकरण ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया लेकिन इसे अधिक कीमत के लिए बेच दिया गया जबकि इसे पहले उदाहरण के लिए हासिल किया गया था, और फिर यहां तक कि दूसरी बार भी लेनदेन में उच्च मूल्यों पर बेचा गया। कृषि भूमि के अधिग्रहण ने तुरंत गांव के आर्थिक चरित्र को बदल दिया जिसे बंगलुरु में समाहित कर दिया गया था। एक ही झटके में कृषि कार्यों में रुकावट आ गयी।

इन गांवों में हर किसी ने एक ही जैसी चुनौतियों का सामना नहीं किया था, इसकी स्पष्ट रूप से पहचान करना महत्वपूर्ण है। भूमिहीनों की स्थितियां भूमिवालों से स्पष्ट रूप से अलग थीं। पेशे में बदलाव के लिए काफी संख्या में भूमिहीनों ने कृषि श्रमिक से शहरी कार्य की ओर रुख कर लिया। और उन्हें जमीन मालिकों को पेशकश किय गये मुआवजे का लाभ नहीं मिला। जैसा कि गोल्डमैन ने तर्क दिया है, ''बड़ी शहरी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति के सिर्फ पूर्व योग्य के साथ, जमींदारों और गैर मालिकों के दो सामान्य वर्गों के ग्रामीण जीवन को कम करना, आगे सामाजिक और सांस्कृतिक जटिलता और ग्रामीण की आजीविका रणनीतियों को कमजोर करना है (गोल्डमैन, 2011 पृ. 568)।

बंगलुरु के आसपास के गांवों में किसान कृषि की प्रकृति को देखते हुए भूमिहीनों के आम तौर पर बड़े समूह नहीं थे (पाणि, 1983)। क्षेत्र के किसान कृषि को, कुछ प्रमुख किसानों के साथ छोटे जमीन मालिकों की एक बड़ी संख्या के द्वारा चित्रित किया गया था। जब गांवों के अधिकतर घरों को शहर में समाहित नहीं किया गया तो भी किसानों को प्रभुत्व की हद में मुआवजा दिये जाने वाले जमीन मालिकों की संख्या काफी अधिक थी। इस प्रकार बंगलुरु में समाहित अधिकतर गांवों के लिए चुनौती अचानक उनकी कृषि भूमि खोने और गैर कृषि व्यवसायों को खोजने की थी।

ज्यादातर मामलों में, एक बार कृषि भूमि के स्वामित्व वाले लोगों को किसी वाहन का ड्राइवर बनने से लेकर अपने पारंपरिक डेयरी कार्यों का विस्तार करने जैसे उनके आसपास उभरते शहरी अर्थव्यवस्था के साथ संगत कर रही गतिविधियों में अपने सीमित मुआवजे को निवेश करने की कोशिश करने के लिए छोड़ दिया गया। संसाधन के सीमित रहने पर, गांव के साथ छोड़ दी गयी गैर कृषि भूमि भी महत्वपूर्ण बन गयी। इस भूमि पर गांवों के लिए निर्धारित नियम ही लागू हैं और उनके आसपास के शहर के लिए निर्धारित नियम लागू नहीं हैं। इसके नियम गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सस्ते और अधिक भीड़भाड़ वाले आवास के निर्माण के लिए इस गैर कृषि भूमि के मालिकों की अनुमति देते हैं। और यह प्रक्रिया हमेशा नहीं रही। जैसा कि लक्ष्मी श्रीनिवास ने 1991 में उल्लेख किया था, बंगलुरु शहर में लगभग

आधी भूमि निगम के कर रिकॉर्ड के लिए जिम्मेदार नहीं हैं'' (श्रीनिवास, 1991, पृ. 2484)।

शहरी बंगलुरु का एक हिस्सा बनने के लिए गांवों के स्थानांतरण की अक्सर जटिल प्रक्रिया में, ग्रामीण प्रभाव को भूलना मुश्किल है, जो कि इस बदलाव के बाद भी बना हुआ है। यह गांव में पुराने भूमिवालों का समूह है जिनके पास भूमि है और निजी लेआउट से लाभ लेने के लिए प्रभाव। इन समूहों को गरीबों के लिए कम गुणवत्ता के आवास के निर्माण में फायदा भी है। जब उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाती है तो वे अनुमति के लिए या अधिकारियों की जरूरत के लिए अन्य तरीके अपनाते हैं, इन समूहों और उभरते राजनीतिक वर्ग के बीच करीबी संबंध के आधार पर पर भी उन्हें ये सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

शहर के बाहर गांव

ऐसा सटीक तरीका जिसमें उत्पाद और लोग अपेक्षाकृत दूर के गांवों और शहर के बीच की सीमाओं को पार कर जाते हैं, कई रूप में हो सकता है। कभी-कभी महिला श्रमिकों के परिवार गांव में पारिवारिक भूमि में पति के हिस्से से लगातार खाद्यान्न प्राप्त करते रहते हैं। महिला श्रमिकों के द्वारा पहने जाने वाले पोशाक भी उनके ग्रामीण और शहरी पहचान के बीच सतत पारस्परिक प्रभाव को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, यहां तक कि उनके कुछ शहरी पोशाक – विशेषकर रात में पहने जाने वाले गाउन जिन्हें वे शहर में कभी-कभी दिन के समय भी लंबे समय के लिए पहन लेती हैं-उन्हें ग्रामीण परिवेश में हमेशा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति के द्वारा गांव पर शहरी प्रभाव और शहर पर ग्रामीण प्रभाव का परिमाण इस पारस्परिक प्रभाव की हद पर निर्भर करेगा। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि ये शहरी परिवार गांव से शहर के लिए पलायन करने के लिए एक प्रारंभिक आधार की भूमिका निभा सकते हैं। इन परिवारों में अक्सर शहर में पैर जमाने की कोशिश कर रहे गांव के लोग शामिल होते हैं। 'सामूहिक परिवार' शब्द वैसे परिवारों का उल्लेख करने के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसके लोग एकल परिवार का हिस्सा नहीं थे (पणि, व अन्य, 2010) और बेंगलुरु के कपड़ा उद्योग में महिला श्रमिकों के लगभग 40 प्रतिशत परिवार इस आदर्श पर खरा उतरे हैं। इन 'सामूहिक परिवारों' में सिर्फ पिता, माता, भाई और बहन जैसे पति और पत्नी के करीबी परिवार के सदस्य ही शामिल नहीं होते थे बल्कि अधिक दूर के रिश्तेदार और कभी-कभी उनके गांव के लोग भी शामिल थे।

हालांकि सामूहिक परिवार गांव और शहर के बीच के संबंध को इंगित करता है, लेकिन इस संबंध को रिश्तों के द्वारा अधिक मजबूत बनाया जा सकता है जो प्रवास के लिए बाहर जाने से परे है। गांव और शहर के बीच में एक बहुत करीबी व्यक्तिगत संबंध वैसे मामलों में

तालिका 2: विभिन्न कारकों के द्वारा बंगलुरु के परिधान निर्यात उद्योग में महिला श्रमिकों के बच्चों के निवास में फेरबदल का विश्लेषण

कारक	एफ अनुपात	5% से कम महत्वपूर्ण
माता की शिक्षा	0.78605	नहीं
माता की आय	2.77847	नहीं
छत का प्रकार	0.75084	नहीं
जल	0.94756	नहीं
बच्चे की उम्र	9.90545	हां
माता की उम्र	5.44606	हां
माता के बंगलुरु में बीते साल	23.84444	हां
कार्यस्थल से दूरी	4.14329	हां
शौचालय	8.66739	हां
धर्म	8.50309	हां
जाति समूह	5.01136	हा
मातृभाषा	6.72962	हां

स्रोत: एनआईएएस सर्वेक्षण, 2009

प्रदान किया जाता है जहां शहर में कामकाजी माताएं अपने बच्चे को वापस गांव में छोड़ देती हैं। वर्ष 2009 के एनआईएएस के सर्वेक्षण से पता चलता है कि बंगलुरु के कपड़ा उद्योग में महिला श्रमिकों के पांचवें से अधिक-22.5 प्रतिशत बच्चे, जो 15 साल या उससे कम उम्र के थे, अपनी माता के साथ नहीं रह रहे थे, उन्हें आम तौर पर देखभाल के लिए गांव में छोड़ दिया जा रहा था। इस तरह के मामलों में महिला श्रमिकों ने जरूरी होने पर शहरी और ग्रामीण के बीच सीमा को कई बार पार किया। दरअसल, हम मां से दूर रहने वाले बच्चे को व्यक्तिगत श्रमिक के लिए शहर और ग्रामीण के बीच के रिश्ते की गहराई और तीव्रता का छद्म रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

गांवों में वापस अपने बच्चों को छोड़ने वाली महिलाओं के मामलों को समझने के लिए वैसे कारक जो प्रभावित करने वाले नहीं दिखते हैं उनका खुलासा उसी प्रकार किया जा सकता है जिस प्रकार वे प्रभावित करते हैं। एक कारक के महत्व को जानने के लिए हमने उस कारक के आधार पर बच्चों या उनकी माताओं को समूहबद्ध किया और फिर उस कारक के प्रभाव के महत्व का अनुमान लगाने के लिए फेरबदल के विश्लेषण का इस्तेमाल किया। जैसा कि तालिका 2 हमें वैसे कुछ कारकों के बारे में बताती है जिनसे शहर में श्रमिक की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति प्रभावित करने की उम्मीद की गई है, और ये गांव में बच्चे को छोड़ने के निर्णय का निर्धारण करने वाले मुख्य कारक नहीं हैं। माताओं की शिक्षा और आय के स्तर गांव में बच्चे को छोड़ने के लिए निर्णय के लिए सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण निर्धारक नहीं थे।

यह देखा गया कि इस निर्णय पर अधिक निर्णायक प्रभाव बच्चा और माता दोनों की उम्र का था। पांच साल या इससे कम उम्र के 34 प्रतिशत बच्चे अपनी माता के साथ नहीं रहे थे। यह अनुपात 11 से 15 वर्ष के उम्र समूह में 14 प्रतिशत तक गिर गया। 40 प्रतिशत बच्चे जो 20 साल या उससे कम उम्र के थे, अपनी माताओं से दूर रहे थे। यह अनुपात युवा माताओं के साथ आनुपातिक रूप से कम होता गया, और 40 साल से अधिक उम्र की सिर्फ 4 प्रतिशत माताओं का ही पता चला। इस प्रवृति से यह पता चलता है कि बंगलुरु में शहरी जीवन की अनिश्चितताओं का सामना कर रही युवा माताओं को गांव में परिवार से मदद मिली थी।

इन आंकड़ों से यह भी पता चला कि कम से कम कुछ अनिश्चितताओं का पता गांव से शहरी वातावरण में आने की कठिनाइयों से लगाया जा सकता है। बंगलुरु में उन्होंने जितने साल बिताये, उनके रहने की अवधि का गांव में बच्चे को छोड़ने के निर्णय पर एक सांख्यिकीय महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। एक साल या उससे कम समय तक बंगलुरु में रह रही माताओं के 50 प्रतिशत बच्चे अपनी माताओं के साथ नहीं रहे। यह प्रतिशत 5 साल से 10 साल तक शहर में रहने वाली माताओं के लिए काफी तेजी से 16 प्रतिशत तक गिर गया।

बंगलुरु में जो महिला जितने लंबे समय तक रही, उसे अपने गांव में अपने बच्चों को छोड़ने की जरूरत कम महसूस हुई।

बंगलुरु में जीवन की सभी कठिनाइयों का महिलाओं को अपने घर से दूर बच्चे को छोड़ने के निर्णय पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। अपने घरों के अंदर पानी की सुविधा वाली महिला ने अपने घर से दूर बच्चे को छोड़ने के निर्णय का एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय विवरण प्रदान नहीं किया। ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि यह सुविधा उसके गांव में भी उपलब्ध नहीं रही हो। परिसर के भीतर शौचालय की उपलब्धता का हालांकि इस पर प्रभाव रहा हो। घर के अंदर शौचालय की उपलब्धता और मां से बच्चे को दूर रखने के निर्णय के बीच एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय संबंध पाया गया। यह संभव है कि रात के मुश्किल समय में साझा शौचालय में बच्चे को बाहर ले जाने की जरूरत इस निर्णय में एक भूमिका हो सकती है।

एक श्रमिक के लिए, जो मां भी है, किसी सहायता प्रणाली के रूप में, गांव में पारिवारिक घर का उपयोग करने की क्षमता का विस्तार समान रूप से सभी सामाजिक समूहों के लिए नहीं हुआ है। अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में हिंदुओं में अधिक व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया गया और यहां तक कि हिंदुओं में यह काफी विविध रहा। अनुसूचित जाति के पास गांव में बुनियादी सुविधाएं कम हो सकती हैं। यह तथ्य माताओं के शहर में बस जाने के समय तक उनके बच्चों को गांव में रखने के लिए सही है और यह ग्रामीण जाति पदानुक्रम का शहरी बंगलुरु में रहने वाले जीवन शैली को प्रभावित करने का एक उदाहरण है।

बंगलुरु में और यकीनन ज्यादातर भारतीय शहरों में गांव का प्रभाव बहुआयामी है। ऐसे प्रभाव शहर की भौगोलिक सीमाओं के भीतर और साथ ही साथ उससे कुछ दूरी पर स्थित गांवों के स्थानों में उभर सकते हैं। ऐसे में भारतीय शहरों को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों और यहां तक कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए एक प्रभावी शहरी नीति तैयार की जानी चाहिए। ❑

संदर्भ:

- ***गोल्डमैन माइकल:*** *स्पेकुलेटिव अर्बनिज्म एंड द मेकिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड सिटी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अर्बन एंड रीजनल रिसर्च-मई 2011-3: अंक 35-पृष्ठ संख्या 555-581*
- ***लिप्टन माइकल:*** *वाइ पीपल स्टे पुअर: ए स्टडी ऑफ अर्बन बायस इन वर्ल्ड डेवलपमेंट, लंदन: टेम्पल स्मिथ, 1977*
- ***पणि नरेंद्र*** *एवं सिंह निक्की: द कलेक्टिव फैमिली एंड माइग्रेशन कैपिटल: वुमेन वर्कर्स इन बेंगलुरु' ज गारमेंट इंडस्ट्री। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन-2010-3: अंक 59-पृष्ठ संख्या 367-391*
- ***पणि नरेंद्र:*** *रिफॉर्म्स टू प्री-एम्प्ट चेंज - न्यू देल्ही: कंसेप्ट, 1983*
- ***ए. रविन्द्र एवं वी. के. तिवारी:*** *अर्बन लैंड पॉलिसी फॉर ऐन इंडियन मेट्रोपोलिटन सिटी। dspace.vidyanidhi.org. -1983- दिसंबर 30, 2011 http://dspace.vidyanidhi.org.in:8080/dspace/bitstream/2009è2473/9/UOM.1989.1295.8.pdf.*
- ***सासेन सास्किया:*** *टेरिटरी, ऑथारिटी, राइट्स: फ्रॉम मेडिएवल टू ग्लोबल असेम्बलेजेज - प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006*
- ***के. सी. शिवरामकृष्णन:*** *रि विजनिंग इंडियन सिटीज : द अरबन रीनूअवल मिशन - न्यू देल्ही: सेज, 2011*
- ***श्रीनिवास लक्ष्मी:*** *लैंड एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया: वर्किंग हॉफ अरबन लैंड सीलिंग एक्ट, 1976, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली-26 अक्टूबर 1991-43: अंक 26-पृष्ठ संख्या 2482-2484*

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के नि:शुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल की पुस्तक

'आप IAS कैसे बनेंगे'

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

YH - 123/2014

गंगा में प्राकृतिक जल प्रवाह की अनिवार्यता

एच एस सेन
दीपांकर घोराय

''दक्षिण एशिया की गंगा - ब्रह्मपुत्र द्रोणी में पारस्परिक सहयोग संबंधी जो समस्या मौजूद है, दो सनातन पड़ोसियों के बीच ऐसी समस्या दुनिया में कहीं और नहीं है। यहां संबद्ध देशों का भविष्य स्पष्ट रूप से जुड़ा होने के बावजूद न तो सहयोग कर फायदा लिया जा रहा है और न ही विध्वंसक असहयोग के लिए कोई दण्ड की व्यवस्था है।''
- जगन मेहता

भारत और बांग्लादेश के पूरे निचले गंगा डेल्टा क्षेत्रों में दोनों ही नदी तंत्रों, गंगा/पद्मा- ब्रह्मपुत्र तथा हुगली-भगीरथी तंत्र के पर्यावरणीय प्रवाह में तीव्र ह्रास हो रहा है। उपमहाद्वीप के इस डेल्टा क्षेत्र में संपोषणीय पारिस्थितिकी सुनिश्चित करने के लिए नदी तंत्र का पर्यावरणीय प्रवाह पुनर्स्थापित करने के लिए गहन आत्मनिरीक्षण तथा नेक इरादे के साथ समुचित कार्रवाई की आवश्यकता है। जल विज्ञान के प्रतिकूल रुझानों पर रोक लगाने के लिए गंगा को पुनर्जीवित करने वाले यथोचित प्रयास तुरंत किए जाने जरूरी हैं, जो संभवत: पर्यावरणीय प्रवाह का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, वही दूसरी ओर संपोषणीय पारिस्थितिकी तथा इसके आधार पर बेहतर जीविका के लिए भी यह आवश्यक है (सेन 2010, सेन व अन्य 2012)। पर्यावरणीय प्रवाह के अन्य घटक सामाजिक-सांस्कृतिक, भूआकृतिक, जल गुणवत्ता और जैव विविधता आदि हो सकते हैं (कौशल, 2014), यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि एक विशेष नदी किसी क्षेत्र विशेष में उसके उपयोग के आधार पर किस तरह की मानी जाती है। इन सब को मिलाकर समेकित जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन तंत्र बनता है जिसकी आधारशिला भारत सरकार के केंद्रीय जल आयोग ने रखी है (सी.डब्ल्यू. सी 2008)।

खासकर गंगा के ऊपरी हिस्से में पर्यावरणीय प्रवाह भारत की कई जल विद्युत तथा सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित होती है। आयोजना के दौरान नदी की प्रवाह गति के संदर्भ में रोकी और छोड़ी जाने वाली जल की मात्रा मनमाने तरीके से तय कर ली जाती है और यहां तक कि इसके प्रभावों के ठोस मूल्यांकन का भी प्रावधान नहीं होता है। हालांकि, ऐसे मूल्यांकनों के संदर्भ में कुछ कदम देर से उठाए गए हैं, पूरे नदी मार्ग के लिए विश्व वन्य जीव निधि (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ)-इनमें प्रमुख है का कार्य भारत (कौशल 2014)। गंगा नदी के विभिन्न उपयोगों के विस्तृत विवरण पर यहां समग्र रूप से विचार किया गया है, जिससे पता चलता है कि गंगा दुनिया की उन दस शीर्ष नदियों में शामिल है, जिनका अस्तित्व अतिदोहन तथा जल प्रदूषण के कारण खतरे में है (सांघी तथा कौशल 2014)। डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंटरनेशनल, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के आंकड़ों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। गंगा के पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज में पहुंचने से पहले देश के कई राज्यों से गुजरने के कारण भारत की भूमिका इसके ऊपरी जल प्रवाह का उपयोग करने की

डॉ. एच एस सेन केंद्रीय जूट तथा विशिष्ट रेशा शोध संस्थान, बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) के पूर्व निदेशक हैं। उन्हे तटवर्ती पारिस्थितिकी तंत्र में मृदा उपयोगिता शोध तथा जल प्रबंधन में 30 वर्ष के अनुभव के साथ विशेषज्ञता हासिल है। ईमेल: hssen.india@gmail.com, hssen2000@hotmail.com,
डॉ. दीपांकर घोराय कृषि विज्ञान केंद्र, बुदबुद, जिला वर्दमान, पश्चिम बंगाल में विषयवस्तु विशेषज्ञ तथा प्रभारी हैं। वह तटीय कृषि के विशेषज्ञ हैं।
ईमेल: dipankarghoraikuk@gmail.com

है और इसलिए यह भूमिका दक्षिण बंगाल (भारत) तथा बांग्लादेश के प्रमुख हिस्सों में सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में कथित गलत प्रभावों के कार्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण हो जाती है, यही इस आलेख का केंद्र बिंदु है। इससे दोनों देशों की सरकारों के लिए पारस्परिक समझौतों के जरिए एक ईमानदार योजना को अमल में लाना आवश्यक हो जाता है।

फरक्का बैराज तथा भारत बंगलादेश संधि

गंगा पर बैराज बनाकर इसके जल को भगीरथी की ओर प्रवाहित करने का विचार सबसे पहले आर्थर कॉटन ने 1853 में दिया था और गंगा की धारा पर 17 किलोमीटर तक ऊपरी हिस्से में बने इस बैराज को फरक्का नाम दिया जो भारत से बहने वाली हुगली-भगीरथी तथा बांग्लादेश में पद्म-ब्रह्मपुत्र-मेघना और इनकी वितरिकाओं में गंगा के जल को वितरित करती है। यह सब आखिरकार बंगाल की खाड़ी में पंहुचता है। बैराज के पक्ष में बनाई गई जल विज्ञान की गणितीय कल्पना इसके तुरंत बाद नकारा साबित हुई क्योंकि इससे न तो तलछट की गाद कम करने में पर्याप्त मदद मिली और न ही कोलकाता बंदरगाह के लिए नौवहन की संभावनाएं बढ़ाने में या शुष्क मौसम के दौरान इसके प्रवाह का इस्तेमाल दोनों देशों के साझा लाभों के लिए उपयोग करने में, इन्ही लक्ष्यों के लिए यह बैराज तैयार किया गया था।

1971 में बंगलादेश की आजादी के तुरंत बाद पद्म-ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी तंत्र में कम हुए जल प्रवाह के कारण वहां उत्पन्न समस्याओं को महसूस करते हुए दोनों देशों के बीच कुछ अल्पकालिक समझौते हुए, पहला 1974 में तीन साल के लिए, दूसरा 1977 में और दो अन्य 1980 के दशक में, ये सभी समझौते कोई भी परिणाम देने में विफल रहे। गंगा के जल के बंटवारे को लेकर 1996 में हुआ भारत बंगलादेश समझौता तीस वर्ष के लिए मान्य है, यह पिछले चार दशक (1949-1988) के दौरान नदी से प्रवाहित होने वाले औसत जल की मात्रा पर आधारित है। 1977 में फरक्का में संगलित जल प्रवाह और इसके बाद वहां उपलब्ध जल प्रवाह में बहुत कम समानता थी जिसके कारण बाद के दशकों में बड़ी संख्या में जल विद्युत और सिंचाई परियोजना के माध्यम से नदी के जल का ज्यादातर हिस्सा ऊपरी भागों में ही रोका जाना बड़े पैमाने पर जारी रहा।

जल विद्युत, विकास और सिंचाई परियोजनाओं की सूची तथा जल गुणवत्ता

गंगा नदी की भागीरथी तथा अलकनंदा घाटियों में बड़ी संख्या में मौजूद जल विद्युत तथा सिंचाई परियोजनाओं की सूची उपलब्ध है (सांघी एवम् कौशल 2014, बांधों, नदियों और जनता के लिए दक्षिण एशिया नेटवर्क-संदर्प-)। आकृति 1 और 2 में रेखाचित्र के जरिए गंगा जल का प्रवाह और उस पर मौजूद असंख्य परियोजनाओं को दिखाया जा रहा है। इनमें से कई तो स्वीकृत हो चुकी हैं और कई स्वीकृत होने हैं (संदर्प/राष्ट्रीय नदी संरक्षण महानिदेशालय, 2009)। अलकनंदा और भगीरथी तथा उनकी सहायक नदियों की प्रभावित लंबाई (तालिका एक देखें) से पता चलता है कि केवल उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं

आकृति 1: गंगा व सहायक नदियों का जल प्रबंध रेखाचित्र

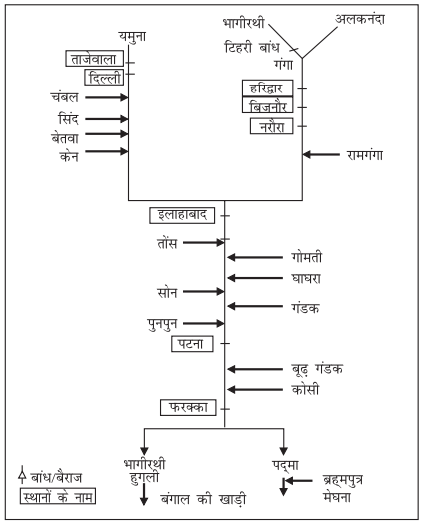

स्रोत: राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, 2009

के लिए कितनी बड़ी मात्रा में गंगाजल का उपयोग किया जा रहा है (भारतीय वन्य जीव संस्थान 2012)। इसके अतिरिक्त गंगा को प्रदूषित कर रहे विभिन्न बिंदु तथा बिंदु भिन्न स्रोतों के भी दस्तावेज तैयार हैं (सांघी एवम् कौशल 2014) और कुछ खास स्थितियों में पर्यावरणीय प्रवाह में इसका योगदान ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। पूरी गंगा नदी में जल की खराब गुणवत्ता (त्रिवेदी) को आकृति 3 और 4 में दिखाया गया है, इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न कदम (गंगा कार्य योजना-चरण 1,1985 और चरण 2, 1993, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1996) औसत रूप से सफल रहे हैं और इस दिशा में अधिक एकाग्र तथा व्यापक कार्रवाई की भविष्य में आवश्यकता है (सांघी एवम् कौशल 2014/रा.न.सं.नि. 2009)। इनमें सबसे ऊपर जलवायु परिवर्तन का व्यापक प्रभाव पर्यावरणीय प्रवाह के अधिकांस घटकों पर अल्पकालिक प्रभाव के रूप में होता है। यह तथ्य अब स्थापित हो चुका है कि पूरी दुनिया, खासकर हिंदुकुश हिमालय के ग्लेशियर वैश्विक तापन के कारण पिघल रहे हैं। काठमांडू स्थित अंतर्राष्ट्रीय समेकित पर्वत विकास केंद्र के अध्ययन के अनुसार इस गलन के परिणामस्वरूप इन ग्लेशियर से नदी घाटियों में होने वाला अनुमानित जल प्रवाह इस सदी के अंत तक 25-50 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। (thethirdparty.net)

हालांकि, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के अनुसार संचालन और रखरखाव की समस्या के बावजूद इस नदी की जल गुणवत्ता (जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) तथा डीओ के संदर्भ में) गंगा कार्य योजना के बाद कुछ बेहतर हुई है। इसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा जैव प्रदूषण दबाव में लगातार वृद्धि के मद्देनजर देखा जाना चाहिए। नदी की जल गुणवत्ता वर्तमान कार्यों के पूरा होने और नदी में पैदा किए जा रहे कचरे पर नियत्रंण के बाद सुधरने की उम्मीद है। तीन महत्वपूर्ण मानकों नामत: डीओ, बीओडी और कॉलीफार्म के आधार पर पूरे गंगा क्षेत्र में गंगा कार्य योजना के पहले और इसके बाद की स्थितियों की तुलना से बहुत हद तक संतोषजनक परिणाम सामने आते हैं। निचले क्षेत्र में धीमा होता जल प्रवाह और लगातार बिगड़ती जल गुणवत्ता ने इस क्षेत्र के लोगों की जीविका पर बेहद घातक परिणाम डाले हैं। बांस की खेती पर कुप्रभाव इसका एक उदाहरण है। (घोराय एंव सेन 2014)

निचली गंगा की पारिस्थिकी पर प्रतिकूल प्रभाव जल विज्ञान तथा गाद निपटान दबाव

यह सच है कि फरक्का बैराज के निर्माण के जरिये भारत में गंगा के साम्राज्य में दखल के कारण जलस्तर में बदलाव, जलप्रवाह, गाद का आवागमन तलछट में ढलान, इत्यादि कई तरह की समस्याएं और दुष्परिणाम सामने आये

तालिका 1: जलविद्युत परियोजनाओं के कारण अलकनंदा व भागीरथी नदियों की प्रभावित लंबाई

क्र. नदी	नदी का पूरा फैलाव	बदला हुआ नदी मार्ग	जलमग्न नदी फैलाव	प्रभावित लंबाई	बदले मार्ग पर लंबाई	जलमग्न लंबाई	प्रभावित लंबाई
भगीरथी बेसिन	मीटर में				प्रतिशत में		
1 भगीरथी	217000	68031	85400	153431	31	39	70071
2 असिगंगा	20500	10945	0	10945	53	0	53039
3 भिलांगना	109000	20369	19000	39369	19	17	36012
4 बाल गंगा	37000	14721	0	14721	40	0	39079
5 छोटी सहायक नदियां	73000	16401	0	16401	22	0	22047
अलकनंदा बेसिन							
6 अलकनंदा	224000	60412	47100	107512	27	21	48000
7 धौलीगंगा	50000	46794	0	46794	94	0	93059
8 ऋषि गंगा	38500	10426	600	11026	27	2	28064
9 बिराही गंगा	29500	21926	0	21926	74	0	74032
10 नंदाकिनी	44500	15507	0	15507	35	0	34085
11 मंदाकिनी	81000	34875	500	35375	43	1	43067

57 नदियां और उनकी वितरिकाएं बंगलादेश को भेदती हैं। इनमें से 54 भारत के रास्ते जबकि केवल तीन म्यांमार के रास्ते निकलती हैं। इन सबके बीच गंगा के सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण भारत पर महती जिम्मेदारी है कि वह हमारे पड़ोसियों, जिनके यहां जल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, की जीविका की सुरक्षा के लिए गंगा का पर्यावरणीय प्रवाह बनाये रखे।

हैं। इनका कारण तलछट में ज्यादा गाद जमा होना तथा इनके स्तर में ह्रास, ऊपरी क्षेत्र में राजमहल से फरक्का तक तथा नचले हिस्से में फरक्का सुदूरवर्ती धाराओं तक की स्थिति आदि है। बैराज के दायीं ओर जलोढ़ की अधिकता हो गयी है जबकि बायीं ओर गहरी नहर की संरचना बन गयी है। तटीय अपरदन अपने सबसे ख़राब स्तर पर पहुंच गया है और अगस्त - सितम्बर में यह सर्वाधिक होता है। गंगा-पद्म के गाद निक्षेप शैली में बदलाव के कारण बंगलादेश में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दुषपरिणाम देखे गए हैं। इस कारण तलछट में दलदलीकरण तथा तटों पर अपरदन में बढ़ोतरी होगी और अंततः यह नहर पर प्रभाव डालेगा तथा अन्य भू-आकृतिक परिवर्तन लाएगा। (परुआ, 2009)

फरक्का तथा राजमहल (झारखंड में 53 किमी ऊपर की ओर) नदी तट के साथ कई स्थानों पर नदी के स्वरूप में दृष्टिगोचर बदलावों तथा उसके कारण भू-आकृतिक पैमानों में आये परिणामिक परिवर्तन को ध्यान में रखकर तटीय अपरदन तथा बाढ़ के कारणों की पड़ताल करते हुए 1955 से 2005 के बीच कई खंडों में अध्ययन किये गए हैं। इनमें LANDSAT तथा भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह (आईआरएस) से पूरे गंगा तट के साथ-साथ चित्र लिए गए हैं। (ठाकुर, 2014) तब बताया गया कि तटबंधों की विफलता का मुख्य कारण नदी तटों से मृदा अपरदन, पथरीली भूमि (राजमहल में) की मौजूदगी, गाद का अतिरिक्त दबाव, तलछट की सफाई में बाधा और प्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध करता स्वयं फरक्का बैराज आदि रहे थे। इससे सबसे ज्यादा पीड़ित मालदा जिले के माणिकचक, कालियाचक-1, कालियाचक-2, और रतुआ-1 प्रखंड रहे हैं। केवल इन्हें प्रखंडों में 1977 से अब तक लगभग 1670 हेक्टेयर कृषि भूमि का नुकसान हुआ है (ठाकुर, 2014)। साथ ही, सीमावर्ती मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्सों में भी ऐसा हुआ जहां बड़े पैमाने पर तटीय अपरदन, भूभाग के जलप्लवन और परिणामस्वरूप गांवों से जनसामान्य के पलायन की पुनरावृत्ति होती रही (बनर्जी, 1999/रुद्र, 2004)। इस कारण भारतीय क्षेत्र में तो सालाना बड़े पैमाने पर जानमाल का भारी नुकसान होता रहा।

बंगलादेश में भी ऐसी ही घटनाओं की

आकृति 2: गंगा नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं

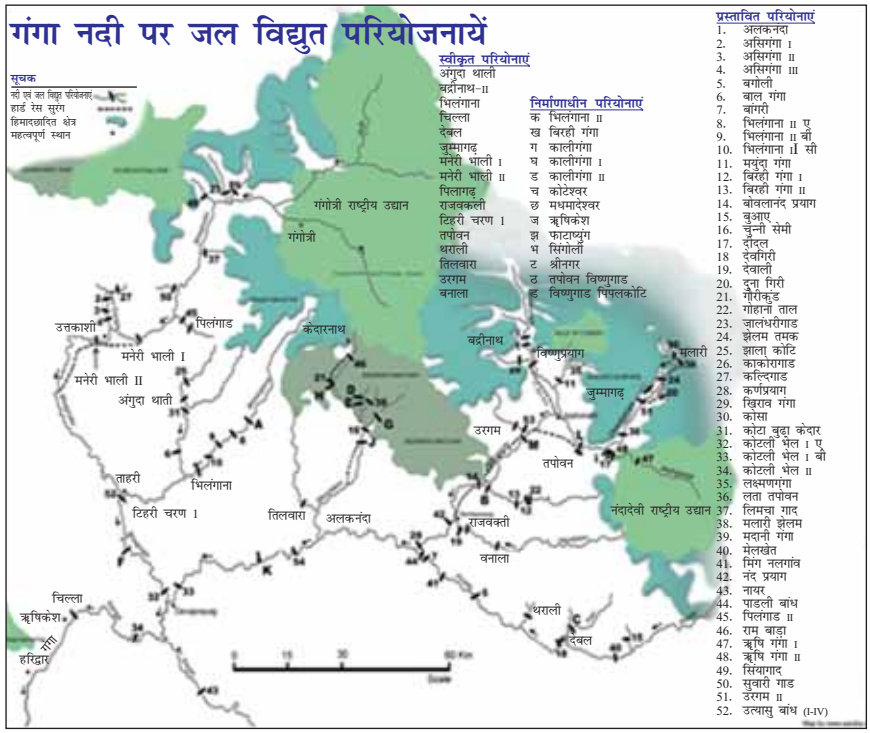

स्रोतः संदर्प

जानकारी मिली जहां गाद का दबाव अत्यधिक हो गया और बंगलादेश के तटवर्ती नदी घाटियों तथा नदियों से निकले नहरों में अनाच्छदन की दर भी अत्यधिक हो गयी, जिसकी जानकारी इस्लाम व अन्य, 1999 के शोध पत्र में मिलती है। इसके कारण देश में बाढ़ आने की दर भी बढ़ गयी। (बांग्लापीडिया)

जैव विविधता का नुकसान

निचले डेल्टा क्षेत्र, खासकर दोनों देशों में फैले सुंदरवन में, जलप्रवाह कम किये जाने के कारण जैव विविधता में आये बदलावों के रुझान पर अक्सर प्रश्न किये जाते रहे हैं। इन दिनों पास्थितिकी तंत्र बेहद तीव्र गति से बदल रहा है और जैवविविधता भी तेजी से कमजोर हो रही है। इसके साथ कई प्रजातियां तो जंगल से विलुप्ति की कगार पर हैं। हालांकि फिर भी तमाम तरह के दुर्लभ पादपों तथा जंतुओं के लिए समुचित पर्यावास उपलब्ध हो रहा है। संपूर्ण डेल्टा क्षेत्र में समय के साथ जैव विविधता के कमतर होने के पीछे बहुत से कारण चिह्नित किये गये हैं। हालांकि अलग-अलग कारणों से हुए नुकसान का संख्यात्मक विवरण ठीक ठीक जुटाना संभव नहीं है लेकिन इनमें से अधिकांश का संबंध कम होते जल प्रवाह तथा अन्य मानवीय कार्यकलापों के साझा परिणाम से है।

आकृति 3: गंगा में विभिन्न स्थानों पर कॉलीफार्म

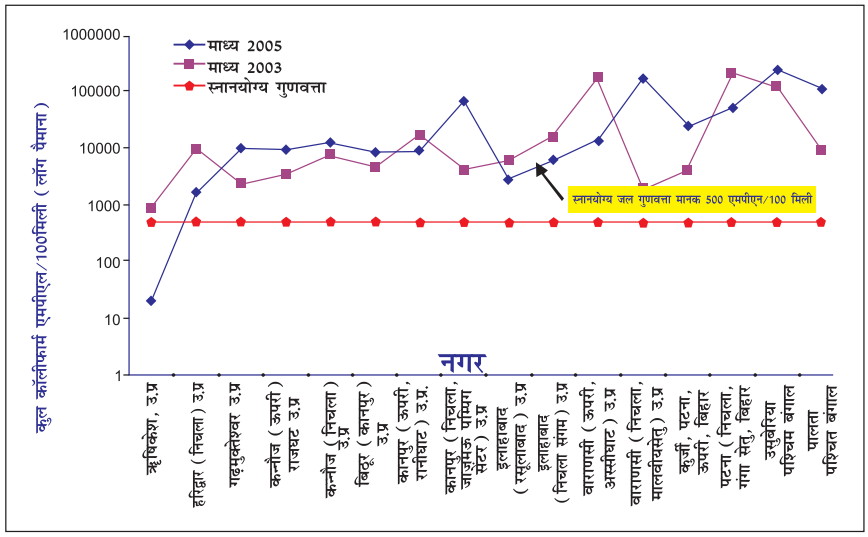

(स्रोतः http://www.old.cseindia.org/misc/ganga/state_pollution.pdf

बंगलादेश में जलप्रवाह तथा लवणता का हस्तक्षेप

बंगलादेश में प्रभावित निचले गंगा डेल्टा का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और संभवतः इस पर गंभीरता से ध्यान दिये जाने की जरूरत है। वर्ष 1970 से 2011 तक गंगा में छोड़े गये जल के आंकड़े बताते हैं कि फरक्का बैराज बनने के बाद शुष्क मौसम (नवंबर से मई के बीच) में जलप्रवाह 82 प्रतिशत तक घट चुका है। (अफरोज एवं रहमान, 2013)

आकृति 4: भारत में नदी प्रदूषण

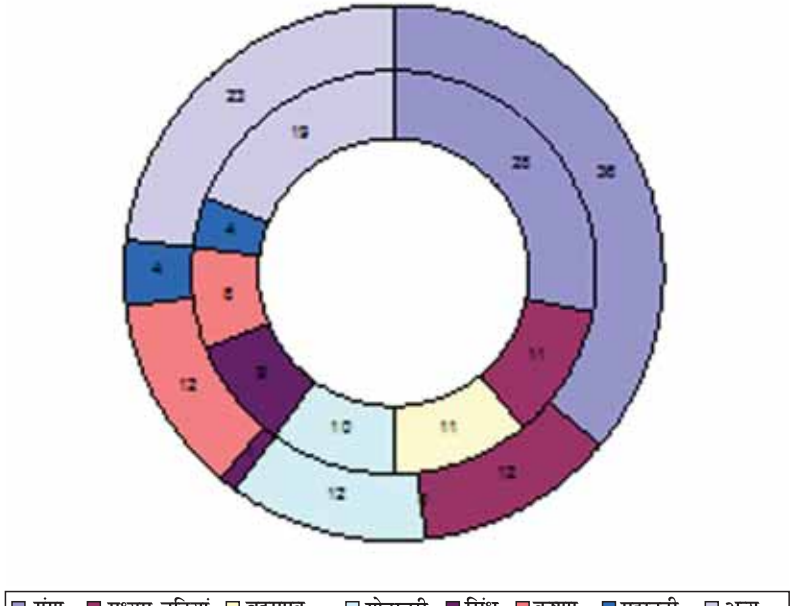

(स्रोतः http://www.old.cseindia.org/misc/ganga/state_pollution.pdf

भावी नीतिगत मुद्दे और निष्कर्ष

भारत (फरक्का से दक्षिण) तथा बंगलादेश (दक्षिण-पश्चिम) दोनों के ही निचले गंगा डेल्टा क्षेत्र में पारिस्थितिकी एक जैसी है और दोनों फरक्का बैराज से मंद मंथर जलप्रवाह और जलमार्ग बदलने के कारा तथा ऊपरी क्षेत्र में भारत में विभिन्न स्थानों पर जल की गुणवत्ता खराब होने के कारण एक जैसी समस्याएं भी झेल रहे हैं। यह दोनों देशों के लिए एक जैसी चिंता की बात है और इस कारण एक संपूर्ण तथा संकेंद्रित कार्रवाई की जरूरत है। इस क्रम में नीचे कुछ सुझाव दिये जा रहे हैं जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर एक दीर्घकालिक समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है।

* फरक्का बांध के डिजाइन पर पुनर्विचार की जरूरत है, साथ ही, दोनों देशों के व्यापक हित में बैराज से पानी छोड़े जाने और इसके वितरण समुचित व्यवस्था बनायी जानी चाहिए तथा इस क्रम में ऊपरी गंगा के अनुमानित प्रवाह का दीर्घकालिक परिणामों के हिसाब से ध्यान रखा जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नयी व्यवस्था तय की जानी चाहिए।
* तिब्बत से शुरू हो रही दोनों नदियों, गंगा और ब्रह्मपुत्र के अनुमानित जलप्रवाह, ग्लेशियर पिघलने के परिणामस्वरूप नदी तंत्रों पर पड़ते प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के कारण पेश आने वाली अन्य मानकीय

अनिश्चितताओं का भी अध्ययन किया जाना चाहिए तथा फरक्का बैराज से जलवितरण की भावी व्यवस्थाएं तय करने के क्रम में यथासंभव अधिकतम शुद्धता के साथ समुचित पर्यावरण अनुकूल मॉडल अपनाकर इन्हें और ज्यादा निखारा जाना चाहिए।

* भारत में नयी जलविद्युत तथा सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना को स्वीकृति दिये जाने के समय ऊपरी क्षेत्रों में नदी का पानी रोकने व छोड़ने संबंधी कठोर मानदंड बनाकर अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए और साथ ही, इन परियोजनाओं परिणाम विश्लेषण भी एक अनिवार्य आवश्यकता होनी चाहिए ताकि संबद्ध क्षेत्र की पारिस्थितिकी बाधित नहीं हो।
* ऊपरी गंगा क्षेत्र में पहले से ही स्वीकृत जलविद्युत तथा सिंचाई परियोजनाओं की भी समीक्षा छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा, आदि के संदर्भ में की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन पर पुनर्विचार भी किया जाना चाहिए ताकि संबद्ध क्षेत्र की पारिस्थितिकी बाधित नहीं हो।
* भारत में निजी एजेंसियों द्वारा जलप्रवाह का मार्ग परिवर्तित करने की गतिविधियों पर तुरंत रोकथाम के लिए कड़ी प्रशासनिक निगरानी की जानी चाहिए।
* पूरी जलधारा के साथ-साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर क्षेत्र विशेष के अनुरूप समेकित जल विकास तथा प्रबंधन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए तथा उनके क्रियान्वयन के तौर तरीकों पर गहन विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इसमें स्थानीय निवासियों की पर्याप्त साझीदारी और उनकी ओर से पर्याप्त निगरानी होनी चाहिए ताकि भारत में वर्षभर जल की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे।
* भूमि तथा जल में लवणता, प्रवाह की गति, जलतरंगों में उतार चढ़ाव व आयाम, गाद निक्षेपण/जल विज्ञानीय मानकों, नदियों के रास्ते और कोलकाता बंदरगाह में नौवहन, भौमजल की गहराई तथा गुणवत्ता, जैवविविधता के महत्वपूर्ण घटकों और अन्य किन्ही संभावित मानकों के संदर्भ में विभिन्न स्थानों पर, खास तौर पर, भारत के निचले डेल्टा क्षेत्र में जलप्रवाह के प्रभावों का अध्ययन किया जाना चाहिए और इनकी निगरानी एक संपूर्ण योजना के तहत कम से कम पंचवर्षीय चरणों में की जानी चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिकों, गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों व स्थानीय निवासियों आदि की एक टीम बनायी जा सकती है और इस तरह के अध्ययनों/निगरानी के परिणामों को सार्वजनिक रखा जाना चाहिए। इसी तरह के कार्यक्रम बंगलादेश की ओर से भी किये जा सकते हैं। दोनों देशों से प्रमुख हस्तियों की सदस्यता वाली एक कोर कमेटी को कम से कम सालाना तौर पर इस विषय पर बात करनी चाहिए और स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए तथा तय लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सुधार के लिए अपने सुझाव देने चाहिए।

गंगा नदी तंत्र के विभिन्न अवयवों तथा फरक्का के रास्ते जलप्रवाह का मार्ग बदले जाने के कारण पारिस्थितिकी पर इनके प्रभाव के संबंध में बंगलादेश की ओर से अब तक तैयार किये गये और प्रदर्शित आंकड़ों में अधिकांश अतिरंजित मालूम पड़ते हैं क्योंकि इनके विश्लेषण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दूसरी ओर फरक्का से पांव वापस खींचे जाने के कारण अधिकांश भारतीय अध्ययन फरक्का-पूर्व के दिनों की स्थिति के आधार पर कल्पित कुछेक कल्पनाओं पर आधारित हैं। इस कारण ये विश्लेषण वास्तविकता से पीछे ही छूटे मालूम पड़ते हैं।

याद रखना चाहिए कि संदर्भित निचला गंगा डेल्टा जो दोनों देशों में फैला है, बहुत हद तक समुद्र तटीय तथा भुरभुरे स्वभाव का है और यह लगातार आती प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न अनिश्चितताओं पर भी निर्भर करता है जिस पर नियंत्रण किसी के वश में नहीं है। गंगा नदी समूह की नदियों के लगातार खराब होते पर्यावरणीय प्रवाह से उत्पन्न होते अतिरिक्त कारक गंगा क्षेत्र के निवासियों के लिए परेशानियां बढ़ाने का काम करते हैं। निष्कर्षत: हम मानते हैं कि दोनों देशों में फैले इस क्षेत्र में बाशिंदों की संपोषणीय जीविका के लिए यहां की पारिस्थितिकी को सुधारने का कोई आसान रास्ता नहीं है सिवाय इस बात के कि फरक्का बैराज के रास्ते पर्यावरणीय प्रवाह को ठीक किया जाए। इसके लिए उपर्युक्त सुझावों पर सावधानी के साथ विचार किया जा सकता है। ❑

संदर्भ:

- ***रौनक अफरोज व अताउर्रहमान (2013):*** *गंगा व तीस्ता के लिए सीमापार नदी जल: एक मूल्यांकन, ग्लोबल साइंस एंड टेक्नॉलाजी, वर्ष 1, अंक 1*
- ***एम बनर्जी (1999):*** *फरक्का बैराज का मानवीय ताने बाने पर प्रभाव: एक रिपोर्ट, साउथ एशिया नेटवर्क फॉर डैम, रीवर्स एंड पीपल (सन्दर्प)*
- ***बांग्लापीडिया,*** *http://www.banglapedia.org/HT/F_0114.htm*
- ***केन्द्रीय जल आयोग (2008), थीम पेपर:*** *समेकित जल संसाधन विकास व प्रबंधन*
- ***दीपांकर घोराय व एच एस सेन (2014):*** *लिविंग आउट ऑफ गंगा: अ ट्रेडिशनल येट इम्पेरिल्ड लिवलिहुड ऑन बम्बू पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग एंड इमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ गंगा, संपादन: रश्मि सिंह, स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग, स्विट्जरलैंड*
- ***मोहम्मद रिजवानुल इस्लाम,*** *बेगम सईदा फाहिल्जा, यामागुची याशुशि एवं ओगावा कस्तुरो (1999)*
- ***एस एन इस्लाम व ए गनौक (2008):*** *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फ्रॉंटियर अर्थ साइंस, चीन*
- ***नितिन कौशल (2014):*** *गंगा नदी का पर्यावरणीय प्रवाह*
- ***राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (2009):*** *गंगा नदी में पर्यावरण व जल गुणवत्ता पर स्थिति रिपोर्ट, जल संसाधन मंत्रालय के लिए आईआईटी, रुड़की द्वारा तैयार*
- ***प्रणव कुमार परुआ (2009):*** *वाटर साइंस एंड टेक्नॉलजी लाइब्रेरी*
- ***एम आर रहमान एवं एम असदुज्जमां (2010):*** *जर्नल साइंस फाउंडेशन*
- ***के रुद्र (2004):*** *http:www.ibaradio.org/India/ganga //xtra/resource/rudra.pdf*
- ***रश्मि सांघी व नितिन कौशल (2014):*** *संपादन: रश्मि सांघी, स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग, स्विट्जरलैंड*
- ***एच एस सेन (2010):*** *करंट साइंस वर्ष 99, अंक 6*
- ***एच एस सेन, डी बर्मन व शुभाशीष मंडल (2012):*** *लैप लैम्बर्ट अकेडमिक पब्लिशिंग, जर्मनी*
- ***साउथ एशिया नेटवर्क फॉर डैम, रीवर्स एंड पीपल (सन्दर्प)*** *http://sandrp.in*
- ***प्रवीण के ठाकुर (2014):*** *संपादन: रश्मि सांघी, स्प्रिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग, स्विट्जरलैंड*
- *http://www.thethirdpole.net/glacier-melt-will-reduce-crucial-water-supplies-for-people-living-in-the-himalayasè*
- ***आर सी त्रिवेदी, सीपीसीबी:*** *http://www.old.cseindia.org/misc/ga nga/state_pollution.pdf*
- ***भारतीय वन्य जीव संस्थान:*** *http://moef.nic.in/sites/default/files/ngrba/*

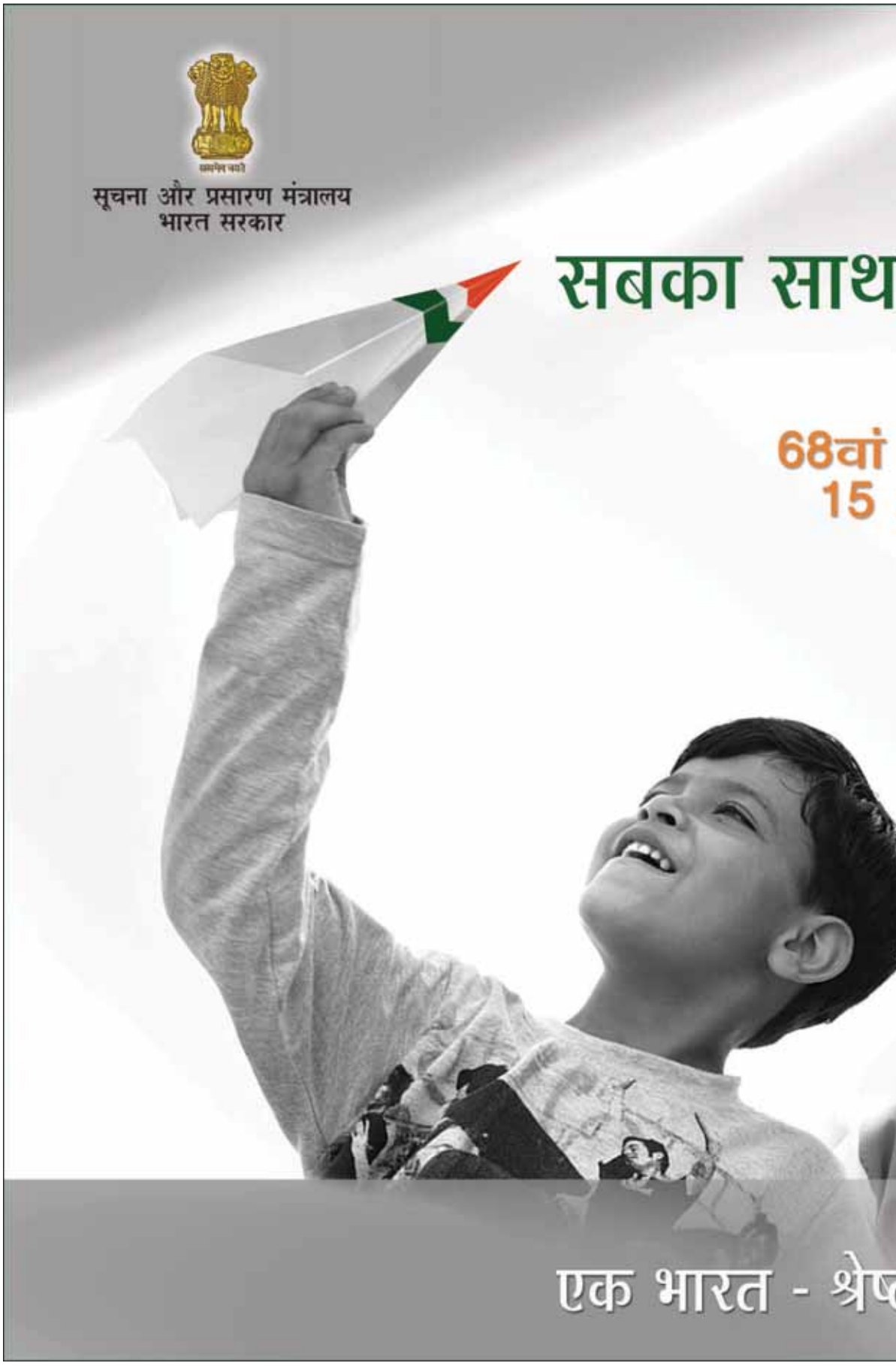
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
सबका साथ
68वां
15
एक भारत - श्रेष

- सबका विकास

स्वतंत्रता दिवस
अगस्त, 2014

सशक्त भारत की ओर
सशक्त कदम

ठ भारत

davp 22202/13/0020/1415

YH - 160/2014

स्मार्ट शहरों के लिए योजना: कहां से हो शुरुआत

एस चंद्रशेखर
निहारिका वेंकटेश

वर्तमान निवासियों से जुड़ी मूलभूत सेवाओं की कमी पर ध्यान देने के साथ ही हमें आयोजना को भविष्य में होने वाली जनसंख्या वृद्धि के अनुसार भी ढालने की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के एक हिस्से के तौर पर तैयार की गई शहरी विकास योजना के पास भी शहरों की भविष्य में बढ़ने वाली आबादी को लेकर कोई विश्वसनीय आकलन नहीं है। यह स्मार्ट आवास के एक अगले घटक से वाकिफ कराता है और निर्माण संबंधी इस माहौल से वाकिफ कराता है और मूलभूत सेवाओं को सुनिश्चित करने की तरफ ध्यान दिलाता है

नई सरकार के विकास मॉडल का सबसे लुभावना और आकर्षक बिंदु है स्मार्ट शहर बसाने की योजना। 10 जुलाई, 2014 को प्रस्तुत बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश भर में सौ स्मार्ट शहर बनाने के लिए 7060 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। इस बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बड़े शहरों के सैटेलाइट कस्बों के तौर पर शहरों का आधुनिकीकरण करके सौ स्मार्ट शहर बनाने के बारे में बात की थी। वित्त मंत्री की इस योजना को एक आदर्श योजना माना जा सकता था, अगर बजट भाषण में इस योजना का पूरा खाका और समय सीमा भी बतायी जाती ताकि कोई व्यक्ति यह आकलन कर सके कि इस योजना के लिए बजट में पर्याप्त संसाधन भी मुहैय्या कराए गए हैं या नहीं। इस कमी का कारण एक स्मार्ट शहर को बसाने के लिए जरूरी निवेश से जुड़ी जानकारी और स्पष्टता का अभाव भी हो सकता है। इससे पहले कि इस कहानी में हम और आगे बढ़ें, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दुनिया भर में स्मार्ट सिटी बनाने के इस माहौल के बीच स्मार्ट सिटी की कोई स्पष्ट परिभाषा सामने नहीं आई है। तथ्य यह है कि स्मार्ट शहरों के संदर्भ में कई तरह के परस्पर संबद्ध विचार सामने आ रहे हैं। इसमें क्रिएटिविटी का मुद्दा भी है, साइबर क्षेत्र का भी, डिजिटल का भी और ई-गर्वनेंस का भी। ये जरूरी नहीं कि इन सभी क्षेत्रों से जुड़े विचार आपस में विशिष्ट होंगे। सूचना संचार (आईसीटी) की क्षमता को काम में लाना हर एक विचार का अनिवार्य अंग है। विकास के लिए आईसीटी के इस्तेमाल का विचार मिलिनेयिम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी) में भी जोड़ा गया है। यहां तक कि आठवें एमडीजी की प्रगति की जांच करने का एक मुख्य लक्ष्य निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करने और नई तकनीक के लाभ खासतौर पर सूचना और संचार तकनीक के लाभों को उपलब्ध कराने से संबंधित है। भारत सरकार के मूल्यांकन के अनुसार देश इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। इस बात में कोई शक नहीं है कि लोगों के लिए स्मार्ट सिटी की परिभाषा तय करना एक चर्चा का विषय है। फिर भी इस मामले में स्मार्ट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जैसे गुजरात इंटरनेशनल फिन-टेक सिटी की खूबियों को समझना आसान है। वास्तविक चुनौती है इस बात पर विचार किए बिना कि वे गरीब हैं या अमीर, सभी निवासियों के लिए एक संयुक्त स्मार्ट सिटी बनाना।

भारत जैसे देश में किसी शहर को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया जनता केंद्रित होनी चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि इन शहरों को लोगों के काम आने लायक बनाना भी जरूरी है। इस तरह बजाय एक स्मार्ट सिटी की सामरिक परिभाषा देने के यह लेख इस संदर्भ में एक खाका तैयार करता है। स्मार्ट सिटी या निवास स्थान का विचार एक लक्ष्य के बजाय एक प्रक्रिया है और यही वह विशेषता है जो यह सुनिश्चित करती है कि स्मार्ट सिटी की कोई एक स्वीकार्य परिभाषा नहीं है। इसलिए यह मान्य है कि एक स्मार्ट सिटी

एस चंद्रशेखर मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास शोध संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। भारत में शहरी गरीबी, पलायन तथा शहरीकृत, नगर-ग्राम संबंध तथा श्रमबाजार आदि उनकी रुचि के शोध विषय हैं। वह गरीबी, भूख, खाद्य सुरक्षा और पोषण विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित करवाते हैं। ईमेल: chandra@igidr.ac.in
निहारिका वेंकटेश इसी संस्थान की एक शोध परियोजना पर काम कर रही हैं। वह आईआईटी, कानपुर से अर्थशास्त्र में समेकित स्नातकोत्तर कर चुकी हैं। ईमेल: niharikavk@gmail.com

इंटरनेट शासित होगी, डिजाइन और प्रबंधन में नियमित सुधार का लक्ष्य होगा, जलवायु आधारित विकास की योजना होगी और उसके निवासियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

एक शहर को स्मार्ट बनाने के लिए जनता केंद्रित तकनीकी सुविधाएं विकसित करने की जरूरत होगी। विकास के लिए आईसीटी की ताकत का इस्तेमाल करने का विचार खासतौर पर पारदर्शिता और प्रशासन में सुधार के लिए भारत में नया नहीं है और यह विचार स्मार्ट सिटी बनाने के विचार से काफी पहले का है। भारत की राष्ट्रीय

4862 गांवों में स्मार्ट गांव बनाने की शुरुआत की जा सकती है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत शामिल होगा। इसमें सरकार उन गांवों को शामिल कर सकती है, जो शहरों के नजदीक हैं और जिनकी जनसंख्या 5000 से 9999 के बीच है।

ई-शासन योजना का स्वप्न सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी तक सामान्य सेवा उपलब्धता केंद्र के जरिए उसके स्थानीय समुदाय में पहुंचाना है और उचित मूल्यों पर इन सेवाओं की पारदर्शिता, कुशलता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है और आम आदमी की आधारभूत जरूरतों को समझना है।

4041 संवैधानिक शहरों, 3894 जनगणना में शामिल शहर, 475 शहरी संकुलन और 238617 ग्राम पंचायत 6,40, 867 गांवों के लिए उत्तरदायी हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक प्रशासकीय इकाई ई-शासित होगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए पहले से ग्रामीण इंटरनेट संपर्क जरूरी है और 500 करोड़ रुपये का बजट डिजिटल इंडिया पहल के लिए निर्धारित किया गया है। संक्षेप में ई-शासन, एक शुरुआत है कि जिसके लिए सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध है, यह पहला मील का पत्थर है जिसे स्मार्ट आवास बनाने की दिशा में प्राप्त करने की जरूरत है क्योंकि ई-शासन देश भर में लागू किया जा रहा है, इसे प्रत्येक निवास स्थान को स्मार्ट बनाने के लिए काम करना चाहिए न कि सिर्फ सौ स्मार्ट शहरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

4862 गांव में दस हजार से ज्यादा निवासियों के साथ स्मार्ट गांव बनाने की शुरुआत की जा सकती है। इसमें भारत की ग्रामीण जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत शामिल होगा। इसमें सरकार उन गांवों को शामिल कर सकती है, जो शहरों के नजदीक हैं और जिनकी जनसंख्या 5000 से 9999 के बीच है। इस दौरान, यह योजना ग्रामीण जनसंख्या का अतिरिक्त 13.2 प्रतिशत भी शामिल करेगी।

यह योजना व्यावहारिक लगती है क्योंकि समय के साथ-साथ शहर के नजदीकी गांवों में रहने वाले लोग भी शहरी ही बन जाएंगे। इसलिए आगे की योजना बनाना एक स्मार्ट आइडिया है। इन गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए उठाए जा रहे कदम प्रशासनिक दृष्टि और सेवा वितरण से ग्रामीण विकास मंत्रालय के ई-पंचायत प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाये जा सकते हैं। इस योजना में पंचायत की कार्यपद्धति के सभी आयाम योजना, जांच, क्रियान्वयन, बजट, विपणन, सामाजिक लेखा-परीक्षण और नागरिक सेवाओं का वितरण जैसे प्रमाण पत्र और लाइसेंस जारी करना भी शामिल होगा।

ई-पंचायत प्रोजेक्ट का इस्तेमाल स्मार्ट शहरीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने एम-हेल्थ और ई-लर्निंग के मॉडल्स विकसित करने के लिए आईसीटी की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करने की खोज की है। यह कदम गांवों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाने चाहिए। यहां दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ भी परस्पर अनुबंध होने चाहिए।

इस बारे में सुझाव यह है कि यह योजना विभिन्न प्रस्तावों की अभिसारिता के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक ग्रामीण आवास और भविष्य के शहर स्मार्ट बन रहे हैं। इस प्रस्ताव को भविष्य के शहरीकरण के लिए एक अग्रणी योजना के तौर पर समझा जा सकता है। आज सरकार द्वारा उठाए गए अधिकतर कदम अग्रसक्रिय होने की बजाय प्रतिक्रियाशील हैं, जिनका दूरगामी असर नजर नहीं आता।

सितंबर 2011 में युसूफ मेहेरैली मेमोरियल लेक्चर देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने शहरी प्रशासन में सुधार और सेवा वितरण के मामले में सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की थी। उनके द्वारा उठाए गए दो मुद्दे इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं। माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा रखा गया पहला बिंदु था-निवेशों का पैमाना और योजनाओं का चयन। उन्हें निर्देशित करने के लिए राजनीतिक खींचतान और आर्थिक दबावों पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ आलोचक हमारे शहरी स्थानों के अभिजात्य वर्चस्व के बारे में बात करते हैं और सच में सभी साधारण शहरी लोग और अन्य यह विलाप करते हैं कि वर्जित शहरीकरण अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाकर कुछ खास सामाजिक समूहों को लाभ पहुंचा रहा है और छोटे और मध्य श्रेणी वाले शहरों के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने और जरूरी सेवाओं के लिए निर्धारित धन और संसाधन महानगरों को दिए जा रहे हैं।

दूसरे वह कहते हैं, हमारे शहरी क्षेत्र और प्रशासनिक ढांचा राजनीतिक द्वंद्वों और आर्थिक संघर्षों का एक रंगमंच बन गया है। हमारे शहरी क्षेत्रों का इस्तेमाल सुधारों के प्रचार-प्रसार और साथ ही साथ इस तरह के सुधारों के लिए जरूरी मानकों पर चर्चा के लिए भी किया जा रहा है। कुछ लोग सरकार के साथ सार्वजनिक निजी-साझेदारी के जरिए नागरिक सेवाओं का निजीकरण चाहते हैं, जो कि सिर्फ अनुदेशक के तौर पर काम करती हैं। अन्य लोग कहते हैं, यह सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को और ज्यादा बढ़ा देगा।

ई-पंचायत प्रोजेक्ट का इस्तेमाल स्मार्ट शहरीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने एम-हेल्थ और ई-लर्निंग के मॉडल्स विकसित करने के लिए आईसीटी की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करने की खोज की है।

इसलिए सरकार को यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वह इन शहरों में सभी निवासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कैसे करेगी।

सरकार को न सिर्फ वर्तमान निवासियों से जुड़ी मूलभूत सेवाओं की कमी पर ध्यान देने की जरूरत है बल्कि योजना को भविष्य में होने वाली जनसंख्या वृद्धि के अनुसार भी ढालने की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के एक हिस्से के तौर पर तैयार की गई शहरी विकास योजना के पास भी शहरों की भविष्य में बढ़ने वाली आबादी

को लेकर कोई विश्वसनीय आकलन नहीं है। यह हमें स्मार्ट आवास के एक अगले घटक से वाकिफ कराता है और यह निर्माण संबंधी इस माहौल से वाकिफ कराता है और मूलभूत सेवाओं को सुनिश्चित करने की तरफ ध्यान दिलाता है।

भारत की जनगणना, 2011 के आंकड़ों के आधार पर एक करोड़ 37 लाख 50 हजार जनसंख्या झुग्गी-बस्तियों में रहती है, यानी भारत की कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत स्लम में रहता है। यह प्रतिशत और भी ज्यादा होगा जब हम उस शहरी आबादी के आंकड़े सामने रखेंगे जो झुग्गी-बस्तियों में रहती है।

साल 2011 में 4041 संवैधानिक शहरों में से 63 प्रतिशत में झुग्गी बस्ती होने की बात सामने आई थी। स्मार्ट शहर और कस्बों का विचार इस तरह की झुग्गी-बस्ती वाली आबादी और अनौपचारिक तौर पर रहने वाली जनसंख्या के साथ काफी बेतुका लगता है।

शहरी भारत में 26 प्रतिशत परिवार लकड़ी, उपले और कूड़े-कबाड़े जैसी चीजों का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर करते हैं। यह एक स्मार्ट एनर्जी विकल्प नहीं हैं, क्योंकि इस तरह के गंदे ईंधन का इस्तेमाल वायु प्रदूषण फैलाता है। किसी भी शहर और कस्बे को स्मार्ट बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वहां का मूलभूत ढांचा दुरुस्त हो।

यह तभी हो सकता है जब तकनीक इन कमियों से निबटने में मदद करे। इसलिए शहरी भारत के संदर्भ में, पानी, स्वच्छता और एक अच्छे आवास से जुड़ी दूसरी तमाम जरूरतों में सुधार की जरूरत होगी। अब सवाल ये है कि कोई भी इन नागरिक सेवाओं के स्तर में कैसे सुधार करेगा?

स्मार्ट फैसले लेने के संदर्भ में, भारतीय शहरों के विभिन्न आयामों पर खाका बनाने के लिए आंकड़ा शर्मनाक तरीके से कम है। इस तरह का खाका विकसित देशों के शहरों के संदर्भ में ज्यादा व्यावहारिक है लेकिन कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि स्मार्ट फैसले करना और नागरिकों को सशक्त करना व्यवहारिक नहीं है। छत्तीसगढ़ जैसी कुछ प्रदेश सरकारों ने जरूरी प्रबंधकीय सूचना व्यवस्था विकसित करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य पद्धति में सुधार किया है। रायपुर में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पसंद के अनुसार उचित मूल्य की दुकान चयन करने की सुविधा के साथ-साथ कम मात्रा में सामान खरीदने की सुविधा भी दी गई है। विभिन्न दुकानों में राशन कार्ड के इस तरह के इस्तेमाल से ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने में मदद मिलती है। यदि भारत में प्रत्येक शहर रायपुर का उदाहरण मानें तो काफी निंदा का शिकार बनने वाला सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य पद्धति में सुधार करने में मदद मिलेगी। इसमें एक तथ्यात्मक सुधार ये भी किया जा सकता है कि इन राशन कार्ड की पोर्टेबिल्टी प्रवासी मजदूरों और अंत:प्रदेश प्रवासियों के लिए भी लागू कर दी जाए। यदि हम अपने आसपास देखें तो ऐसे बहुत से कदम हैं जिन्हें अपनाने की कोशिश करके हालात बेहतर किए जा सकते हैं। चुनौती है इन शहरों को इस स्तर तक सुविधाजनक बनाना ताकि इनमें बढ़ती आबादी का रहना संभव हो सके। यदि इस चुनौती को पार कर लिया जाता है तो कोई भी शहर स्मार्ट बन सकता है। ❑

Geog./भूगोल
by
आलोक रंजन

OUR RESULTS 2010 Ranks - 18, 21, 26, 31 ..... 100 more. | 2011 Ranks - 4, 20, 27, 35, 36..... 100 (approx)

2012 : - RESULTS
- Total results with geography 300+ (could be more...).
- 12* students in top 100 (based on received phone calls & thanksfullness) & total result more than 100... including 2, 4, 12, 27, 36, 40, 50, 52, 53, 54 ... more than 100.

हिन्दी माध्यम में भी शानदार सफलता-Ranks - 36, 40, 50, 52, 53, 54, 93 ...

2013 RESULTS : More than 100 results (Ranks- 7, 21, 24 .....)

भूगोल सर्वोत्तम वैकल्पिक विषय के रूप में
- उच्चतम औसत अंक देने वाला । जैसे - 425, 423, 407 आदि।
- लगभग 3000 मुख्य परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों में से 300 सफल प्रतियोगी प्रत्येक वर्ष।
- प्रारंभिक परीक्षा में 30 से 40 प्रश्न, प्रत्येक वर्ष।
- 250 अंकों का निबंध (भूगोल विषय से संबंधित)।
- सामान्य अध्ययन - प्रश्नपत्र प्रथम (पाठ्यक्रम का 50%) + द्वितीय प्रश्नपत्र (20%) + तृतीय प्रश्नपत्र का (0%) भूगोल विषय से संबंधित अर्थात् भूगोल विषय सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा का लगभग 300 से 400 अंकों को समाहित करता है।

105 DAYS COURSE PROGRAMME

New Batches Start :

Batch - I Karol Bagh* (English)
Batch - II Mukherjee Nagar (हिन्दी)
Batch - III Mukherjee Nagar (English)
} 1st Sep.

Admission Open : ...

Corporate office : - A-18, Top Floor, Young Chamber, Behind Batra Cinema, Mukherjee Nagar, Delhi-09. Ph: 45045836, 9311958008, 009
DIGMANI EDUCATIONS
Branch office : - 17-A/20, IIIrd Floor, Near Titan Showroom, Ajmal Khan Road, Karol Bagh, (Near Old Rajendra Nagar), Delhi-05. Ph: 28756008, 9311958007, 008, 009

YH - 153/2014

ऊंची छतों पर हरी-भरी दुनिया

संजय श्रीवास्तव

तीव्र गति से बढ़ते शहरीकरण ने धरती पर हरियाली का हिस्सा लगातार कम किया तो अब इसकी भरपाई हरित छतें बनाकर करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसी छतें न सिर्फ शहरों की छटा मनमोहक बनाती हैं बल्कि भवनों के लिए वातानुकूलन का काम भी बहुत हद तक करती रहती हैं। इससे क्षेत्र विशेष में वर्षा की कमी दूर करने में मदद मिलती है और जलसंचय में आसानी भी। पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक हर दृष्टि से हरित छतें अब समय की मांग बनकर उभर रही हैं। इस विषय को लेकर पूरी दुनिया में तरह-तरह के प्रयोग हो रहे हैं। देश में भी इन पर अमल करने की जरूरत है

जब पूरी दुनिया में बात हरित विश्व की हो रही हो, दुनिया के तेजी से खत्म होते प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की बातें हो रही हों तो ग्रीन हाउस की परिकल्पना बहुत तेजी से हकीकत में बदल रही है। यानी ऐसे घर जो हरे भरे हों, जहां छतों पर हरियाली लहलहाए। जहां छतों से रंग बिरंगे फूल मुस्कुराएं। हरे-भरे लॉन में मुलायमसी घास हो, कुछ छोटे बड़े पेड़ पौधे हों। ऐसी छतें हमारे देश में भले ही न हों लेकिन अमेरिका और यूरोप में हकीकत बनती जा रही हैं। ये ऐसी छतें होती हैं, जिन्हें ग्रीन टॉप या ग्रीन रूफ कहा जाता है। आमतौर पर हम-आप जो घर बनाते हैं वहां छतें लंबी चौड़ी तो हो सकती हैं, लेकिन होती वीरान हैं, खाली-खाली होती हैं, उनका ज्यादा उपयोग नहीं होता लेकिन आने वाले समय में अपने देश में भी शाायद ऐसा नहीं होगा, छतों पर हरी भरी दुनिया दिखेगी। छतें केवल छतें नहीं होंगी। बल्कि बागीचा होंगीं, खेत होंगें, फार्महाउस होंगे, जिन पर आप चाहें तो खूब सब्जी पैदा करिये। इन्हीं छतों से बिजली पैदा की जायेगी। इनसे घरों का तापमान नियंत्रित किया जा सकेगा। कुछ मायनों में वातानुकूलन का काम करेंगी। इन्हीं के जरिए वाटरहार्वेस्टिंग का भी काम होगा।

आप चकित होंगे एक छत से इतने काम, क्या सचमुच छतें इतने काम की हैं। हां, साहब वाकई छतें बहुत काम की हैं। भले अभी तक हमने इनका महत्व नहीं पहचाना हो लेकिन दुनियाभर में कम होती जमीन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता ने छतों को वो महत्व प्रदान कर ही दिया है, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि ईसा पूर्व हमारे पूर्वज जरूर ऐसा कुछ करते रहे होंगे, जिसका नतीजा बेबीलोन के झूलते बाग थे। मौजूदा दौर में भी जब छतों को नये तरीके से देखा जा रहा है और इनके महत्व को पहचाना जा रहा है, तो लगता है कि इसके मूल में आइडिया कहीं न कहीं हजारों साल पुराने ये हैंगिंग गार्डन यानी झूलते बागीचे रहे होंगे। शायद यही वो विरासत है, जिसने पर्यावरणविदों को वीरान और उजाड़ पड़ी रहने वाली छतों को एक नये अंदाज में बदल डालने की प्रेरणा दी। जब हम ग्रीन रूफ यानी हरी भरी छतों की बात करे रहे हैं, तो कोई अनोखी बात नहीं कर रहे। यूरोप और अमेरिका में अब कोई नया घर बनवाता है तो घर पर ग्रीन रूफ का प्रावधान रखना नहीं भूलता। वैसे हकीकत ये भी है कि ये हरी भरी छतें होती इतनी फायदेमंद हैं कि नये ट्रेंड में बदल चुकी हैं। वहां के औद्योगिक शहर बदलने लगे हैं। बड़े-बड़े कारखानों की आड़ी तिरछी और सपाट छतों पर एक नई ग्रीन दुनिया जन्म ले रही है।

शिकागो सिटी को लोग दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक शहर के रूप में जानते हैं। दुनियाभर का सबसे बेहतर स्टील यहीं तैयार होता है। संरचना के मामले में ये सबसे समृद्ध शहरों में जाना जाता है। हाल ही में कोपनहेगन में वर्ष 2016 के लिए ओलंपिक मेजबानी के लिए शहरों का चुनाव होने वाला था, तो पहले दौर की दौड़ में सबसे आगे शिकागो शहर ही था। ये शहर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का गृहनगर भी है। इस शहर में पिछले कुछ दिनों में एक खास बदलाव आया है। यहां की ज्यादातर इमारतों में छतों पर खूबसूरत लॉन बनने लगे हैं, जो पर्यावरण संतुलन में खास भूमिका निभा रहे हैं। कुछ साल पहले यहां के मेयर रिचर्ड डिले ने जब शहर की छतों में इस तरह के बदलाव का बीड़ा उठाया तो लोगों को विश्वास नहीं था उनका ये आइडिया शहर को इतना बदल देगा कि वो दुनियाभर के लिए

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। लगभग ढाई दशक से बहुविध विषयों पर लेखन कर रहे हैं। प्रकाशित पुस्तकें: '1857 से लेकर 1947 वे 90 साल,' मर्लिन मुलरो-स्वपन परी, क्रिकेट के चर्चित विवाद, स्टार खिलाड़ियों की प्रेम कहानियां आदि। संप्रति एक राष्ट्रीय दैनिक से जुड़े हैं। ईमेल: sanjayratan@gmail.com

उदाहरण बन सकेगा। अब शिकागो शहर को लोग उत्तरी अमेरिका का हरी छतों वाला शहर कहने लगे हैं। यहां की ऊंची अट्टालिकाओं पर ऊपर बने पार्क लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इनमें से कुछ तो बेहद खास हैं। मसलन शिकागो सिटी हॉल की छत पर बना बगीचा हरे भरे मुकुट सरीखा लगता है। हरी छतें यहां सफलतापूर्वक भवनों के तापमान को भी नियंत्रित करती हैं।

इन हरी छतों के बाद यूरोपीय देशों में ये बात खूब चल निकली है कि केवल ये ज़रूरी नहीं कि आदमी कैसी इमारत बनाता है, कितनी ऊंची बनाता है, बल्कि मायने ये रखता है कि इमारत के साथ वो छत कैसी बना रहा है और उसका कैसे इस्तेमाल करता है।

छतों की बात करते समय हमें अक्सर वो पुराने मोहल्ले और मुंडेरें याद आ जाती हैं जो शाम को गुलजार हुआ करती थीं, लोग शाम को छतों पर आकर उनका आनंद लेते थे। छतों का हमारे यहां काफी महत्व होता था। मंद-मंद बहती हवा का आनंद अगर छत पर खड़े होकर नहीं लिया तो क्या किया। गुनगुनी धूप जब इन पर फैलती तो उसकी गरमाई में बदन सेंकने का लुत्फ भी कितना निराला होता था। इन्हीं छतों पर कभी पापड़ सुखाये जाते तो कभी ये ही छतें आसमान में ऊंची-ऊंची लहराती पतगों का गवाह बनती। कभी-कभी ये छतें अड़ोस पड़ोस में रहने वाले प्रेमी युगलों के लिए चिट्ठी आदान-प्रदान करने का भी जरिया होती थी। लेकिन अब वो दिन शायद बीती बात हो गये। अब भागमभाग जिंदगी में छतें भुलाई जा चुकी हैं, उसकी जगह डेटिंग ने ले ली है तो चिट्ठियों के आदान प्रदान की जगह मोबाइल के एसएमएस और इंटरनेट के ईमेल ने ले ली है। लिहाजा छतें और उदास हो गई हैं। एक तरफ छतें उदास और तन्हा होती जा रही हैं तो दूसरी ओर ग्लोबल वार्मिंग के असर से भी ये अछूती नहीं।

लिहाजा हरी छतों से ज्यादा माकूल कुछ भी नहीं। हाल के दशकों में वास्तुशास्त्री, बिल्डर्स और नगर नियोजकों ने भी इस ओर ध्यान देना शुरू किया। वेंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी की विशालकाय छत की ओर पहले कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया लेकिन 1985 में इसे एकदम बदल दिया गया। उसके बाद तो 20 हजार स्क्वायर फीट में फैली छत एकदम ही बदल गई। यहां का सन्नाटा जिंदगी के मधुर संगीत में बदल गया। इसी शहर में एक विश्व प्रसिद्ध होटल ऐसा भी है, जो अपने फल से लेकर सब्जियां तक सबसे ऊपर बनाये गये फार्म हाउस से उगाता है। इसमें सेब से लेकर हरी-भरी सब्जियां, औषधियां और शहद सबकी पैदावार की जाती है। इसके जरिए होटल हर साल सोलह हजार डालर से कहीं ज़्यादा की बचत करने लगा है। वहीं जापान के टोक्यो में सबसे प्रसिद्ध शराब ब्रांड हाकुत्सुरु ने भी कुछ ऐसा ही किया है। हाकुत्सुरु चावल से शराब बनाने के लिए जाने जाते हैं और ये शराब पूरे जापान में खासी पसंद की जाती है। कंपनी ने टोक्यो आफिस की विशालकाय छत के उपयोग का फैसला किया और अब वो इसमें चावल की खेती करती है। जो चावल यहां उगाया जाता है उसका उपयोग शराब बनाने में होता है।

सानफ्रांसिस्को में तमाम बस स्टाप की छोटी छोटी छतें लताओं और बेलों से गुथी हुई दिखेंगी और उन्हीं के बीच रंग बिरंगे फूल। बस शेल्टर पर इन्हें बनाने का खास उद्देश्य था। ताकि यहां से जाने आने वाले अपने घर को भी वैसा ही हरा भरा करने का आइडिया यहां से लेकर जाएं।

लंदन में बहुत परंपरागत शहर माना जाता है। अंग्रेज एक खास तरह के वास्तुकरण को पसंद करते हैं और उनमें रहना पसंद करते हैं। एकदम सीधी ऊंचाई वाले दो से तीन मंजिल वाले घर। सपाट खिड़कियों और छत के ऊपर चिमनियों वाले लेकिन अब इस शहर में छतें अलग अंदाज में बनने लगी हैं, जिन पर छोटे छोटे लॉन्स और ऊर्जा संचय का खास ख्याल रखा जाने लगा है।

दुनियाभर में प्रसिद्ध फोर्ड गाड़ियों का मुख्यालय है मिशिगन, जहां फोर्ड कंपनी का लंबा चौड़ा साम्राज्य फैला हुआ है। यहीं से वो दुनियाभर में अपने व्यापार को नियंत्रित करने का काम करते हैं। उनकी एक फैक्ट्री की 10.4 एकड़ की छत पर पहले धूप और ऊपर से गुजरने वाले विमानों का खासा असर पड़ता था। इससे निजात पाने के लिए उन्होंने इस लंबे क्षेत्र को हरे भरे पार्क में बदल डाला। अब ये पार्क न केवल धूप से उन्हें बचाता है बल्कि पास के एयरपोर्ट पर रनआफ के समय विमानों के शोरगुल और धुएं से फैक्ट्री की इस इमारत की रक्षा करता है।

शिकागो, स्टटगार्ट, सिंगापुर और टोक्यो जैसे शहरों की तस्वीर बदल रही है। बहुत तेजी से वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग की बालकनी और ऊपरी छतें ग्रीन होती जा रही हैं। अमेरिका और यूरोप में ये सामान्य है। स्विट्जरलैंड के बासेल शहर की तो खास विशेषता ही यही है कि यहां की हर छत ग्रीन छत है। अमेरिका के कुछ शहरों में तो बिल्डर्स को इस तरह के मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो सही मायनों में ग्रीन हाउस कहलायें।

यूरोप के कई देशों जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड और आस्ट्रिया में इस तरह की छतों को लाइव रूफ्स यानी सजीव छतें कहा जाता है। इनके लिए कानून बने हुए हैं। यानी घरों में ग्रीन रूफ्स बनाना जरूरी हो चला है। लंदन स्थित ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नॉलॉजी इस बात का अध्ययन कर रहा है कि ग्रीन छतों के व्यवहारिक फायदे असल में क्या हैं।

यूरोप में ग्रीन रूफ लैब बन चुकी हैं जो बताती हैं कि आप जिस इलाके में मकान बना रहे हैं वहां के लिए आपको अपनी छत का पार्क कैसे तैयार करना चाहिए। उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। कैसे पेड़ पौधे लगाए जांए। साथ ही ये भी इनसे आप किस तरह वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। इन भवनों में हरित छतें तैयार करने के लिए खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

कुछ पर्यावरणविद इसलिए इसे उपयोगी मानते हैं कि कम से कम इसी बहाने से तो शहरी लोग प्रकृति के फिर से करीब आने लगे हैं। यानी उनकी निगाह में ये प्रकृति का

हरित छतों की जरूरत

- भारत दुनिया का पांचवां बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। देश बड़े पैमाने पर बिजली संकट का सामना कर रहा है, जो समय आने के साथ और बढ़ेगा।
- पानी के स्रोत भी अक्षय नहीं हैं। पानी के स्रोत सीमित हैं लेकिन जनसंख्या तेजी से कई गुना हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक का आंकलन है कि अगले दो दशकों में भारत ने अगर पानी प्रबंधन के लिए गंभीर पहल नहीं की तो गहरा संकट पैदा हो जायेगा। हमारे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है
- बड़े शहरों में जमीन खत्म हो चुकी है। पार्क गिने चुने हैं। लोगों को कंक्रीट के जंगल में ताजी हवा तक नसीब नहीं होती है।
- बरसात का पानी व्यर्थ चला जाता है। हम इसका कोई उपयोग नहीं कर पाते।

शहरीकरण है, जिससे भागमभाग वाली शहरी जीवनशैली में जिंदगी को आप प्रकृति के करीब महसूस करने लगते हैं। इसका फायदा तनाव घटाने से लेकर स्वाभाविक तौर पर सुकून देने में हो सकता है।

छतों पर ग्रीन रूफ तैयार करने की प्रक्रिया में सबसे निचली लेयर हवायुक्त डेक की होती है। इसके ऊपर जलरोधी झिल्ली की परत होती है, जिसके ऊपर खासतरह के स्टोरेज कपनुमा बैरियर मैट बिछाये जाते हैं, जो ऊपर से फैब्रिक फिल्टर से चिपके होते हैं। इतनी परतों को एक के ऊपर एक लगाने का मकसद ड्रेनेज सिस्टम तैयार करना होता है जो पानी को फिल्टर करके सबसे नीचे के सतह तक लाता है और फिर इन्हें शुद्ध रूप में भंडारण पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। ये ड्रेनेज सिस्टम केवल पानी को फिल्टर करने और नीचे भंडारण पात्रों तक ही पहुंचाने का काम नहीं करता बल्कि छत और मिट्टी के बीच इंसुलेटर का काम भी करता है। इतना कुछ करने के बाद फिल्टर फैब्रिक पर मिट्टी की

ब्रिटेन में हरित भवन नियम अनिवार्य है, लेकिन अभी ये केवल सरकारी इमारतों या जनता के पैसों पर बनने वाले भवनों पर है। वर्ष 2010 तक ये कानून सभी के लिए लागू हो जायेगा। अमेरिका के कुछ राज्यों में हरित भवन का प्रावधान।

सतह बिछाकर उस पर घास और पौधे बो दिये जाते हैं और इस तरह तैयार हो जाती है हरित छतें। रूट बैरियर मैट्स से लेकर मिट्टी के ऊपरी सतह तक की कुल ऊंचाई तीन से पंद्रह इंच तक हो सकती है। बेशक इस तरह की छतों की लागत आम छतों से दोगुनी से तिगुनी तक होती है लेकिन लंबी अवधि में देखें तो ये न केवल खासी सस्ती साबित होती हैं बल्कि उपयोगी भी।

ये जीती जागती छतें हमें नेचुरल बॉयोलॉजिकल सिस्टम के बारे में भी बताती हैं। भीषण गर्मी में कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुके शहरों के मकान किस तरह भट्टी में तब्दील हो जाते हैं, ये हममें से किसी से छिपा नहीं है, लेकिन मिट्टी और वनस्पतियों से युक्त ये छतें सीधी धूप को रोककर अवरोधक का काम करती हैं। जाहिर सी बात है कि इससे बिल्डिंग का तापमान कम हो जाता है। इससे बिल्डिंग को ठंडा करने का खर्च करीब बीस फ़ीसदी तक कम हो जाता है। आमतौर पर जब बरसात का पानी खाली छतों पर गिरता है तो उसकी बर्बादी ही होती है लेकिन सजीव छतें पानी को सोखती हैं, फिल्टर करती हैं और फिर इसे धीरे-धीरे नीचे को निकालकर स्टोर कर देती हैं। इस प्रक्रिया से शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव कम हो जाता है और उसकी जिंदगी बढ़ जाती है। साफ पानी भी मिलता है। लंदन में सड़कों पर बरसात के पानी को रोकने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई हुई हैं।

आमतौर पर इन छतों पर सौर पैनल लगाने का रिवाज़ भी चल पड़ा है यानी खुद का काफी हद तक बिजली उत्पादन भी। अब आप खुद देख लीजिये कि ये छतें कितने काम की हैं। सब्जी भी उगाइये। पार्क का आनंद लीजिये। इको फ्रेंडली बनिये। प्रकृति के करीब रहिये। छत को पराबैंगनी किरणों से बचाइये। ऊर्जा की बचत करिये। और साथ-साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी।

ग्रीन रूफ का प्रचलन अमेरिका और यूरोप में बढ़ने के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका एक एसोसिएशन भी बन चुका है, जो दूसरे देशों में इसका महत्व बताने की कोशिश कर रहा है। इसके डायरेक्टर वोल्फगैंग अंसेल कहते हैं कि अगर हम किसी बिल्डिंग के लिए जमीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें छत के रूप में इसे प्रकृति को लौटाना भी चाहिए।

जहां तक भारत की बात है तो भारत में हरित छतें या हरित भवन अभी दूर की कौड़ी लगती है। कुछ बड़े शहरों में इसकी पहल तो हो रही है लेकिन ये अभी न के बराबर है। हालांकि ये बात सही है कि अगर शहरी इलाके की नई इमारतें हरित भवनों की अवधारणा को लागू करें तो भारत 3400 मेगावाट बिजली बचा सकता है। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी) के प्रमुख नोबल पुरस्कार विजेता आर के पचौरी कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो अपना देश हर साल 40 हजार करोड़ रुपये तक की बचत कर सकता है।

अभी सरकार का ध्यान भी इस ओर नहीं है लेकिन ये बात सही है कि बिजली और बड़े महानगरों में पानी के संकट से जूझते इस देश को ग्रीन बिल्डिंग्स जैसी नीतियों की जरूरत है। इस तरह की नीतियों से जहां हम बिजली की बचत कर सकते हैं वहीं वाटर हार्वेस्टिंग जैसे तौर तरीकों से पानी का असरदार संचय भी कर सकते हैं। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्रमुख एस रघुपति मानते हैं कि देश को अब हरित भवनों की जरूरत है और सरकार को इसके लिए टैक्स में छूट के प्रावधान करने चाहिए।

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सलाहकार डा. बी बंदोपाध्याय कहते हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर हरित इमारतें बनाना संभव नहीं लेकिन बड़े संस्थान या सरकारी भवनों में जरूर ऐसा किया जा सकता है। वह कहते हैं कि बेशक ऐसे भवनों की लागत ज्यादा आती है लेकिन कुछ ही सालों में अपने ऊर्जा बचत और वाटर हार्वेस्टिंग जैसे तरीकों से अपनी कीमत वसूल करा देते हैं। बिल्डर्स को भी अपनी नई परियोजनाओं पर हरित भवनों के कुछ फीचर्स अपनाने चाहिए।

आईआईटी में भवन तकनीक के एसोसिएट प्रोफेसर विशाल गर्ग भी कहते हैं कि हमारे देश में सारे लोग हरित इमारतें बनवाने का बोझ शायद ही संभाल पाएं लेकिन इंडिया इनकारपोरेट और धनी लोग तो कम से कम ऐसा कर ही सकते हैं। उन्हें जरूर आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत करनी चाहिए।

बेशक मुंबई और पुणे में ऐसी बिल्डिंग्स की शुरुआत हुई है। छोटे स्तर पर लोगों ने हरिज छतों की ओर ध्यान देना भी शुरू किया है।

हरित भवन से 20 से 30 फीसदी तक ऊर्जा की बचत संभव है और 30 से 50 फीसदी तक पानी की बचत भी। आम भवनों की तुलना में लागत पांच से दस फीसदी ज्यादा। लेकिन ये लागत बिजली और पानी की बचत के जरिए दो साल में पूरी की जा सकती है।

क्या होना चाहिए

देश में हरित भवन संबंधी प्रावधानों का पालन खासकर नई इमारतों में अनिवार्य कर देना चाहिए। यानि नये भवन हरित हों और उनकी छतों पर लान या पार्क विकसित किये जाएं। ऊंची इमारतों में इसका पालन एकदम अनिवार्य कर देना चाहिए।

ये देखना चाहिए कि क्या हम अपनी विशालकाय इमारतों की खाली छतों का उपयोग ग्रीन बनाने में कर सकते हैं या नहीं। बड़े भवनों, व्यवसायिक इमारतों और कारपोरेट हाउसेस के लिए हरित टेक्नॉलॉजी का उपयोग अनिवार्य हो जाना चाहिए। इनमें वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था होनी चाहिए।

अगर कोई हरित भवन बनाता है या ग्रीन रूफ्स विकसित करता है तो टैक्स छूट के जरिए उसे सरकार को राहत की व्यवस्था करनी चाहिए। बड़े बिल्डर्स के लिए नई परियोजनाओं में कुछ हद तक इसके पालन को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ❑

125+ Selections this year from CHRONICLE IAS ACADEMY

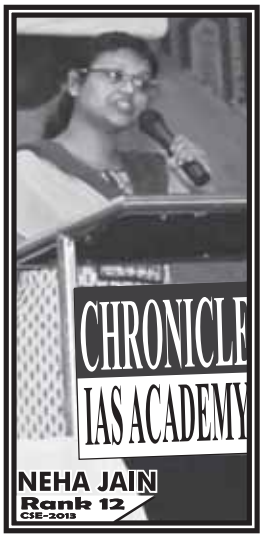

From G.S. Classroom Programme

सामान्य अध्ययन में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओं मे से एक:400 अंक

प्रथम प्रयास में ही आईएएस में सफलता

क्रॉनिकल ने सफलता तक मेरा मार्गदर्शन किया

सामान्य अध्ययन की तैयारी में जिस प्रकार की सहायता क्रॉनिकल ने मुझे दी है उसके लिए मै उनका हार्दिक आभारी हूँ। क्रॉनिकल में मेरा अनुभव सकारात्मक तथा समृद्धकारी रहा तथा तैयारी के दौरान पूरी कक्षा तथा शिक्षक मेरे लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुए। मेरी सफलता में क्रॉनिकल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही, विशेषकर सामान्य अध्ययन की तैयारी में। क्रॉनिकल एक पूर्व निर्धारित रूटीन के अनुसार कार्य करती है तथा सामान्यतया इस पर ईमानदारी के साथ अमल करती है। एक सदस्य के रूप में मुझे क्रॉनिकल में मुझे वैयक्तिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

नेहा जैन
रैंक 12 सी.एस.ई. 13

सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा 2014
1000 अंकों का विशेष कार्यक्रम

मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से निर्मित

• सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा) के सभी चार पत्र सम्मिलित • यूपीएससी की नई पद्धति एवं रूझानों के अनुसार निर्मित • नियमित जांच परीक्षा • विस्तृत अध्ययन सामग्री की उपलब्धता • सीमित कक्षा आकार

प्रारम्भ 1 सितंबर

पंजीकरण जारी

मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज

• कुल टेस्ट 16 (खंड आधारित-पुनरीक्षण टेस्ट तथा 8 समग्र मॉक यूपीएससी टेस्ट) • टेस्ट कार्यक्रम 'मांग आधारित पूर्ति' की अवधारणा लेकर चलती है ताकि मुख्य परीक्षा के बहुआयामी पद्धति के अनुरूप सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शामिल हो। • सभी टेस्ट यूपीएससी के परिवर्तित प्रश्न प्रारूपों को ध्यान में रखते हुए संस्थान में पूर्ण परीक्षा माहौल में कराए जाऐंगे। • विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर की सारगर्मित व्याख्या वाला परिचर्चा सत्र जिसमें क्रॉनिकल रिसर्च टीम सामग्री सहयोग प्रदान करेगी।

आईएएस हेतु निबंध

दृष्टिकोण: सीखने के लिए लिखें एवं लिखना सीखें
उद्देश्य: आइएएस में निबंध लेखन क्षमता को बढ़ाना जो कि कॉलेज या स्कूल के निबंध से सर्वथा भिन्न होता है।
विशेषताएं: निबंध-सीखने के लिए लिखें (टेस्ट) 10: सत्र, निबंध-लिखना सीखें (टेस्ट परिचर्चा) सत्र:10, विद्यार्थियों की विशेष प्रतियोगी मांग के अनुरूप वैयक्तिक संवाद सत्र

हॉस्टल सुविधा उपलब्ध

Call: • 9582948819 • 9891351620 • 8800495544

SMS: "CAMPUS YH" to 56677

Visit : www.chronicleias.com

Rajinder Nagar • North Campus • Noida

24 Years of Guiding Success
CHRONICLE IAS ACADEMY
A Civil Services Chronicle Initiative

YH - 152/2014

नगर नियोजन तब भलो, जब न कचरा, हां पानी

अरुण तिवारी

दुनियाभर में जितनी भी संस्कृतियां विकसित हुईं, जल की उपलब्धता उनके विकास का मूल आधार रहा। यही कारण है कि प्राचीन नगर नियोजकों ने नगरों के अंदर भी जल संग्रहण-भंडारण व निकासी के बीच परस्पर तालमेल बिठाए रखने पर पूरा जोर दिया। आधुनिक नगर नियोजन में इसी तत्व की कमी सबसे ज्यादा खराब रही है। देश के अधिकांश नगर तो अनियोजित हैं और महानगरों की हालत तो और भी बुरी है। ऐसे में भी समय रहते नगर नियोजन ने जल-प्रबंधन पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो नगरीय जीवन के लिए गहरा संकट उत्पन्न हो सकता है। इस बात के प्रभाव अतीत में भी मिलते हैं

आज भारत में 5161 नगर, 35 महानगर, 393 प्रथम श्रेणी और 401 द्वितीय श्रेणी दर्जा प्राप्त नगर हैं। 20,000 से 50,000 तक की आबादी वाले छोटे नगर बहुसंख्य हैं। भारत की 31.16 प्रतिशत आबादी यानी 37 करोड़, 30 लाख लोग इन नगरों में रहते हैं। दावा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नगरों का योगदान बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। विश्व बैंक अगले दस वर्षों में नागरीय योगदान के बढ़कर 70 प्रतिशत हो जाने का आकलन पेश कर रहा है। दिलचस्प है कि इतने बड़े योगदान के बावजूद हमारे 3,894 नगर न नियोजित हैं और न ही इनमें नियोजन करने वाली नगरपालिकायें हैं।

दूसरा चित्र यह है कि स्थानीय संसाधन, जनजरूरत और आबोहवा की अनुकूलता देखे बगैर आज लगभग सभी नगर एक ही तर्ज पर नियोजित और विकसित किए जा रहे हैं। आकाश छूती इमारतें, स्टील फ्रेम, चमचमाते शीशे वाले शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल, ऑफिस, बहुमंजिला आवास और इन सब के बीच उग आये स्लम। दो शहरों के बीच में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। जीवनशैली और रेस्तरां के मीनू में भी यह फर्क मिटता दिखाई दे रहा है। हर छोटा शहर अपने से बड़े शहर की नकल करने में लगा है। महानगर 'वर्ल्ड क्लास सिटी' की होड़ में व्यस्त हैं। सारा जोर ठोस ढांचों के निर्माण पर है। ढांचागत एकरूपता की इस होड़ के कारण नगरों की चुनौतियां बढ़ रही हैं। आबोहवा, सेहत और संसाधनों के संकट गहरा रहे हैं और नियोजन पर सवाल उठ रहे हैं। एकसौ नये नगर नई सरकार के एजेंडे में हैं। शायद इसीलिए इनके नियोजन के लिए भारत सरकार भारतीय नगर नियोजकों के बजाय मशहूर फ्रांसीसी नगर नियोजकों के संपर्क में है।

बुनियादी पहलू

गौरतलब है कि किसी भी श्रेष्ठ नियोजित नगर में अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं की संख्या न्यूनतम 13 हैं: बिजली, सड़क, यातायात, पार्किंग, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, संचार, रोजगार, आवास, बाजार और सुरक्षा। नियोजन को प्रभावित करने वाले बुनियादी तत्व चार हैं: कचरा, पानी, हरियाली और भूमि। आधुनिक नगर नियोजन के समक्ष पेश आ रही प्रमुख चुनौतियां पांच हैं: पानी, बिजली, भीड़, कचरा और पार्किंग।

नगर आधुनिकता और आर्थिक प्रगति के प्रतीक हैं। किंतु यदि उक्त कचरा, पानी, हरियाली और भूमि का उचित नियोजन न किया जाये तो नगर क्या, दुनिया की बड़ी से बड़ी आर्थिकी टिक नहीं सकती। यह बात नगर और आर्थिकी दोनों के नियोजकों के लिए सदैव याद रखने की है। यह याद न रखने का ही नतीजा है कि कचरे ने कई नगरों का कचरा कर दिया है। पानी की अनुचित नियोजन के कारण कई बसावटें उजड़ने को विवश हुईं। बाजार, बीमारी, बेरोजगारी और वैमनस्य खतरा बनकर सिर पर सवार हुए। कभी नगर दो नदियों के दोआब में बसाये जाते थे। आज नदियां दो आबादियों के पाट में फंसा दी गई हैं। हरियाली की कमी ने सांस, सेहत और वैश्विक तापमान के संकट को कई गुना बढा दिया है। भूमि की कमी से बढी कीमतों के कारण सदाचार, व्यवहार और सुविधाओं की जगह कई तरह के वर्ग संघर्ष, भ्रष्टाचार व अनाचारों ने जन्म ले लिया है। किसी भी नगर के नियोजन में सावधानी के लिए क्या इतनी चेतावनी काफी नहीं?

लेखक स्वतंत्र पत्रकार है। जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण आदि विषयों पर नियमित तौर पर लिखते रहते हैं। ईमेल: amethiarun@gmail.com

अनुभव की सीख

प्रसिद्ध पर्यावरणविद व जल संसाधन विशेषज्ञ अनुपम मिश्र की मानें तो जलनियोजन में कमी के अनुभव देवराज इन्द्र के समय में भी कम नहीं थे। नियोजन में कमी वाले ऐसे नगरों को इन्द्र अपनी वर्षा के प्रहार से ढहा देता था। इसीलिए इन्द्र का एक और नाम पड़ा-पुरंदर यानी पुरों को, किलों को, नगरों को तोड़ देने वाला। कचरे के अनियोजित निष्पादन ने धरती के नीचे का प्रवाह रोका तो धरती ने पानी सोखने से इंकार कर दिया। हमने जलनिकासी के परंपरागत मार्गों में कब्जे किए। अवरोध खड़े किए तो इन्द्र के प्रहार ने उन नगरों को भी अपनी चपेट में लिया, जहां पहले कभी बाढ़ नहीं आती थी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद से लेकर श्रीनगर गढ़वाल तक। अत: नियोजन की कमी पर शोक मनाने की बजाय, जरूरत दूरदृष्टि युक्त नियोजन की है। अनुभवों से सीखने की है।

पानी से नजदीकी : पहली शर्त

नगर कहां बसे। यह तय करने में पानी से नजदीकी नि:संदेह एक प्रमुख कारण होता है। अनुभव की यह पहली सीख सभ्यता की प्राथमिक पुस्तकों में अरसे से पढ़ाई जाती रही है। विजयनगर, बुरहानपुर, हैदराबाद, गोलकुण्डा, तक्षशिला जैसे पुरातत्व महत्व के नगरों से लेकर चंडीगढ, बंगलुरु, पुणे, नवी मुंबई, साल्टलेक सिटी जैसी नई बसावट तक के लिए जगह के चुनाव में पानी एक खास कारक रहा है।

किसी भी श्रेष्ठ नियोजित नगर में अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं की संख्या न्यूनतम 13 हैं: बिजली, सड़क, यातायात, पार्किंग, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, संचार, रोजगार, आवास, बाजार और सुरक्षा। नियोजन को प्रभावित करने वाले बुनियादी तत्व चार हैं: कचरा, पानी, हरियाली और भूमि। आधुनिक नगर नियोजन के समक्ष पेश आ रही प्रमुख चुनौतियां पांच हैं: पानी, बिजली, भीड़, कचरा और पार्किंग।

भारत में सबसे कम औसत वर्षा वाले इलाके में भी नगर नियोजकों ने जैसलमेर के लिए ऐसी जगह का चुनाव किया, जो पर्वत श्रंखलाओं के बीच स्थित है। जहां मीठे पानी के अनेक स्रोत थे। एक विशाल कुआं ऐसा था, जिसके बारे में किंवदन्ती है कि उसे श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बनाया। जगह का ढाल ऐसा शानदार था कि सन् 1367 में जैसलमेर के राजा घड़सी रावल द्वारा बनाये तालाब घड़ीसर का पानी आज भी कभी नहीं सूखता। इसका आगोर इतना विशाल है कि एक ओर का विस्तार ही 20 किलोमीटर है। हर बारिश से पहले राजा खुद शामिल होकर पूरे आगोर को साफ कराता था। घड़ीसर में नहाने व मवेशियों को पानी पिलाने वालों को राजा स्वयं दंडित भी करता था।

दुनिया के प्रथम नगर फिलस्तीन और इराक में थे। उन्होने भी अपनी स्थापना से पूर्व कई पीढ़ियों की जरूरत के पानी का इंतजाम किया। कुण्ड बनाये। हड़प्पाकालीन नगर अवशेषों में 30 मीटर चौड़ी और 25-30 किलोमीटर लंबी नहरें मिलीं। हर तीसरे घर के सामने एक कुआं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी सुनियोजित थी कि जलनिकासी की उतनी अच्छी व्यवस्था के लिए हम आज भी उसके योजनाकारों पर गर्व कर सकते हैं। किंतु इस दृष्टि से वर्तमान की कई बसावटें गर्व करने लायक नहीं हैं।

उजड़ी-बसी दिल्ली का अनुभव

दिल्ली, 11वीं सदी के बाद से किसी न किसी शासक की राजधानी रहा है। बावजूद इसके जल नियोजन में दूरदृष्टि के अभाव के कारण इसकी अवस्थिति बदलती रही। सन् 1020 में यह अरावली की पहाड़ियों पर बरसे जल को संजोने वाले कुण्ड से होने वाली जलापूर्ति पर टिका नगर था। तब तोमरवंश के राजा अनंगपाल द्वारा बसाये इस नगर का नाम स्थानीय सूर्य मंदिर और उसकी सीढ़ियों से लगे कुण्ड के कारण सूरजकुण्ड था। इसके बाद कई दिल्ली बसीं। बतौर राजधानी भी दिल्ली ने कई दौड़ लगाई। दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली।

सन् 1052 में यमुना से 18 किलोमीटर दूर महरौली के निकट किला राय पिथौरा मुगलिया सल्तनत का पहली राजधानी थी। 1296 ई. में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाई दूसरी दिल्ली का केन्द्र वर्तमान सिरीफोर्ट था और हौजखास, जलापूर्ति का मुख्य स्त्रोत। आबादी बढने और पानी का संकट गहराने पर गियासुद्दीन तुगलक (1320-25) ने तुगलकाबाद को चुना। यमुना के नजदीक होने के बावजूद किले की सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ी को चुना। सात तालाब, तीन बावड़ियां और बड़ी संख्या में कुएं बनवाये। जलनिकासी के लिए बनाये नाले को आगरा नहर से जोड़ दिया।

मुहम्मद बिन तुगलक ने वर्तमान साकेत के पास 64.97 मीटर ऊंचा सतपुला (फाटक लगे सात पुल) से जलापूर्ति सुनिश्चित कर चौथी दिल्ली बसाई। नाम रखा - जहांपनाह यानी दुनिया का पनहगार। सन् 1325 में मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी लेकर तत्कालीन मराठवाड़ा में स्थित दौलताबाद (पुराना नाम-देवगीरि) गया। पूर्णत: वर्षा पर आधारित होने के बावजूद दौलताबाद सचमुच पानी की दौलत वाला इलाका था। मजबूत होने पर स्थानीय शासकों ने 1350 में दिल्ली के सूबेदारों को वापस दिल्ली खदेड़ दिया।

दुनिया के प्रथम नगर फिलस्तीन और इराक में थे। उन्होने भी अपनी स्थापना से पूर्व कई पीढ़ियों की जरूरत के पानी का इंतजाम किया। कुण्ड बनाये। हड़प्पाकालीन नगर अवशेषों में 30 मीटर चौड़ी और 25-30 किलोमीटर लंबी नहरें मिलीं। हर तीसरे घर के सामने एक कुआं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी सुनियोजित थी कि जलनिकासी की उतनी अच्छी व्यवस्था के लिए हम आज भी उसके योजनाकारों पर गर्व कर सकते हैं। किंतु इस दृष्टि से वर्तमान की कई बसावटें गर्व करने लायक नहीं हैं।

जलनियोजन की नायाब मिसाल : शाहजहानाबाद

जब बादशाहत शाहजहां के हाथ आई तो वह पानी से जूझती दिल्ली को अरावली की पहाड़ियों से उठाकर यमुना के किनारे दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट के बीच ले आये। नाम रखा - शाहजहानाबाद। पूर्व में बसी चार दिल्ली की तुलना में शाहजहानाबाद का जल नियोजन सर्वश्रेष्ठ था। सितारे वाली नहर, नहरे फैज, नहरे बहिशत, पुल बंगश, चद्दरवाला पुल तथा बाराखंभा के अवशेष आज भी जलनियोजकों के उस शानदार कारनामे को बयां कर रहे हैं।

1639 से 1648 के दौरान लालकिले का निर्माण हुआ। शाहजहानाबाद बसने के दौरान ही शाहजहां के मातहत अली मर्दन खां ने यमुना से नहर निकाली। उसे वर्तमान नजफगढ़ के निकट स्थित सिरमौर पहाड़ियों से निकलने वाली एक पुरानी नहर में जोड़ दिया। पुरानी नहर अलवर से आने वाली साहिबी नदी के पानी को नई नहर में डालने का काम करने

लगी। भोलू शाह पुल के बाद नगर और लालकिले को पानी पिलाने के लिए नई नहर से तीन धारायें निकाली गईं। यह धारायें क्रमशः वर्तमान ओखला, कुतुब रोड, निजामुद्दीन, फतेहपुरी, नावल्टी, हजारीबाग, कुदसिया बाग, फैज बाजार, दिल्ली गेट के इलाके को पानी देती थी। कुओं, दीघियों और हौजों को पानी से भरने का काम भी नहरें ही करती थीं। गौरतलब है कि 1843 के शाहजहानाबाद में 607 कुएं थे। इनमें से 52 में मीठा पानी था। नगर का गंदा पानी घुसने पर 80 कुएं बंद करा दिए गये।

गजेटियर ऑफ इंडिया के मुताबिक अंग्रेज आये तो दिल्ली में 350 तालाब थे। चांदनी चौक से फतेहपुरी तक की नहर कब सूखी, कहीं उल्लेख नहीं लेकिन यह उल्लेख है कि अंग्रेजों के आने के बाद 1890 में चारदीवारी वाली दिल्ली में नई नहर का पानी आना बंद हो गया। इसी के साथ तय हो गया कि राजधानी को उठकर कहीं और जाना पड़ेगा। आगे चलकर लुटियन की दिल्ली नई राजधानी के रूप में अस्तित्व में आई। आज हम इसे नई दिल्ली के नाम से जानते हैं।

अनुभवः भूले का नतीजा नई दिल्ली

गौरतलब है कि भारत की इस वर्तमान राजधानी के पास यमुना भी है, अरावली की पहाड़ियां भी, पैसा भी और सिर पर बरसने वाली बारिश का पर्याप्त वार्षिक औसत भी। इसने पुरानी पांच दिल्ली के उजड़ने-बसने से कुछ नहीं सीखा। लिहाजा, पानी के मामले में वर्तमान दिल्ली आज एक परजीवी नगर है। गंगनहर, यमुना, रैनी वैल, टैंकर, जलशोधन संयंत्र और अब पानी के एटीम लगाकर नागरिकों की जेबों पर कहर ढहाती जलापूर्ति व्यवस्था।

ताज्जुब है कि 'मिलेनियम सिटी' गुड़गांव का नियोजन करते वक्त सोचा ही नहीं गया कि इस जगह की जलसंसाधन क्षमता सात लाख से अधिक आबादी झेलने की नहीं है। कल यदि आबादी 25 लाख पहुंच गई, तो पानी कहां से आयेगा? गुड़गांव की आबादी आज 18 लाख है। तालाबों और जोहड़-जोहड़ियों पर कब्जे और उपेक्षा के कारण जलसंसाधन क्षमता बढ़ने की बजाय कम हुई है।

बदतर जलनियोजन का नमूना : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पैर फैलाती दिल्ली सातवीं दिल्ली है। लगता है कि इस सातवीं दिल्ली में पानी का नियोजन किया ही नहीं गया। ताज्जुब है कि 'मिलेनियम सिटी' गुड़गांव का नियोजन करते वक्त सोचा ही नहीं गया कि इस जगह की जलसंसाधन क्षमता सात लाख से अधिक आबादी झेलने की नहीं है। कल यदि आबादी 25 लाख पहुंच गई, तो पानी कहां से आयेगा? गुड़गांव की आबादी आज 18 लाख है। तालाबों और जोहड़-जोहड़ियों पर कब्जे और उपेक्षा के कारण जलसंसाधन क्षमता बढने की बजाय कम हुई है। नतीजा यह कि धरती का पानी 75 फीट से उतरकर 135 फीट तक पहुंच गया है। कहीं-कहीं यह गहराई 400 फीट को छू रही है। बिजली की कटौती छह से आठ घंटे हो गई है। लिहाजा, औद्योगिक और होटल परिसरों में 9,000 बड़े तथा कार्यालय परिसरों में 20,000 छोटे नलकूप हैं। हर घर में समर्सिबल हैं। बावजूद इसके पानी के लिए लाइनें हैं। मारामारी है।

आकलनकर्ता कह रहे हैं कि अगले 10 साल में गुड़गांव का भूजल रसातल पर पहुंच जायेगा। तब गुड़गांव बिजली-पानी के लिए दूसरों पर निर्भर एक और परजीवी होगा। हिंडन और यमुना जैसी नदियों के दोआब में स्थित होने के बावजूद जलसंसाधनों के नियोजन में कमी के शिकार दिल्ली से सटे नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद भी हैं। हाल यही रहा तो भविष्य में समूचा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इस कमी की चपेट में आने वाला है।

जलनियोजन के सबक

उक्त अनुभवों के से एक सबक साफ है कि जनसंख्या का नियोजन, किसी भी नगर के नियोजन की आवश्यक शर्त है। जनसंख्या का सटीक आकलन किए बगैर किए गये नियोजन से तो भविष्य में हर संसाधन कम पड़ जाने वाला है। दूसरी बात जो नगर नियोजकों को दिमाग में ठीक से बैठा लेनी चाहिए, वह यह कि खुली भूमि बेकार नहीं होती। पानी और आबोहवा की सुरक्षा के लिहाज से उसका अपना महत्व होता है। अतः नियोजकों को सैद्धांतिक तौर पर तय करना चाहिए कुल भूमि में से न्यूनतम कितनी प्रतिशत भूमि खुली रहेगी, अधिकतम कितनी प्रतिशत पर अभी निर्माण होगा और कितनी पर कालांतर में आवश्यकता होने पर। खुली भूमि में हरित क्षेत्र, कचरा निष्पादन क्षेत्र और जलक्षेत्र के बीच आपसी अनुपात तय करें। तद्नुसार 'वाटर रिजर्व', 'ग्रीन रिजर्व' और 'वेस्ट रिजर्व' जोन का निर्धारण करें। नगर के कौन से हिस्से में उद्योग, कौन से हिस्से में आवास आदि हों, इनके निर्धारण में अन्य कारकों के साथ-साथ जलस्रोतों की क्षमता और उपलब्धता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

गुड़गांव में धरती का पानी 75 फीट से उतरकर 135 फीट तक पहुंच गया है। कहीं-कहीं यह गहराई 400 फीट को छू रही है। बिजली की कटौती छह से आठ घंटे हो गई है। लिहाजा, औद्योगिक और होटल परिसरों में 9,000 बड़े तथा कार्यालय परिसरों में 20,000 छोटे नलकूप हैं। हर घर में समर्सिबल हैं। बावजूद इसके पानी के लिए लाइनें हैं। मारामारी है।

जल नियोजन की दृष्टि से समझने की जरूरत है कि प्रत्येक नदी के दो तट होते हैं - ऊंचा तट और नीचा तट। नदी किनारे नियोजित नगरों को या तो दो नदियों के दोआब में बसाना चाहिए या फिर नदी के ऊंचे तट की ओर। नदी के निचले तट पर होनी वाली बसावट बाढ़ की त्रासदी झेलने के लिए सदैव मजबूर रहेगी।

नदी के दोनों ओर बसावटों का नियोजन नदी को अतिक्रमण, शोषण और प्रदूषण के तीन पाटों के बीच पीस देने जैसा दुष्प्रयास है और तटबंध नदी की आजादी में खलल डालने जैसा। इसका नतीजा भविष्य में बसावटों को खुद झेलना पड़ता है।

सबक यह भी है कि छोटी-मध्यम-बड़ी नदी की भूमि से क्रमशः 200, 400 और 600 मीटर की दूरी पर ही स्थाई निर्माण का नियोजन किया जाना चाहिए। उद्योगों को नदी भूमि से पांच किलोमीटर दूर ही नियोजित करना चाहिए। नगर नियोजन से पहले देख लेना चाहिए कि वर्तमान एवम् भविष्य में संभावित आबादी की जरूरत की जलापूर्ति हेतु स्थानीय स्तर पर पर्याप्त समृद्ध जलस्रोत हैं। यदि ऐसा नहीं है तो तद्नुसार नये जलस्रोत नियोजित व सृजित किए जाने चाहिए। वर्षाजल संचयन और भूजल निकासी की गहराई का नियमन नियोजन के खाके में सर्वमान्य कानून की तरह लागू किया जाना चाहिए।

एक प्रयास : हुबली-धारवाड़

'प्रत्येक नगर का एक 'डीएनए' होता है। एक संचेतना होती है। उसे उभार दो विकसित कर दो। शक्ति दे दो, उसका अनोखापन खुद-ब-खुद विकसित हो जायेगा। विकास में यदि संपोषण चाहिए तो भी, स्थानीय विशेषता, स्थानीय शक्ति को और विकसित करने से अच्छा तरीका कोई और नहीं हो सकता।''

यह उक्ति विकास का मूल मंत्र है। इसे किसी भी संज्ञा-सर्वनाम पर आजमाया जा सकता है। कर्नाटक की 'ट्विन सिटी हुबली-धारवाड़ इसका अनुपम उदाहरण है। हुबली-धारवाड़ के तत्कालीन उपायुक्त दर्पण जैन (वर्ष 2008-2011) ने इस विकास मंत्र को गुरु मंत्र माना। मौजूद खुली भूमि, पहाड़ी टीले, झीलें, तालाब और स्थानीय शास्त्रीय गीत-संगीत की सांस्कृतिक विरासत की 'डीएनए' के रूप में पहचान की। ऐसा शानदार नियोजन किया कि आज हुबली-धारवाड़ के प्राकृतिक संसाधन पूरी तरह सुरक्षित हैं। नगर के पास जरूरत के पानी की कोई कमी नहीं। खूबसूरत झीलों, टीलों और पार्कों के रखरखाव पर स्थानीय नगर निगम को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। हुबली-धारवाड़ में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत-संगीत व रचना संसार के उत्कर्ष का मौसम लौट आया है। इस प्रयास को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-2012 में व्यक्तिगत श्रेणी के प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया।

एक सामान्य कम्प्यूटर का वजन 3.15 किलो होता है। इसमें 1.90 किलो लैड, 0.693 ग्राम पारा और 0.04936 ग्राम आर्सेनिक नामक जहर होता है। शेष प्लास्टिक होता है। गलती यह है कि ई कचरे में मौजूद चांदी, तांबा, पीतल, प्लेटियम आदि को बिना रासायनिक शोधन के ही खाली जगहों में भरा जा रहा है।

इस अनुभव का सबक साफ है कि जिस स्थान पर नगर नियोजित किया जाये, उस स्थान की मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पानी की दृष्टि से इसका मतलब यह भी है कि वहां पहले से मौजूद जलस्त्रोतों के रकबे व गुणवत्ता से छेड़छाड़ न हो। उनका चिह्नीकरण व सीमांकन हो। गौरतलब है कि प्रत्येक स्थान में जलनिकासी के परंपरागत मार्ग होते हैं। इन परंपरागत मार्गों में किसी भी तरह का अवरोध कालांतर में बाढ़ और विनाश का कारण बनता है। यह समझे बगैर कि असमतल भूमि खण्डों को पाटने की गलती जलनिकासी के मार्ग में अवरोध पैदा करती है। कचरा भरने हेतु जगह के चुनाव में गलती से भी भूजल का निकासी मार्ग बाधित होता है। मुंबई में यही हुआ।

...ताकि कचरा न हो जायें हम खुद

गौरतलब है कि नित पैदा हो रहा कचरा पानी ही नहीं, सेहत के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। खासकर ई यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। एक सामान्य कम्प्यूटर का वजन 3.15 किलो होता है। इसमें 1.90 किलो लैड, 0.693 ग्राम पारा और 0.04936 ग्राम आर्सेनिक नामक जहर होता है। शेष प्लास्टिक होता है। गलती यह है कि ई कचरे में मौजूद चांदी, तांबा, पीतल, प्लेटियम आदि को बिना रासायनिक शोधन के ही खाली जगहों में भरा जा रहा है।

कायदा यह है कि जिस क्षेत्र में बिना शोधन ई कचरा डंप किया जाता है, वहां अगले 15 साल तक कोई भी बसावट नियोजित नहीं की जानी चाहिए। कारण कि अगले 15 साल तक उस क्षेत्र में खतरनाक गैसों तथा जल में घुलनशील नाइट्रेट आदि प्रदूषण का उत्सर्जन होता रहता है। किंतु इस कायदे की परवाह किए बगैर, न मालूम किस फायदे के लालच में ऐसे लैंडफिल एरिया पर भी बसावटें नियोजित की जा रही हैं। इसकी वजह से कम्प्यूटर आदि के कल-पुर्जे काले होकर खराब हो रहे हैं। प्रति लीटर पानी में 750-1,000 मिलीग्राम नाइट्रेट शामिल हो रही है। बिना शोधन जिसकी आपूर्ति जारी है। गंधक के यौगिक मिलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। ये सब मिलकर नगरों में कैंसर, एलर्जी, गर्भपात व तंत्रिका तंत्र की बीमारियों के मरीज बढ़ा रहे हैं।

आमिर खान के टीवीशो 'सत्यमेव जयते' के मुताबिक भारत में हर रोज कुल मिलाकर करीब 1.60 लाख मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है। इस कचरे के निष्पादन के अभी तीन तरीके हैं: शोधन पश्चात् निर्धारित 'लैंडफिल एरिया' में डालना, इंस्टीनरेटर में जलाकर नष्ट करना और कंपोस्ट बनाना। आकलन है कि यदि कचरे की उक्त मात्रा का ठीक से निष्पादन किया जाये तो इतने कचरे से 27 हजार करोड़ रुपये की खाद पैदा की जा सकती है। 45 लाख एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ बनाई जा सकती है। 50 लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा किया जा सकता है और दो लाख सिलेंडरों हेतु अतिरिक्त गैस हासिल की जा सकती है।

भारत में हर रोज कुल मिलाकर करीब 1.60 लाख मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है। इस कचरे के निष्पादन के अभी तीन तरीके हैं: शोधन पश्चात् निर्धारित 'लैंडफिल एरिया' में डालना, इंस्टीनरेटर में जलाकर नष्ट करना और कंपोस्ट बनाना। आकलन है कि यदि कचरे की उक्त मात्रा का ठीक से निष्पादन किया जाये तो इतने कचरे से 27 हजार करोड़ रुपये की खाद पैदा की जा सकती है। 45 लाख एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ बनाई जा सकती है। 50 लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा किया जा सकता है और दो लाख सिलेंडरों हेतु अतिरिक्त गैस हासिल की जा सकती है।

दरअसल, कचरे का उचित नियोजन आज एक विशेषज्ञता और कड़े कानूनों की मांग करता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे नगरों के जलस्त्रोत व भूमि साफ-स्वच्छ रहें तो कचरा न्यूनतम उत्पन्न हो, इसके लिए 'यूज एण्ड थ्रो' प्रवृति को हतोत्साहित करने वाले टिकाऊ उत्पाद नियोजित करें। नीतिगत तौर पर मानें कि कचरे को ढोकर ले जाना वैज्ञानिक और नैतिक दोनों दृष्टि से पाप है। कचरे का निष्पादन उसके स्रोत पर ही करें। निर्मलता का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत यही है। जलस्रोतों को पहले मलिन करना और फिर साफ कराने का अनुभव अब तक मलिनता बढ़ाने वाला ही साबित हुआ है। आज ताजा पानी नहरों में और सीवेज के मल और उद्योगों के शोधित अपशिष्ट को नदियों में बहाया जा रहा है। नगरीय नालों का नियोजन ऐसा हो कि ताजा जल नदी में बहे और शोधित मल-अपशिष्ट नहरों में बहाया जाये।

नियोजित कॉलोनियों के निकट उनमें काम करने वाले महरियों, सफाई कर्मियों, ड्राइवरों तथा बढ़ई आदि कारीगरों के लिए आवास नियोजित न करने के कारण नदी तट व अन्य खुली भूमि मलिन बस्तियों में तब्दील होते हैं। ऐसे में मलिनता से मुक्ति संभव हो तो, हो कैसे? अत: किसी की प्रत्येक नियोजित बसावट में इन आवश्यक सहायकों का सम्मानजनक इंतजाम एक जरूरी शर्त की तरह शामिल हो। यह इंसानियत भी है और उचित नियोजन भी। ❑

उत्तर उदारवादी शहरी भारत में नगर नियोजन शिक्षा

रोली अरण्या
चेतन वैद्य

नगर नियोजन केवल निर्माण, संरचना या विमर्श का विषय नहीं है बल्कि इसके लिए तैनाती बिल्कुल आरंभिक स्तर पर करने की जरूरत है। इस क्रम में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है नगर नियोजन के संबंध में शिक्षा। भारत में फिलहाल नगर नियोजन की शिक्षा-व्यवस्था ब्रिटिश व अमेरिकी मॉडलों पर आधारित है। साथ ही, यह विश्वविद्यालय स्तर तक सीमित है। इस क्षेत्र में अधिक कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता के लिए नगर नियोजक शिक्षा को अधिक प्रायोगिक, व्यापक और व्यावहारिक बनाने की जरूरत है

भारत में योजनाओं के समक्ष चुनौतियां

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट के लक्ष्य कथन में लिखा है कि भारत के विकास को नियोजित शहरी विकास के कैनवास पर लिखा होना चाहिए'। नई सरकार के केंद्रीय बजट और योजनाओं में एक बार फिर से सुनियोजित तथा सुविधाजनित शहरीकरण को भारत के तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग बताया गया है। विकास के एजेंडा में आधारभूत संरचना, तकनीक और 'स्मार्ट' शहरी विकास को सबसे ऊपर रखा गया है। वहीं, इसी बजट में, शहरी क्षेत्रों के निम्न आय वर्गों के लिए आवास तथा आवासीय वित्त के मुद्दे पर हल निकालने को भी लक्ष्य में शामिल किया गया है। सभी प्राथमिकताएं तर्कसंगत तो हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में ऐसे आयोजक हैं जो शहरों में व्याप्त अत्यंत गरीबी तथा आधुनिकीकरण के लिए शहरी विकास पर विचार और सुविधा दोनों में मदद कर सकें?

भारत में 'असफल' शहरी नियोजन अक्सर कमरों में गोलमेजों पर चर्चा के मुद्दे के रूप में दोहराया जाता रहा है। शहरों में अव्यवस्थित और दुर्लभ सरकारी संस्थानों के साथ रोज़मर्रा की भीड़, अराजक और प्रदूषित अनुभव शहरी आयोजकों को ठीकरा फोड़ने के लिए स्वाभाविक ही बलि का बकरा बना देते हैं। इसका हल एक बेहतर 'भविष्य सुरक्षा' या विकास के सही अनुमानों को पूरा करने तथा समता के साथ सभी के लिए निष्पक्ष नियोजन में मौजूद है। यहां ***भविष्य सुरक्षा*** से अर्थ ऐसी योजनाओं से है जो वर्तमान समय की चुनौतियों की द्योतक रहते हुए एक यथार्थवादी और विश्वसनीय तरीके से भविष्य की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करता है। आयोजकों के लिए इन चुनौतियों का सामना करना एक कठिन काम हो जाता है।

बड़ी जनसंख्या की चुनौतियां

साल 2011 की जनगणना के अनुसार, 65 लाख शहरी लोग मलिन बस्तियों या घटिया आवासों में रहते हैं जो इंसान के रहने लायक नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक पांच शहरी आवासियों में से एक आधारभूत आवश्यकताओं तथा अच्छे जीवन स्तर से वंचित रह जाता है। साल 2011 की जनगणना से यह भी बात स्पष्ट होती है कि स्वतंत्रता के बाद से पहली बार भारत के शहरी क्षेत्र की वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक रही है यानी अब भारत की 32 फीसदी (377 लाख) जनता शहरी केंद्र में आवास करती है। साल 1991 से यह वृद्धि 31-32 फीसदी की दशकीय वृद्धि दर से बढ़ रही है। वहीं, दूसरी ओर, साल 2001 की जनगणना से मलिन बस्तियों की जनसंख्या में भी 37 फीसदी की दर से वृद्धि हो रही है।

भारतीय शहरी ढांचे तथा सेवाओं पर आई एक हालिया रिपोर्ट (एचपीईसी, मार्च 2011) के मुताबिक, भारत के अधिकतर नगरों में शहरी ढांचे पर निवेश में ***बैकलॉग*** का 50-80 हिस्सा फीसदी होता है। एक अनुमान के अनुसार, साल 2012-2031 की अवधि में शहरी ढांचे के लिए 39.2 लाख करोड़ रुपयों के निवेश की आवश्यकता होगी।

इसका कारण 2011-2012 में 0.7 फीसदी रहे शहरी ढांचे पर होने वाले निवेश को 2031-32 तक 1.1 फीसदी तक बढ़ाना है।

डॉ. रोली अरण्या नार्वे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अर्बन डिजाइन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट विषय की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ईमेल: rolee.aranya@ntnu.no
प्रोफेसर चेतन वैद्य योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के निदेशक हैं। ईमेल: c.vaidya@spa.ac.in

यह रिपोर्ट बताती है कि निवेश का बैकलॉग केवल भौतिक ढांचा न होकर बल्कि शहरी क्षेत्रों में प्रशासन और सेवा देने की जरूरत से भी संबंधित है।

अनौपचारिकता व असमानता की चुनौतियां

भारतीय अर्थव्यवस्था, कम से कम शहरी भारतीय अर्थव्यवस्था तो 'अनौपचारिक' ही है। भले ही, परिभाषाएं अलग-अलग हो जाएं। साल 2009 में असंगठित क्षेत्रों में उद्यमों के लिए बने राष्ट्रीय आयोग (एनसीइयूएस) के अनुमान ने इस बात को नकार दिया है कि साल 2004-2005 में देश का 86 फीसदी रोजगार असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र से था।

असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में शहरी रोजगार की ऐसी बड़ी हिस्सेदारी के चलते अधिकतर बाहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित तथा औपचारिक नगरों से शहरी विकास होता है। अनौपचारिक भूमि बाजार, विनिर्माण तथा अनियमित स्थानिक विकास इसके क्रम में शामिल हैं।

औपचारिक तथा अनौपचारिक के बीच यह अंतर औपचारिक रोजगार में आय की असमानता तथा अधिकारों के अभाव के कारण बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ***पर्यावास*** रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1995 से 2005 की अवधि में यह असमानता 34 से 38 फीसदी (उपभोग पर आधारित गिनी सूचकांक) बढ़ी है। (संयुक्त राष्ट्र पर्यावास, 2010)

जलवायु परिवर्तन तथा आपदाओं की वैश्विक चुनौतियां

असमानता तथा गरीबी ने शहरी भारतीयों को मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदाओं के सामने बहुत ज्यादा असुरक्षित बना दिया है। शहर तथा जलवायु परिवर्तन पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (विश्व बैंक, 2010) ने अनुमान लगाया है कि भारत में दूसरे स्थान पर जहां सबसे अधिक जनसंख्या (30 लाख) है जो निचले तथा तटीय क्षेत्रों (एलईसीजेड) में रहती है। इन क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन से समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने का खतरा बना रहता है।

वहीं, चीन में सबसे अधिक जनसंख्या पर खतरा है जहां 80 लाख लोग निचले तथा तटीय क्षेत्रों में रह रहे थे। अनुमान है कि भारत में 70 फीसदी जनसंख्या बाढ़ के खतरे वाली जगह पर है जबकि 60 फीसदी भूकंप के लिए संवेदनशील इलाके में रहती है जिसकी वजह से भारत को विश्व में अत्यधिक आपदा संभावित क्षेत्र माना जाता है (यूएनडीपी, 2014)। शहरी क्षेत्रों में घनत्व तथा भीड़भाड़ के चलते जोखिम का स्तर ऊंचा है।

संस्थागत चुनौतियां तथा भौतिक नियोजन की परंपरा

भारत में शहरों के स्तर तथा अनुमानित विकास पर प्रमुख तीन हालिया रिपोर्टों में भारत के शहरी नियोजन के लिए प्रमुख संस्थागत चुनौतियों को उठाया गया है। ये रिपोर्टें क्रमशः मैक किन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की भारतीय शहरी जागृति, 2010 रिपोर्ट, एचपीईसी की भारतीय शहरी ढांचा तथा सेवाएं, 2011 की रिपोर्ट और, शहरी विकास मंत्रालय की, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन रिपोर्ट (एनएमएसएच, 2010) हैं।

इन तीनों रिपोर्टों से निष्कर्ष निकलता है कि भारत में शहरी नियोजन विखंडन, केंद्रीकरण और एक घिसे-पिटे भूमि उपयोग नियोजन के फोकस से त्रस्त है। यह विखंडन, शहरी विकास, आवास, और गरीबी उन्मूलन के साथ मंत्रालयों के अलगाव से शुरू होता है। साल 1992 में 74वें संविधान संशोधन के प्रयोजन के बावजूद अब तक भी योजना निर्माण कार्य का विकेंद्रीकरण शहरी स्थानीय निकायों में नहीं हुआ है। नियोजन करना एक तकनीकी कार्य है जिसे राज्य के नियोजन अधिकारियों और विभागों द्वारा तैयार किया जाता है। मास्टर प्लान की योजनाओं विशेष तौर पर परिवहन जैसी अन्य बड़ी योजनाओं का समेकन प्राथमिक होता है। राज्य में इन्हें अमल में ला रहीं एजेंसियां भूमि उपयोग की योजनाओं में या तो बहुत कम निवेश कर रही हैं या कर ही नहीं रहीं। गरीबों के लिए आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे सामाजिक विकास के लक्ष्य विशेष विभागों द्वारा नियोजित किए जाते हैं, जो बड़ी योजनाओं में समन्वय नहीं करते हैं। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) जैसे कार्यक्रम सरकार की नई पहल की सही दिशा में एक अच्छा कदम है लेकिन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विकेंद्रीकरण और एकीकृत नियोजन तक पहुंच रखने के लिए यह अभी बहुत दूर है।

74वें संविधान संशोधन के प्रयोजन के बावजूद अब तक भी योजना निर्माण कार्य का विकेंद्रीकरण शहरी स्थानीय निकायों में नहीं हुआ है। नियोजन करना एक तकनीकी कार्य है जिसे राज्य के नियोजन अधिकारियों और विभागों द्वारा तैयार किया जाता है।

दीर्घकालिक तथा समृद्ध शहरों की योजना के लिए आवश्यक आयोजन

सरकार भारत के लिए एक 'स्मार्ट' शहरी भविष्य की कल्पना करती है, शायद यह हमारे शहरों के लिए जरूरी ***भविष्य सुरक्षा*** की क्षमता की चुनौतियों को प्रतिबिंबित करने का सही समय है। यहां इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि भारत के 'समार्ट सिटी' मॉडल यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनाए जा रहे हाईटेक अवतार तक ही सीमित नहीं हो सकते। भारत के लिए एक 'स्मार्ट' शहरी भविष्य को तकनीकी रूप से उन्नत, सामाजिक रूप से समावेशी और आर्थिक रूप से विविध होना होगा।

सामान्यजन बनाम विशेषज्ञ

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमें ऐसे जटिल कार्य के लिए किस प्रकार के आयोजन की आवश्यकता है तथा किस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए। हालांकि, बाद वाला मुद्दा चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन हम इस आलेख में पहले मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे। भारत में नियोजन शिक्षा, जिसकी उत्पत्ति ***ब्रिटिश तथा अमरीकी*** नगर एवं राष्ट्र आयोजन शिक्षा से हुई है, ने हमेशा ही सामान्यजन बनाम विशेषज्ञों की समस्या के साथ संघर्ष किया है।

स्वतंत्रता के बाद, जब पहले नगर नियोजन अधिनियम लागू किए गए थे, तब आयोजकों की भूमिका राज्य तथा शहरी स्तर के नियोजन प्राधिकारियों मुख्य रूप से भूमि उपयोग, जिसे नगर, उपनगर तथा क्षेत्रीय स्तर पर मास्टर प्लान कहा जाता है, की तैयारियों तक ही सीमित थी।

आयोजक को एक तकनीकी विशेषज्ञ की तरह देखा जाता था जिसे बहुक्षेत्रीय तथा कार्यरत एजेंसियों से इस तरह की योजनाओं को समझने की योग्यता तथा समाविष्ट निवेश के साथ प्रशिक्षण दिया जाता होगा। हम इस भूमिका को 'सामान्यजन भूमि उपयोग आयोजक' कहते हैं। जब तक 1991 की उदारवादी आर्थिक नीति नहीं आई, शहरी नियोजन का कार्य मुख्य रूप से राज्य की एजेंसियों के हाथ में था। हालांकि, सार्वजनिक कार्यों से पीछे हटना, विशेष रूप से

आवासीय तथा भूमि विकास जैसे क्षेत्र जो उदारीकरण के बाद व्यापक तथा कर्ताओं की अलग-अलग पहुंच के साथ बढ़ गए थे।

निजी संपत्ति निर्माता, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट प्लेयर्स, पेशेवर परामर्शदाता, एकल औद्योगिक विकास एजेंसियां, निजी सेवा तथा बुनियादी सुविधा प्रदाता और नागरिक सामाजिक कार्यकर्ता जैसे गैर-सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शहरी विकास के हितधारकों में से हैं जो आयोजकों के साथ रोजगार और कार्य करते हैं।

हालांकि, ये सभी हितधारक शहरी विकास की दिशा की ओर अग्रसर हैं, लोक नियोजन एजेंसियां अब भी पांच से दस मास्टर प्लान तैयार करती हैं। भूमि उपयोग का यह रूप लंबे समय से विश्व तथा उदारवाद राष्ट्र जैसे ब्रिटेन और नीदरलैंड के हिस्सों से पूरी तरह से अलग हो चुका है। इसकी बजाए भौतिक विकास के लिए रणनीतिक और बहुक्षेत्रीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है।

परियोजनाओं के आधार पर स्थानीय निकायों के साथ समझौते पर निजी भूमि मालिकों और निर्माताओं द्वारा ही भौतिक नियोजन किया जाता है। केवल नगर स्तरीय नियोजन ही भूमि उपयोग और ढांचागत नियोजन के साथ समेकित होता है जो बड़े स्तर पर भूमि उपयोग तथा शहरी ढांचे को निर्धारित करता है।

बहुक्षेत्रीय तथा अंत: विषय जैसी प्रणालियों में आयोजक 'रणनीतिक आयोजक' से लेकर 'पेशेवर तकीनीकी आयोजक', 'परियोजना आयोजक' से लेकर 'शहरी प्रबंधक' और 'हिमायती आयोजक' तक की अलग-अलग भूमिकाएं निभाता है जो समाज के अत्यधिक कमजोर रुझान का प्रतिनिधित्व करता है।

राज्य, बाजार तथा नागरिक समाज आयोजक

74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (सीएए) का लक्ष्य शहरी नियोजन के कार्य को राज्य से लेकर शहरी स्थानीय निकायों के सबसे निचले स्तर, जिसे 'थर्ड टियर' के नाम से भी जाना जाता है, तक विकेंद्रीकृत करना है। इस 74वें संविधान संशोधन में केवल संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्जित कार्यों के विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई है जिनमें शहरी नियोजन भी एक है। परिणामस्वरूप यह संविधान संशोधन केवल राज्य सरकारों द्वारा ही आंशिक रूप से लागू किया गया है वहीं इसमें लगभग किसी तरह के वित्तीय हस्तांतरण को नहीं रखा गया है।

शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए जेएनएनयूआरएम तथा अन्य कार्यक्रम सही दिशा में कदम हैं लेकिन अधिकतर स्थानीय निकायों के पास अब भी नियोजन उपक्रम को बड़े पैमाने पर लाने के लिए मानव संसाधनों की कमी है। स्थानीय निकायों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी एक बेहतर विकल्प बना है लेकिन कम राजस्व स्रोतों तथा वित्तीय हस्तातंरण के न होने के चलते यह बाजार कर्ताओं के लिए इसे अलाभकारी सौदा बना देता है। तीन प्रमुख रिपोर्टों की सिफारिशों के अनुसार, निर्वाचित सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह जल्द से जल्द नियोजन तथा नियोजन की जिम्मेदारी को निम्नतम स्तर तक संस्थागत ढांचे का पुनर्गठन करे।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 7000 अधिकृत कस्बे तथा 626 जिले और 6,00,000 लाख गांव हैं। यदि 73वां संविधान संशोधन (ग्राम पंचायतों के कार्यों के विकेंद्रीकरण से संबंधित) तथा 74वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से अमल में लाया जाए तो प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के साथ-साथ सरकारी स्तरों पर भी आयोजकों की जरूरत समझी जाएगी। वर्तमान में, राज्य नियोजन विभाग तथा राष्ट्रीय नियोजन विभाग तक भी पेशेवर व योग्य आयोजकों की कमी का सामना कर रहे हैं।

भारत में प्रति एक लाख शहरी लोगों पर केवल 1.32 आयोजक ही हैं। इस निम्न आंकड़े की अफ्रीका के सबसे गरीब देशों जैसे युगांडा, माली तथा तंजानिया के साथ ही तुलना की जा सकती है। ब्रिटेन जैसे विकसित देश में प्रति एक लाख शहरी लोगों पर 37.63 लाख आयोजक हैं।

भारतीय नगर नियोजक संस्थान (आईटीपीआई), ऐसा संस्थान जो पेशेवर आयोजकों को मान्यता देता है, के अनुसार, 2013 में भारत के पास 2,899 सह सदस्य थे। यह अनुमान लगाया गया है कि कुल आयोजकों की संख्या 5000 हो सकती है। आंकड़ों की बात की जाए तो, भारत में प्रति एक लाख शहरी लोगों पर केवल 1.32 आयोजक ही हैं। इस निम्न आंकड़े की अफ्रीका के सबसे गरीब देशों जैसे युगांडा, माली तथा तंजानिया के साथ ही तुलना की जा सकती है। (संयुक्त राष्ट्र पर्यावास, 2013) ब्रिटेन जैसे विकसित देश में प्रति एक लाख शहरी लोगों पर 37.63 लाख आयोजक (आईबीआईडी, 2013) हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि देश में विभिन्न स्तरों पर राज्य संस्थागत संरचना की एक बड़ी कमी है।

नगरों को सुचारू बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू योजनाओं का लागू होना तथा उन पर नज़र रखना है। 'प्रबंधन' के इस पहलू पर एचपीईसी की रिपोर्ट ने प्रकाश डाला है जो शहरी प्रबंधन विशेषज्ञों को राष्ट्रीय स्तर के चार शहरी प्रबंधन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने पर बल देता है।

शहरी प्रबंधकों की मुख्य भूमिका सेवा वितरण एजेंसियों, निजी बुनियादी सुविधा प्रदाताओं और सिविल सोसाइटी संगठनों के बीच समन्वय और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने की होगी। 'स्मार्ट शहरों' में शहरी प्रबंधकों की भूमिका और जटिल हो जाएगी यदि मौजूदा शहरों में तकनीकी ढांचे के उच्च स्तर को भौतिक तथा संस्थागत रूप से परिकल्पित किया जाए।

यद्यपि, आयोजकों को केवल सार्वजनिक संस्थानों में ही भर्ती नहीं किया जाता बल्कि इन्हें सबसे ज्यादा लुभावन और काम करने के वातावरण वाले निजी संस्थानों में भी रखा जाता है। शहरी नियोजन और विकास में सार्वजनिक-निजी साझेदारी और निजी हिस्सेदारों की सक्रिय भूमिका के साथ विशेष तौर पर रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे में नियोजन पेशेवर सार्वजनिक क्षेत्रों तथा बाजार में बहुत अनमोल हो गए हैं। निजी क्षेत्र की इस बढ़ती मांग के साथ, नकदी के लिए मजबूर शहरी स्थानीय निकायों को इस क्षेत्र में दुर्लभ मानव संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करना एक कठिन काम होगा। इसके दो अर्थ हैं-पहला आयोजकों की संख्या के संबंध में है जिन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता होती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आयोजकों का प्रकार है।

आयोजकों के पारंपरिक भूमि उपयोग तथा भौतिक नियोजन की पारंपरिक भूमिका के परे पेशेवर भूमिका को जल्द से जल्द देखे जाने की आवश्यकता है। एकीकृत भूमि उपयोग तथा ढांचागत नियोजन, परियोजना आधारित दृष्टिकोण के साथ काम करने की क्षमता जो दीर्घकालिक तथा बड़े पैमाने पर नियोजन के विपरीत हो, अंतर संगठनात्मक समन्वय के लिए ज्ञान और कौशल के साथ-साथ वित्तीय तथा प्रबंधन के पहलुओं की जागरूकता

आयोजकों के लिए एक कठिन कार्य है। भले ही, रोजगार के लिए यह उनके स्वयं द्वारा चुना गया क्षेत्र हो। सार्वजनिक नियोजन तथा बाजार में निवेश के अवसरों के लिए आवासीय क्षेत्र एक उभरता हुआ वहन योग्य प्राथमिक क्षेत्र है। जैसा कि एमजीआई की रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि पेशेवर तथा वित्तीय संसाधनों के लिए देश में मौजूद विशाल आवासीय खाई को कम करने की जरूरत है।

असमान तथा सीमित संसाधनों वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्था में, सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका जोखिम भरी है। जिस प्रकार इसे 'तृतीयक क्षेत्र' कहा जाता है, यह शासन के औपचारिक तंत्र के बाहर सेवा वितरण के अंतर को पूरा करने के साथ-साथ इन औपचारिक तंत्रों में हाशिये पर मौजूद लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम तथा जनहित याचिकाएं दो ऐसे साधन हैं जो राज्य से पारदर्शिता के लिए मांग के साथ विशिष्ट समूहों के हितों के संरक्षण के लिए नागरिक समाज द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। इस प्रकार के संगठनों के साथ काम करने वाले अयोजक 'पैरोकार आयोजक' का काम करते हैं जिनका समाज में नैतिक और मूल्य आधारित पद होता है और वे उनके अधिकारों तथा हितों की बात करते हैं जो औपचारिक संस्थानों से बेदखल होकर हाशिए पर हैं। इस प्रकार, हमारे शहरों में असमानता तथा अनौपचारिकता के पैमाने को देखते हुए स्थायी तथा 'स्मार्ट' शहरी भविष्य के लिए बाजार तथा सिविल सोसाइटी को संयुक्त रूप से सक्रिय होकर नियोजन करने की जरूरत है।

भारत में नियोजन शिक्षा का स्तर

भारत में 1950 के दशक में शहरी नियोजन शिक्षा का आरंभ हुआ था। यह स्नातकोत्तर था या मुख्य रूप से आर्किटेक्टक्ट्स, इंजीनियरिंग और इसके अलावा भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर के बराबर था।

बैचलर ऑफ प्लानिंग (बी.प्लान) का पाठ्यक्रम लगभग 25 साल पहले शुरू किया गया था। वर्तमान में, 18 संस्थानों में मास्टर्स ऑफ प्लानिंग तथा आठ संस्थानों में बी. प्लान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इन 18 संस्थानों में बी.प्लान की 200 सीटें हैं जबकि मास्टर्स ऑफ प्लानिंग में 500 सीटें हैं।

मास्टर्स ऑफ प्लानिंग में शहरी तथा क्षेत्रीय, परिवहन, मूलभूत ढांचा और पर्यावरण नियोजन जैसी विशेषज्ञता में पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। इस समय भारत में, 5000 आयोजक हैं और इसे 2031 तक 1,60,000 आयोजकों की आवश्यकता है (श्री ईएफएन रिबेरियो की अध्यक्षता में टाउन प्लानिंग तथा आर्किटेक्चर में शिक्षा पर नीति के लिए विशेषज्ञों की समिति)। इस प्रकार औसतन, भारत को अगले 20 सालों तक हर साल 8,000 आयोजकों की जरूरत है।

भारतीय नगर नियोजक संस्थान ने प्लानिंग में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम के लिए एक मॉडल तैयार किया है। बैचलर ऑफ प्लानिंग एक चार वर्ष का कार्यक्रम है जिसमें 40 अंत: विषयी विषयों को शामिल किया गया है जिनका उद्देश्य आयोजकों को इस प्रकार शिक्षित करना है कि वे विविध वातावरणों में काम कर सकें।

हालांकि, कार्यक्रम के व्यावहारिक घटक अभी भी मुख्य रूप से भौतिक नियोजन की ओर अग्रसर हैं जो छात्रों को विभिन्न भौतिक पैमानों जैसे स्थिति योजनाएं, क्षेत्रीय योजनाएं, मास्टर प्लान आदि पर भूमि उपयोग योजनाओं के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। विशेषज्ञता प्राप्त स्नातकोत्तर या एम टेक में विभिन्न विषयों से स्नातक कर चुके छात्रों को दो वर्ष के लिए प्लानिंग में चयनित विषय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस सिद्धांत का एक अन्य पहलू कार्यक्रम में कौशल संतुलन पर प्रकाश डालता है। यद्यपि, स्नातक तथा स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि समस्या आधारित अध्ययन तथा वास्तविक जीवन से जुड़ी परियोजनाओं में स्टूडियो अभ्यास पर काम के द्वारा छात्रों को सिखाया जा सके। नियोजन शिक्षा में कौशल आयामों, विशेष रूप से सार्वजनिक आयोजकों की विशाल प्रत्याशित मांग के साथ जो स्थानीय शहरी निकायों में व्यावहारिक नियोजन के साथ काम कर रहे होंगे, के पुन: निरीक्षण की जरूरत है।

यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है क्या केवल विश्वविद्यालय स्तर की नियोजन शिक्षा दिया जाना ही इस व्यवसाय में मानव संसाधन को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। नियोजन संस्थानों में पहले से काम कर रहे पेशवरों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और सतत शिक्षा उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में और मददगार साबित हो सकती है। उदाहरण के लिए नार्वे में, नियोजन शिक्षा विश्वविद्यालय और 'तृतीयक व्यावसायिक स्कूल' कहे जाने वाले दोनों स्तरों पर में दी जाती है जो भारत में तकनीकी पॉलीटेक्नीक के बराबर है।

भावी कदम-'स्मार्ट' शहरी भविष्य के लिए नियोजन शिक्षा के महत्वपूर्ण उपाय

निष्कर्ष के तौर पर हमने इन प्रमुख उपायों की पहचान की है जिन्हें भारत में नियोजन शिक्षा का मार्गदर्शन करना चाहिए-

1. अधिक शहरी आयोजक हों- हमारे शैक्षणिक संस्थानों से जो आयोजक तैयार किए जा रहे हैं उनकी संख्या को मांग के अनुसार और बढ़ाना होगा। ये शैक्षणिक संस्थान निजी तथा सार्वजनिक कोई भी हो सकते हैं लेकिन इनमें कठोर गुणवत्ता पर नियंत्रण आवश्यक है।
2. राज्य, बाजार तथा सिविल सोसाइटी के आयोजक- यहां ऐसे तीन प्रकार के क्षेत्रों की पहचान करना आवश्यक है जिनमें आयोजक अलग-अलग भूमिकाओं में कार्यरत हैं। इसी के अनुसार नियोजन शिक्षा में विवधिता लाए जाने की जरूरत है।
3. शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर पर आयोजकों को शिक्षित करना- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार नियोजन के कार्यों का विकेंद्रीकरण अपरिहार्य है तथा नियोजन शिक्षा के ज़रिए आयोजकों को विभिन्न स्तरों पर जरूरी कौशल तीन स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षण के साथ प्रतिक्रिया करनी होगी।
4. सामान्यजन तथा विशेषज्ञ आयोजकों का संतुलन- सामान्यजन तथा विशेषज्ञ दोनों आयोजकों को प्रशिक्षित करने के लिए नियोजन शिक्षा तथा पाठ्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। इस संबंध में, सैद्धांतिक बनाम व्यावहारिक कौशल आधारित प्रशिक्षणों पर भी व्यापक चर्चा किए जाने की भी जरूरत है।
5. अधिक नगर प्रबंधक- शहरी विकास में सक्रिय बुनियादी ढांचे तथा कर्ताओं की बहुलता के साथ, कुशल और प्रभावी शहरी प्रशासन के लिए प्रबंधन के पहलू जरूरी हैं। इन भूमिकाओं को निभाने के लिए विशिष्ट नगर प्रबंधकों को शिक्षित किया जाना जरूरी है।
6. भौतिक से एकीकृत योजना बनाने के लिए आयोजकों के दायरे का विस्तार-भूमि

(शेषांश पृष्ठ 48 पर)

तीव्र शहरीकरण और भविष्य की तैयारी

गौरव कुमार

देश में शहरी क्षेत्रों के विकास को लेकर कई तरह के मॉडल अपनाए जा सकते हैं। इनमें शहरी निकायों के साथ निजी क्षेत्रों की भागीदारी का मॉडल सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है। इससे एक तरफ शहरी आबादी अपनी विकास की गतिविधियों का निर्धारण, कार्यान्यवयन, पर्यवेक्षण आदि स्वयं कर सकेगी। वही इससे कार्य कुशलता और त्वरित लाभ भी मिलने की संभावना है। शहरी विकास के लिए आवश्यकता इस बात की भी है कि हम पूर्व नियोजन पर जोर दें। केंद्र सरकार ने 100 नए स्मार्ट सिटी की घोषणा की है, आने वाले दिनों में इसका बेहतर परिणाम देखने को अवश्य मिलेगा

भारत गांवों का देश है, यह उक्ति अब बीती बात होती जा रही है। वर्तमान में शहरों की आबादी और शहरों की बढ़ती संख्या से इस तथ्य की पुष्टि होती है। वर्ष 2001 में जब भारत की कुल जनसंख्या 102 करोड़ थी उस समय शहरी आबादी करीब 28 करोड़ थी। वहीं जब 2011 की जनगणना में भारत की आबादी 121 करोड़ पहुंची तो शहरों की आबादी बढ़ कर 37 करोड़ के आंकड़े को छू रही है। अनुमान है कि 2030 तक यह शहरी आबादी बढ़ कर 57 करोड़ तक पहुंच जायेगी। इसी प्रकार वर्ष 2001 में जहां भारत में शहरों की कुल संख्या 5161 थी वहीं यह 2011 में बढ़कर 7936 हो गई। शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया को देखते हुए यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में इस संख्या में और बढ़ोतरी होगी। शहरों की बढ़ती जनसंख्या के साथ ही हमें शहरी प्रबंधन की ओर तेजी से उन्मुख होना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हम शहरों का प्रबंधन समुचित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का एक मात्र कारण यही है कि हम शहरी संरचना को बेहतर बनाने के प्रति गंभीर नहीं हुए हैं।

औद्योगीकरण और रोजगार के नए अवसरों ने शहरीकरण व शहरों की ओर पलायन की प्रवृति को बढ़ाया है। इसके साथ ही कई तरह की समस्याएं भी पैदा हुई हैं। शहरों में स्वच्छ पेयजल, आवास, चिकित्सा, परिवहन, महंगाई जैसी बढ़ती समस्याओं ने मानवीय गरिमा को भी हाशिये पर रख दिया है। भारत का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां 24 घंटे स्वच्छ पेयजल या बिजली की आपूर्ति होती हो। साथ ही शहरों में रहने वाले लोगों की आवासीय व्यवस्था इतनी दयनीय है जिसे किसी भी हालत में मानवीय गरिमा युक्त नहीं कहा जा सकता है। कई शहरों में 10-20 लोग एक ही कमरे में एक साथ रहने को विवश हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल तो और बुरा है। भारत के औसत शहरी परिवार 117 वर्ग फीट के घर में रहने को विवश है। मुंबई में जनसंख्या का घनत्व 27209 वर्ग किलोमीटर प्रतिव्यक्ति है जबकि लन्दन जैसे शहरों में यह केवल 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

शहरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने व्यापक स्तर पर जमीन का अधिग्रहण करके विशाल और बड़े बड़े मॉल तथा आवासीय कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। इसके लिए अधिगृहित जमीन में वैसी भी जमीन है जो कृषि कार्य के लिए है। विडंबना है कि एक तरफ लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और दूसरी ओर इस प्रकार के और शहरों को बेतहाशा विकसित किया जा रहा है। इससे उपजी समस्याएं आने वाले दिनों में और भी जटिल होंगी। भारत के शहरों में जहां पानी की प्रति व्यक्ति मांग 150 लीटर है वहीं मुंबई जैसे शहरों में इसकी उपलब्धता केवल 35 लीटर है। विचारणीय बिंदु यह है कि बढ़ती आबादी और संसाधनों पर बढ़ते बोझ को ढोने के लिए शहर कितने तैयार हैं?

शहरीकरण की प्रवृत्ति

1 मार्च, 2011 को 12102 लाख की कुल जनसंख्या में से लगभग 3771 लाख शहरी क्षेत्रों की है। अंतिम दस वर्ष में शहरी क्षेत्र में जनसंख्या की कुल वृद्धि 910 लाख हुई है। देश की कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या 31.6 प्रतिशत है। 2001-2011 के दौरान देश में शहरी जनसंख्या के अनुपात में 3.35 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना

लेखक नीतिगत मामलों की एक प्रतिष्ठित शोध संस्था से जुड़े हैं। सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में नियमित लेखन। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 2010 में यंग स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित। ईमेल: gauravkumarsss1@gmail.com

के अस्थाई परिणामों से पता लगता है कि दस वर्ष में 2774 कस्बों की वृद्धि हुई है जिसमें 242 सांविधिक है और 2532 जनगणना कस्बे है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि दर 31.8 प्रतिशत थी। आगे दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/शहरी समूह (यूए) की संख्या की 2001 जनगणना में 35 से बढ़कर 2011 की जनगणना में 53 हुई है।

सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़ की क्रमशः 97.5 प्रतिशत और 97.25 प्रतिशत शहरी जनसंख्या शहरीकृत है और दमन और (75.2 प्रतिशत) और पुड्डुचेरी (68.3 प्रतिशत) है। राज्यों में गोवा अब 62.2 प्रतिशत शहरी आबादी के साथ अधिकतम शहरीकृत राज्य है जो कि 2001 में जब गोवा की आबादी 49.8 प्रतिशत थी, से वृद्धि हुई है। तेजी से शहरीकरण का अन्य उदाहरण केरल का है अब इसकी शहरी जनसंख्या 47.7 प्रतिशत है, जबकि एक दशक पूर्व यह केवल 25.9 प्रतिशत थी। पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम 51.5 प्रतिशत शहरी जनसंख्या के साथ अत्यधिक शहरीकृत है जबकि देश में कुल शहरी जनसंख्या के संबंध में मिजोरम का हिस्सा केवल 0.1 प्रतिशत है। इसी प्रकार सिक्किम जो कि एक दशक पूर्व 11.0 प्रतिशत शहरीकृत था, 2011 में लगभग 25 प्रतिशत शहरीकृत बन गया है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु शहरी क्षेत्र में रहने वाली 48.4 प्रतिशत आबादी के साथ अधिक शहरीकृत राज्य बना हुआ है इसके बाद केरल (47.7 प्रतिशत), महाराष्ट्र (45.2 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश में 10.0 प्रतिशत के साथ शहरी जनसंख्या का अनुपात न्यूनतम बना हुआ है। इसके बाद बिहार 11.3 प्रतिशत, असम (14.1 प्रतिशत) और ओडिशा (16.7 प्रतिशत)। शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के संबंध में महाराष्ट्र 50.8 मिलियन व्यक्तियों के साथ आगे है जोकि देश की कुल शहरी जनसंख्या का 13.5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश लगभग 444 लाख इसके बाद तमिलनाडु 349 लाख है। तालिका-1 मे 2001 की तुलना में 2011 में दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर का विवरण दिया गया है।

शहरी विकास के लिए सरकारी प्रयास

सरकारी प्रयास और नीतियां स्वतन्त्रता काल से गांवों के लिए तमाम तरह की योजनायें लागू करती रही हैं। जिनमें महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। इन योजनाओं पर प्रति वर्ष लगभग 1.66 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाती है। दूसरी तरफ शहरों के विकास के लिए एकमात्र जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीनीकरण मिशन है जो 555 परियोजनाओं की जिम्मेदारी निभाता है। इसकी शुरुआत 2005 में सात वर्षों तक के लिए की गई थी। जिसका पहला चरण पिछले वर्ष समाप्त हो चुका है। इसके दूसरे चरण के लिए 65 प्रमुख शहर चिह्नित किये गए है, जिसके लिए 31500 करोड़ रुपये निर्गत किये गए हैं। इस मिशन के तहत शहरी संरचना, स्वच्छता, सफाई, सीवरेज, परिवहन, जलापूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, सड़क नेटवर्क, आंतरिक पुनर्विकास आदि तमाम कार्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है. क्या किसी एक नोडल योजना के सहारे इतने सारे कार्य किये जाने संभव हैं। वह भी तब जबकि इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.1 प्रतिशत की राशि खर्च की जाती है। अनुमान है कि भविष्य में हमें शहरी क्षेत्र के विकास के लिए करीब 40 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

शहरी अवसंरचना विकास की दिशा में सरकार निवेश बढ़ाने के प्रति भी दृढ़ता से विचार कर रही है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीईसी), जिसने वर्ष 2011 में सरकार को सिफारिशें दी थीं, उसने भी यह सुझाया था कि आगामी 20 वर्षों के दौरान शहरी अवस्थापना क्षेत्र में ₹390 लाख के निवेश की आवश्यकता है। एपीईसी के अनुमानों के अनुसार, इस निवेश का 44 प्रतिशत शहरी सड़कों पर किया जाना चाहिए, जबकि जल, सीवर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल निकास, पथ प्रकाश को अगले 20 प्रतिशत के निवेश की आवश्यकता होगी, इस निवेश का 14 प्रतिशत परिवहन और यातायात संबंधी अवस्थापन के लिए आवश्यक है। निवेश को कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे, निवेश का 10.5 प्रतिशत स्लमों के पुनः विकास समेत शहरी नवीकरण पर और 2.5 प्रतिशत बेहतर शहरी शासन हेतु क्षमता विकास के लिए किए जाने की भी आवश्यकता होगी। निवेश की आवश्यकता के वृहत आकलनों पर विचार करते हुए, यह माना गया है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन के बजटीय संसाधनों में इस परिमाण की राशियां प्राप्त नहीं की जा सकतीं। अतः यह निवेश जरूरत मार्केट के वित्तीय संसाधनों को दोहन और एक नीति के अनुसार शहरी विकास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की सहभागिता के प्रोत्साहन से पूर्ण की जा सकती है। सरकार इस दिशा में भी प्रयासरत है कि सीएसआर का एक हिस्सा झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों के विकास पर व्यय करने में कम्पनियां आगे आएं।

तालिका 1: 2001 की तुलना में 2011 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर

क्रमांक	शहर	2001*	2011*
1	ग्रेटर मुंबई	16.37	18.41
2	दिल्ली	12.79	16.31
3	कोलकाता	13.22	14.11
4	चैन्नई	6.42	8.7
5	बंगलुरू	5.69	8.5
6	हैदराबाद	5.53	7.75
7	अहमदाबाद	4.52	6.35
8	पुणे	3.75	5.05
9	सूरत	2.81	4.59
10	जयपुर	2.32	3.07
11	कानपुर	2.69	2.92
12	लखनऊ	2.27	2.9
13	नागपुर	2.12	2.5
14	गाजियाबाद		2.36
15	इंदौर	1.64	2.17
16	कोयम्बटूर	1.45	2.15
17	कोच्चि	1.35	2.12

भारतीय शहरों को संवृद्धि-उन्मुख और उत्पादक बनने के लिए एक विश्व स्तरीय शहरी प्रणाली अपनाना अनिवार्य है। इस क्रम में यह शहरी अवस्थापना की सुपुर्दगी और वित्त व्यवस्था में कुशलता और समानता की प्राप्ति पर निर्भर करता है। वित्त आयोगों के इतिहास में पहली बार 13वें वित्त आयोग ने मूल अनुदान के अतिरिक्त निष्पादन आधारित अनुदान का तत्व सामने लाया है जिसमें 9 चुनिंदा सुधारों के निष्पादन से स्थानीय निकायों में सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण का दायित्व राज्य सरकारों का रखा गया है। कमियों और चुनौतियों पर पार पाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने सांस्थनिक, राजस्व और वित्तीय सुधार आरंभ किए हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में शहरी क्षेत्र में सेवा सुपुर्दगी की प्रक्रिया में स्थानीय स्वायत्त शासनों की महत्ता की पहचान की गई है और उन्हें इस संबंध में अधिकार भी प्रदान किये गए हैं।

अगस्त, 1996 में 'शहरी विकास योजनाओं का निरूपण और कार्यान्वयन

18	पटना	1.71	2.05
19	कोझीकोड		2.03
20	भोपाल	1.45	1.88
21	त्रिशुर		1.85
22	वडोदरा	1.49	1.82
23	आगरा	1.32	1.75
24	विशाखापट्टनम	1.33	1.73
25	मल्लप्पुरम		1.7
26	तिरुवंतपुरम		1.69
27	कन्नूर		1.64
28	लुधियाना	1.4	1.61
29	नासिक	1.15	1.56
30	वाराणसी	1.21	1.44
31	मदुरै	1.19	1.46
32	मेरठ	1.17	1.42
33	विजयवाड़ा	1.01	1.49
34	फरीदाबाद	1.05	1.4
35	राजकोट	1	1.39
36	जमशेदपुर	1.1	1.34
37	जबलपुर	1.12	1.27
38	श्रीनगर		1.27
39	आसनसोल	1.09	1.24
40	वसई-विरार		1.22
41	धनबाद	1.06	1.2
42	इलाहाबाद	1.05	1.22
43	औरंगाबाद		1.19
44	अमृतसर	1.01	1.18
45	जोधपुर		1.14
46	रांची		1.13
47	रायपुर		1.12
48	कोल्लम		1.11
49	ग्वालियर		1.1
50	दुर्ग-भिलाई नगर		1.06
51	चंडीगढ़		1.02
52	तिरुचिरापल्ली		1.02
53	कोटा		1
	कुल	**107.88**	**160.7**

स्रोतः *शहरी रूपरेखा, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार*

** जनसख्या 10 लाख में*

(यूडीपीएफआई)' नामक केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों को अपनाने हेतु सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था। अन्य मुद्दों के अलावा इन दिशानिर्देशों में राजस्व संसाधन जुटाने के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण सुझाए गए हैं। 1990 में नई आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि में यह सुझाया गया था कि योजना और बजटीय नियमनों पर आधारित पारंपरिक प्रणाली की वित्त व्यवस्था को घटाया जाय और अन्ततः राजस्व घाटे के कारण उसे बदला जाए, इमदाद सहायता को युक्तियुक्त बनाया जाय और शहरी विकास योजनाओं और परियोजनाओं तथा क्षेत्र विकास परियोजनाओं को शहरी अवस्थापना सेवाओं हेतु शहरी अवस्थापना सेवाओं की अभिकल्पना वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाते हुए उनको वाणिज्यिक ढांचे में डाला जाए। अतिरिक्त कर उपायों के द्वारा राजस्व कार्यों और स्रोत के मध्य समुचित समानता कायम रखते हुए इसे प्राप्त करने की अपेक्षा की गई थी। अन्य नवोमेषी संसाधन जुटाने के उपायों में भूमि का एक संसाधन के रूप में उपयोग गैर-संपत्ति करों में वृद्धि और सेवा-सुपुर्दगी में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का प्रयोग शामिल है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा गठित कार्यबल ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए लेखाकरण के उपार्जित आधार के आरंभन की सिफारिश की थी तथा उस प्रयोजनार्थ माडल बजटीय और लेखाकरण प्रारुप का सुझाव दिया था। कार्यबल की रिपोर्ट को बजट और लेखाकरण प्रारुप तथा लेखाकरण पद्धति के उपार्जित आधार को अपनाने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्यों को परिचालित की गई थी। इसके अतिरिक्त लेखाकरण प्रविष्टियों की रिकार्डिंग हेतु यूएलबी को एक सरलीकृत टूलकिट मुहैया करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कार्यालय के सहयोग से एक राष्ट्रीय नगरपालिका लेखाकरण नियमावली (एनएमएएम) तैयार की थी और जनवरी, 2005 में सभी राज्यों/संघ राज्यों को परिचालित की थी। प्रक्रियाएं, दिशानिर्देश नगरपालिका कार्य संचालन की सटीक, पूर्ण और यथासमय रिकार्डिंग करना और सटीक तथा संगत वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया गया है। एनएमएएम से राज्यों को यूएलबी द्वारा प्रयोग हेतु उनकी अपनी अपेक्षाओं के अनुसार उनके राज्य-स्तरीय लेखाकरण नियम पुस्तिकाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी। इस प्रयास से न केवल नगरपालिका लेखाकरण में यूएलबी की क्षमताएं बढ़ेंगी जिससे शहरी क्षेत्र के विकास हेतु सार्वजनिक निधियों के उपयोग में पादर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी अपितु एक ऐसा वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगी जिसमें शहरी स्थानीय निकाय अपनी भूमिका का अधिक कारगर ढंग से निर्वाह कर सकेंगे और बेहतर सेवा सुपुदर्गी भी सुनिश्चित हो सकेगी।

शहरी अवसंरचना सुधार और शहरी समस्याओं के निदान के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) को राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को शहरी सुधार करने के लिए शर्तयुक्त बना दिया गया था। प्रमुख सुधारों में शामिल है:-

- विकेन्द्रीकरण के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन का कार्यान्वयन
- शहरी भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम का निरसन किराया नियंत्रण नियमों में सुधार स्टाम्प शूल्क का सरलीकरण
- सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून का विनियमन नियोजन कार्यकरण में शहरी स्थानीय निकायों को कार्य सौंपना/समबद्ध करना
- उपार्जित आधार पर दोहरी प्रविष्टि लेखाकरण
- ई शासन
- जीआईएस के साथ संपत्ति कर अंशांकन प्रयोक्ता प्रभारों की वसूली
- शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के प्रति बजट का निर्देशन
- शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं का प्रावधान, भवन निर्माण हेतु अनुमोदन के सरलीकरण हेतु कायदों में संशोधन, भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नियमों का सरलीकरण सम्पत्ति शीर्ष सत्यापन का आरंभ
- आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए विकसित भूमि या आवास उपलब्धता
- भूमि और सम्पत्ति का कंप्यूटरीकृत पंजीकरण
- बरसाती पानी का संग्रहण और जल संरक्षण हेतु उप नियमों में संशोधन
- पुनः प्राप्य जल के लिए उपनियम
- प्रशासनिक सुधार, स्थापना लागत में कमी

बजटीय प्रावधान

विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों आदि के माध्यम से सरकार शहरी विकास और नियोजन के लिए पर्याप्त कार्य करती है। इसके अलावा प्रतिवर्ष के आम बजट के

माध्यम से भी शहरी विकास मंत्रालय को इस हेतु निधि आवंटित की जाती है. इस बार के आम बजट 2014-15 में मंत्रालय को दिए जाने वाली निधि का 13404 करोड़ रुपये का बजट अनुमान है। इसमे शहरी विकास के तहत 7060 करोड़ रुपये 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, 100 करोड़ रुपये अहमदाबाद और लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए तथा 200 करोड़ रुपये राष्ट्रीय विरासत शहरों के विकास के लिए दिए गए है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश में विकास की प्रक्रिया के साथ लोगों का बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है. बेहतर जीवन यापन की आशा के साथ नया माध्यम वर्ग भी उभर रहा है। इस स्थिति में यदि नए शहरों का विकास नहीं किया गया तो शीघ्र ही हमारे वर्तमान शहर बढ़ती आबादी से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों का सामना नहीं कर पायेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन के कई पहलू है, अक्सर रोजगार, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा में लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। यह न केवल आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है बल्कि इसका एक व्यापक सामाजिक आधार भी है। ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन के साथ-साथ यह नगरों में होने वाली कई तरह की समस्याओं के लिए भी उत्तरदायी है। इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाओं के विकास का उपाय किया जा रहा है। 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन' नाम से एक परियोजना की शुरुआत की जा रही है जिसमे आर्थिक गतिविधियों का विकास और कौशल विकास शामिल है। इसे ग्रामीण इलाकों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना की सुपुर्दगी के लिए शुरू किया जाना है। इस योजना का क्रियान्वयन पीपीपी मॉडल के तहत किया जाना है. सरकार का यह मानना है कि पीपीपी के जरिये अगले 10 वर्षों में अवसंरचना और सेवाओं के नवीकरण के लिए 500 शहरी बसावटों को सहायता दी जाय।

साझा जोखिम आधार पर शहरी क्षेत्र में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के संवर्द्धन और वित्त पोषण के लिए कई बैंकों की सहभागिता के साथ 2006 में शुरू नगरपालिका ऋण दायित्व सुविधा को इस बार के बजट में और विस्तृत करने का प्रावधान किया गया है। इस सुविधा के तहत वर्तमान समग्र निधि 5000 करोड़ रुपये है। सरकार का मुख्य ध्यान बेहतर अवसंरचना जिसमें शहरी सार्वजनिक परिवहन, ठोस अपशिष्ट निपटान, सीवरेज उपचार तथा पेयजल शामिल है, को प्रदान करने का है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत बजट में कहा गया है कि 31 मार्च 2019 तक के लिए सुविधा बढ़ाने के साथ इसकी निधि को 50000 करोड़ रुपये तक किया जायेगा।

भविष्य की दिशा और तैयारी

एक तरफ शहर तेज रफ्तार से भागती जिन्दगी का प्रतीक बना है तो दूसरी ओर असमानता, उपेक्षा, शोषण का एक विद्रूप चेहरा भी प्रस्तुत करता है। इसी का नतीजा है कि शहरों में कई तरह की सामाजिक बुराइयां भी अपने चरम पर हैं। अनियंत्रित स्लम क्षेत्रों के विस्तार होने से अपराध, बाल अपराध, नशाखोरी, जुआ, वेश्यावृति में तीव्र बढ़ोतरी होती जा रही है। इसका क्या कारण है? क्या यह तीव्र असमानता, शोषण, उपेक्षा और अनियंत्रित भीड़ का नतीजा नहीं है अक्सर शहरों की आलोचना यह कह कर की जाती है कि यहां मानवीय संवेदना नहीं है। शहरों का अनियंत्रित विकास कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। यदि इस पर काबू पा लिया जाता है तो शहर भी ग्रामीण संवेदनाओं के आदर्श को लागू कर सकते हैं। इसके लिए नियंत्रित शहरीकरण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को अमल में लाना होगा। शहर केंद्रित योजनाओं को शहर की समस्याओं को ध्यान में रख कर बनाने की जरूरत हैं। आज शहर की संख्या व विस्तार से पैदा होते पर्यावरण की समस्या को दूर करने के लिए ग्रीन ग्रोथ की परिकल्पना को भी साकार करना होगा तभी हम शहरीकरण से पैदा होती चुनौतियों से निपट सकेंगे।

इस बार के आम बजट में दी जाने वाली निधि का 13404 करोड़ रुपये का बजट अनुमान है। इसमें शहरी विकास के तहत 7060 करोड़ रुपये 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, 100 करोड़ रुपये अहमदाबाद और लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए तथा 200 करोड़ रुपये राष्ट्रीय विरासत शहरों के विकास के लिए दिए गए है।

देश में शहरी क्षेत्रों के विकास को लेकर कई तरह के मॉडल अपनाए जा सकते हैं। इनमें शहरी निकायों के साथ निजी क्षेत्रों की भागीदारी का मॉडल सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है। इससे एक तरफ शहरी आबादी अपनी विकास की गतिविधियों का निर्धारण, कार्यान्यवयन, पर्यवेक्षण आदि स्वयं कर सकेगी। वही इससे कार्य कुशलता और त्वरित लाभ भी मिलने की संभावना है। शहरी विकास के लिए आवश्यकता इस बात की भी है कि हम पूर्व नियोजन पर जोर दें। केंद्र सरकार ने जो 100 नए स्मार्ट शहर की स्थापना की घोषणा की है, आने वाले दिनों में इसका बेहतर परिणाम देखने को अवश्य मिलेगा।

देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल की शुरुआत एक बड़ी पहल है, साथ ही मोनोरेल जैसी अवधारणा भी सामने आई है जिसका दूरगामी परिणाम होगा। स्लम सुधार की दिशा में भी पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत है। शहरों में अनियमित कॉलोनियां, अपराध, असंतुलित आर्थिक विकास इसकी नई समस्या है। इससे निपटने के लिए हमें एक दीर्घकालीन समावेशी रणनीति बनाने की जरूरत है। इसके लिए ग्रामीण अंचलों में भी शहरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत होगी। ❑

(पृष्ठ 44 का शेषांश)

उपयोग, बुनियादी ढांचे, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समावेश, जोखिम की कमी, आर्थिक उत्पादकता और वित्तीय विविधता ही ऐसे पहलू हैं जिनके वास्तविक तथा शहरी नियोजन के लिए एकीकृत करने की आवश्यकता है। नियोजन शिक्षा को व्यवसाय में अभ्यास को बढ़ावा देने की जरूरत है जिससे दीर्घकालिक संस्थागत परिवर्तन की सुविधा हो।

नियोजन के व्यवसाय को समाज के सार्वजनिक कल्याण का दायित्व दिया गया है। वहीं, शैक्षिक समुदाय इस उत्तर उदार समय में नियोजन में सार्वजनिक कल्याण के बारे में विचार विमर्श करता है तथा नियोजन में मूल्यों और नैतिक जिम्मेदारी को नकारा नहीं जा सकता है। आने वालों वर्षों में, भारत में नियोजन शिक्षा की जिम्मेदारी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने की है जिससे कि उनके साथ सार्वजनिक कल्याण के साथ-साथ कुछेक के लिए केवल 'स्मार्ट सिटी' ने होकर बल्कि सभी के लिए 'स्मार्ट' शहरी भविष्य को पाने के सक्षम हों। ❑

नगरीय शासन में सहभागी मॉडलों की जरूरत

पंकज कुमार झा

विश्व की तमाम शासन व्यवस्थाओं में आज सहभागिता या भागीदारी एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में देखा जा रहा है और अधिकांश विकसित समाजों में इस पर गंभीरता से अमल भी हो रहा है। यह बात अब तो स्पष्ट हो ही रही है कि रोजमर्रा की जरूरतों व छोटी-छोटी बुनियादी सुविधाओं के लिए परमुखापेक्षी रहकर समाज विकास के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है। ऐसे में भागीदारी मॉडल का महत्व बढ़ जाता है जहां जनता को अपनी जिम्मेदारी का अहसास भी होता है और अपनी भूमिका पर गर्व भी। मुंबई से दिल्ली तक इस मॉडल के प्रयोगों ने अच्छी नजीर पेश की है

यह आलेख नगरीय शासन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुये हाल के दशक में विकसित एक मॉडल के रूप में भागीदारी को विस्तार से विश्लेषण करने की कोशिश करता है। साथ-साथ इससे होने वाले सामाजिक-प्रशासनिक परिवर्तन को वैश्विक रूप से भागीदारी संबंधी मॉडलों के रूप में उल्लेखित करता है। बहरहाल नगरीय शासन की संकल्पना को समझने के लिये सर्वप्रथम शासन व सुशासन की संकल्पना को समझना होगा।

शासन की संकल्पना

शासन की संकल्पना समाज में, सत्ता व व्यवस्था के बदलते संदर्भ की ओर इंगित करता है। इसके अंतर्गत राज्य, नागरिक समाज और बाज़ार एक साथ मिलकर नागरिकों को सुविधा मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गवर्नेंस की संकल्पना को परिभाषित करते हुये *कुइमन* जैसे विद्वान का मानना है कि - 'अनेक देशों में हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि सरकार और समाज के बीच के संबंध संतुलन को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त करके निजी क्षेत्र के प्रभाव में ढाला जा रहा है। आंशिक रूप से इसने निजीकरण तथा यदा कदा विनियमन की प्रवृति को बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही साथ सहभागिता, समाज कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा व भौतिक नियोजन जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिये वैकल्पिक तरीका तलाशा जा रहा है'। बहरहाल इतना तो तय है कि उदारीकरण के बाद की राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था में *सरकर* के स्थान पर *शासन* की संकल्पना मजबूती से विकसित हुई है। आज सरकार का आशय स्वायत्तशासी नेटवर्क से है जो जनता के प्रति जवाबदेह, प्रतिबद्ध हो व जनता की समूल भागीदारी सरकारी कार्यों में देखने को मिले। यही कारण है कि रोड्स जैसे विचारकों ने सरकार के अभाव में भी शासन (*गर्वनेंस विदाउट गर्वमेंट*) की बात की है।

बहरहाल जब भी शासन की बात होती है, राष्ट्रीय सरकार का मुख्य उद्देश्य व गंतव्य स्थान सुशासन ही होता है। आज हिन्दुस्तान जैसे देश में सुशासन को एक मॉडल के रुप में काफी वरीयता दी जा रही है।

गुड गवर्नेंस या सुशासन

शासन व्यवस्था में जब भी शुचिता लाने, उसे व्यवस्थित व कार्यकुशल करने की मंशा होती है वैसी स्थिति में शासन का आशय गुड गर्वनेंस यानी सुशासन से ही होता है। गौरतलब है कि सर्वप्रथम सुशासन की अवधारणा को वैश्विक पटल पर 1989 में उप-सहारा अफ्रीका के मामले में लाया गया। इसके अंतर्गत सुशासन को *ठोस विकासात्मक प्रबंधन* के रूप में परिभाषित करते हुये यह बताया गया कि इसके अंर्तगत शक्ति का प्रयोग देश के सामाजिक-आर्थिक संसाधनों के विकास के प्रबंधन के रूप में किया गया है (विश्व बैंक, 1992, 2)। इस दस्तावेज़ में सुशासन की निम्न विशेषताओं का वर्णन किया गया है-

क) सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन

ख) जवाबदेही

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में पीएचडी शोधार्थी हैं। दिल्ली के भागीदारी मॉडल को आधार बनाकर उन्होने इसी विश्वविद्यालय से एम. फिल किया है। डाक्टरल शोध के लिए उन्हे ब्रिटिश कौंसिल की तरफ से चार्ल्स वैलेट फैलोशिप प्राप्त हुई है। प्रकाशित पुस्तके: सुशासन के आईने में नया बिहार (प्रभात प्रकाशन)। रट्लिज से प्रकाशित पुस्तक 'व्हाई इंडिया वोट्स' तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित 'टेनिंग द वाटर: द पालिटिकल इकानामी आफ लार्ज डैम इन इंडिया' का हिंदी अनुवाद भी कर चुके हैं जो प्रकाशनाधीन है। ईमेल: pankaj.j.du@gmail.com

ग) विकास संबंधी कानूनी ढांचा
घ) सूचना और पारदर्शिता

गौरतलब है कि कालांतर में इस संकल्पना में सहभागी विकास, मानव अधिकार और लोकतंत्रीकरण को भी जोड़ा गया।

हालांकि विश्व बैंक ने शासन की संकल्पना को किसी राष्ट्र को दी जाने वाली ऋण प्रदान करने संबंधी कसौटी के रूप में भी देखा। इसे निम्न सारणी के द्वारा समझा जा सकता है।

तालिका 1: शासन के लिये उपयोगी तत्वों का अनुपात

वर्गीकरण	हिस्सा
1. कानूनी ढांचा	6%
2. भागीदारी	30%
3. राज्य का निजी उद्यम संबंधी सुधार	33%
4. आर्थिक प्रबंधन	49%
5. क्षमता निर्माण	68%
6. लोकतंत्रीकरण	68%

स्रोत: विश्व बैंक (1994)[xv]

स्पष्ट है कि विश्व बैंक के उपर्युक्त तालिका में भागीदारी एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में रहा है तथा यह निर्देशित किया गया है कि अगर कोई देश भागीदारी अर्थात् सार्वजनिक-निजी भागीदारी को तवज्जो देता है तो उसे ऋण के मामले में विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।

शहरी शासन-भागीदारी मॉडल के विशेष संदर्भ में

वैश्विक स्तर पर जनसंख्या में हो रही लगातार बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण जनसंख्या आज शहरों की तरफ पलायन कर रही है। 2007 में विश्व की कुल शहरी जनसंख्या करीब 3.3 अरब थी और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक यह करीब 6.4 अरब हो जायेगी (UNDESA 2008 3)। जहाँ तक भारत का सवाल है यहाँ भी अगले 25 वर्षों में करीब 67प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करने लगेगी। अनुमान यह भी है कि 2001 में जहाँ शहरी जनसंख्या करीब 2860 लाख थी वह 2026 में 5340 लाख हो जायेगी अर्थात् इसमें करीब 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

मेगा सिटी से संबंधित उपरोक्त आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि जिस रफ्तार से महानगरों की तरफ जनसंख्या का पलायन हो रहा है उससे

तालिका 2: आकलित शहरी व भारत की कुल जनसंख्या

वर्ष	2001	2011	2021	2026
शहरी जनसंख्या	286.12	357.94	432.61	534.80
(मिलियन)	27.82	30.02	32.29	38.21

स्रोत: पोपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया, 2001-26, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, 2006.

तालिका 3: 2026 तक मेगा सिटी

मेगा सिटी	2001	2026
मुंबई	16.36	26.38
अहमदाबाद	4.51	7.73
पुणे	3.75	6.79
चेन्नई	6.42	10.12
बंगलुरु	5.68	9.71
हैदराबाद	5.53	9.09
दिल्ली	12.79	22.49
कानपुर	2.69	4.60
जयपुर	2.32	4.29
कोलकाता	13.21	20.25
कुल	76.07	127.49

स्रोत: भारत की जनगणना, ए वर्ल्ड सिटिज़, यूएन, हैबिट, 2008-09, मेगा सिटी- उन सिटी को मेगा सिटी कहा गया है जिनकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक है

आने वाले दिनों में आधारभूत संरचना के सामने और विकट समस्या आने वाली है। ऐसे में 74वां संविधान संशोधन के उपरांत प्राप्त संवैधानिक दर्ज़ा प्राप्त शहरी प्रशासन भी शहरी गर्वनेंस में तब्दील हो चुका है। इस शहरी गर्वनेंस की अवधारणा में भागीदारी मॉडल का विशेष महत्व है। ऐसे में क्या यह मॉडल महत्वपूर्ण है जिससे महानगरीय जनसंख्या को उसकी मूलभूत सुविधा, मुहैया करायी जा सके? क्या इस दिशा में भागीदारी मॉडल को एक प्रयोग के रूप में जाँचा परखा जा सकता है?

भागीदारी मॉडल - एक प्रयोग

समकालीन समय में शहरी शासन की चुनौतियों से निपटने के लिये भागीदारी मॉडल एक कारगर प्रयास के रूप में सामने आया है। दूसरे शब्दों में इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनशिप के रूप में भी जाना जाता है। इसमें एक तरफ जहाँ सरकारी निकाय होती है वहीं दूसरी तरफ रेंसिडेंट्स वेलफेयर एसोसियेशन (आवासीय कल्याण संघ) जैसी सहभागी संस्था। इन दोनों के साझा प्रयास से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतों को ठोस तरीके से पूरा किया जाता है। गौरतलब है कि भागीदारी जैसे प्रयास परंपरागत स्थानीय स्वशासन संबंधी किये गये प्रयासों से थोड़ा भिन्न है। पहले यह धारणा थी कि सरकार जनता की सभी समस्याओं का समाधान करेगी या समाधान करने में सक्षम है। यह अपने आप में सराकार या 'गवर्मेंट' की अवधारणा को फलीभूत करता हुआ प्रतीत होता था। परंतु भागीदारी मॉडल ने शासन की अवधारणा को बढ़ाते हुये सरकारी निर्भरता के स्थान पर जनता की सहभागिता को मजबूत किया है। भागीदारी मॉडल ने आम जनता को सक्रिय नागरिक यानि एक्टिव सिटिज़न के रुप में तब्दील कर दिया है। वह नागरिक जो अपने अधिकारों के प्रति आज बहुत जागरूक है, वह सभी क्रियाकलापों में अपनी समूल सहभागिता चाहता है, और सभी कार्यों में सरकार के साथ कदम दर कदम मिलाकर अपनी जवाबदेही भी तय करता है।

बहरहाल भागीदारी मॉडल के आने के बाद जहाँ एक तरफ नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में बदलाव आया है वहीं दूसरी तरफ पूरा प्रशासनिक चाक-चौबंद भी बदला है। तालिका 1.4 में दिये गये भागीदारी संबंधी दस प्रमुख प्रयोग को देखने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि पूर्व तक बेवरवादी मानसिकता में जकड़ी हुई नौकरशाही व अफसरशाही आज कितनी दिलचस्पी से शहरी आम लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी प्रयास में लगी हुई है। आज वह नियामक यानी रेगुलेटर से समन्वयक यानि फेसिलेटर की भूमिका में आ चुका है।

दिल्ली सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई भागीदारी योजना का प्रभाव तो साफ देखा जा सकता है। प्रत्येक सरकारी योजनाओं में आर.डब्लू.ए की सहभागिता, चाहे पार्क के सौंदर्यकरण का मामला हो या पानी की सुलभता का, सभी में आमूलचूल परिवर्तन आया। यही कारण है कि दिल्ली के भागीदारी कार्यक्रम को 2005 का संयुक्त राष्ट्र लोकसेवा पुरस्कार से भी नवाज़ा गया। दिल्ली में दिलशाद कॉलोनी आवासीय कल्याण संस्था ने जिस तरह से स्थानीय लोगों से पैसा इकट्ठा करके सीवर सिस्टम की परेशानी से जूझ रहे

तालिका 4: भागीदारी के दस प्रमुख मॉडल

क्रम	मॉडल	स्थान	वर्ष	उपलब्धियाँ
1.	भागीदारी	दिल्ली (भारत)	2000	वर्षा जलसंचय स्त्री शक्ति कैंप, संयुक्त राष्ट्र लोकसेवा पुरस्कार, 2005
2.	म्यूनिसिपल पर्यावरण शहरी प्रबंधन	रेफिला (अर्जेंटीना)	1996	135 संस्थाओं के सहयोग से पर्यावरणीय समस्याओं व शिक्षा का क्रियान्वयन
3.	नवीन शहरी साझेदारी योजना	अहमदाबाद (भारत)	1995	आधारभूत संरचना को मजबूत बनाया, प्रशासन, नगरपालिका वित्त, जल व गंदगी, शहरी वनीकरण पर फोकस, रिवर फ्रंट डेवलपमंट प्लांट पर बल
4.	प्रजा फाउंडेशन	मुंबई	1998	सिटिजन चार्टर, माइक्रोफाइनांस पर बल
5.	स्लम सुधार परियोजना	ढाका (बंग्लादेश)	1985	सफाई, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य, निकासी पर विशेष
6.	धारणीय शहरीकरण	नुकुरु (केन्या)	1995	उद्योग, क्षेत्रीय सेवा, पर्यटन, मानव संसाधन, टाउन प्लानिंग यूनिट
7.	सहभागी बजटिंग	पोर्टो एलग्रो (ब्राजिल)	1989	लालफीताशाही से मुक्ति, नागरिकतावाद में बढ़ोतरी
8.	विकेन्द्रीत शहरी आधारभूत संरचना	बाली (इंडोनेशिया)	1997	स्थानीय शहरी आधारभूत संरचना पर बल, बाली अरबन इंफ्रुवमेंट प्रोग्राम का क्रियान्वयन
9.	नेईवरहुड भागीदारी कार्यक्रम	सरको (पेरु)	1996	अपशिष्ट जल ट्रीटमेंट प्लांट, 90: महिला सहभागिता
10.	सहभागी शहरी एक्शन प्लॉन	सोमालू (नाइजीरिया)	1998	जल सप्लाई, कूड़ा प्रबंधन, सड़क व नाला पुनर्निमाण

लोगों के लिये स्वयं सीवर बिछाने का काम किया वह अनोखा था। दिल्ली की भागीदारी योजना संस्थागत परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में सामने दिखाई पड़ता है। इसी तरह अर्जेंटीना के रेफिला शहर में व्यापक सहभागिता व सभी नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच सहमति से पर्यावरण के प्रति सरोकार देखा जा सका। रेफिला में रहने वाले 80,000 से अधिक निवासियों के लिये पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या के रुप में थी। 135 से अधिक संस्थाओं के प्रयास से सबने पर्यावरणीय समस्या के प्रति ठोस कार्यवाई की। इससे जहाँ एक तरफ विकास के अवसरों को बल मिला वहीं साथ ही साथ हरित सार्वजनिक स्थानों की भी व्यवस्था हुई। बढ़ते शहरीकरण ने नदी को प्रदूषित किया है, अस्पतालों व नगरपालिका स्कूलों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ी है, ट्रैफिक के नियम कानून प्रभावित हुये हैं। इसी स्थिति से निजात पाने के लिये अहमदाबाद में शुरु किये की गई *नवीन शहरी साझेदारी* के प्रयास काफी चर्चित रहे। भागीदारी संबंधी प्रयास ने आम नागरिक को काफी सशक्त व विशिष्ट नागरिक में तब्दील कर दिया है। इसी संदर्भ में मुंबई स्थित *प्रजा फाउंडेशन* द्वारा लाया गया *सिटिजन चार्टर* का दस्तावेज़ काफी महत्वपूर्ण है। सिटिजन चार्टर एक सूचनाबद्ध उपकरण है जिसके माध्यम से लोक सेवाओं संबंधी प्रमाणिक सूचना प्राप्त की जा सकती है। ऐसे प्रयासों ने शहरी शासन के आयामों को और विस्तृत करने का कार्य किया है।

शहरीकरण व भागीदारी जैसे प्रयासों ने एक तरफ तो मॉल कल्चर को बढ़ाने का कार्य किया है वहीं दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी के इलाकों में भी सफाई व सुधार संबंधी प्राथमिकता भी इसके अंतर्गत निहित है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण ढाका स्थित मेट्रोपोलिटन सिटी संबंधी *स्लम सुधार परियोजना* है। गौरतलब है कि यहाँ की झुग्गी झोंपड़ी में करीब 12 प्रतिशत लोग रहते हैं। इसलिये यहाँ के लोगों के शुद्ध पेयजल, स्वच्छता व नाली इत्यादि की समस्या मौजूद थी। यह कार्यक्रम 1985 में शुरु की गई। इस स्लम सुधार परियोजना के अंतर्गत सहभागी उपागम, *शहरी समुदायों से सहभागिता में स्थानीय प्राधिकरण* लोक व निजी संस्थाओं आदि ने आधारभूत सामाजिक व आर्थिक सुविधाएँ प्रदान की। सभी स्लम कार्यक्रमों ने बड़े पैमाने पर माईक्रो-क्रेडिट कार्यक्रम को प्रोन्नत किया। केन्या के नकुरु स्थित *सुशासन संबंधी प्रयास* को भी काफी सफल प्रयोग क रुप में देखा गया है। इसने जहाँ एक तरफ जहाँ कृषकीय प्रसंस्करण उद्योग, क्षेत्रीय सेवाओं व पर्यटन की व्यवस्था की है। वहीं इसके अंतर्गत शहर में क्षमता निर्माण संबंधी प्रयास, क्रियाएँ, लक्षित मानव संसाधन विकास, संस्थागत मजबूती उपकरणों को बहाल करने पर जोर दिया गया। भागीदारी व बदलते शासन के संबंध में पोर्टो एलग्रो, ब्राजील में हो रहे *सहभागी बजटिंग* के प्रयास को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जाना चाहिये। यह प्रयोग 1989 में शुरु हुआ व नागरिक समाज की भागीदारी को संस्थागत रूप प्रदान करता है। सहभागी बजटिंग की इस प्रणाली के द्वारा जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचार व संसाधनों की पारदर्शी प्रबंधन नीति का अनुपालन करके भ्रष्टाचार व लोक संसाधनों का कुप्रबंधन को रोका जा सका वहीं दूसरी ओर इससे नागरिकतावाद की भावना को भी बल मिला। भागीदारी की अवधारणा के अंतर्गत केन्द्रीकरण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में बाली (इंडोनेशिया) में *शहरी आधारभूत संरचना* की दिशा में किया जा रहा प्रयास प्रशंसनीय है। *बाली अरबन इन्फ्रास्ट्रचर प्रोग्राम* द्वारा अपनाई गई विकेन्द्रीकरण की नीति ने सामुदायिक भागादारी को काफी प्रोत्साहित किया। इसी श्रृखंला में पेरु में हो रहे पास-पड़ोस सहभागिता कार्यक्रम व सोमालू (नाइजीरिया) में हो रहे सहभागी शहरी एक्शन प्लान को भी लिया जा सकता है।

समग्र रुप से देखा जा सकता है कि सुशासन व गर्वनेंस के नारों व जुमलों पर आधारित भागीदारी संकल्पना ने निश्चित तौर पर शहरी प्रशासन की बुनियादी आयामों में परिवर्तन करते हुये इसे शहरी गर्वनेंस में तब्दील किया है। निश्चित तौर पर भागीदारी के सामने समस्याएँ और चुनौतियाँ असीम है परंतु यह इतना अधिक समावेशी मॉडल है कि इसमें असंख्य संभावनाएँ भी छिपी हुई है। ❑

क्या आप जानते हैं

नवीन विकास बैंक

ब्रिक्स विकास बैंक या **नवीन विकास बैंक** एक बहुउद्देश्यीय विकास बैंक है जो दुनिया की शीर्ष पांच उदीयमान अर्थव्यस्थाओं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (जिन्हें ब्रिक्स देश के नाम से भी जाना जाता है) में काम करेगा। इस नये बैंक की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य विकासशील देशों की विकास परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराना है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनकी प्रधानता को दर्शाता है। इस बैंक की शुरूआती पूंजी 50 अरब डॉलर होगी जिसे पांचों देशों में बराबर बांटा जाएगा। इनमें 10 अरब डॉलर की नगद राशि सात वर्ष के लिए रखी जाएगी जबकि 40 अरब डॉलर गारंटी के रूप में रखे जाएंगे। इन देशों ने कंटिंनजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट (सीआरए) स्थापित करने की भी घोषणा की जिसे 2013 में ही 100 अरब डॉलर की निधि की स्वीकृति मिल चुकी थी। यह ब्रिक्स देशों को आर्थिक संकट के समय सुरक्षा कवच प्रदान करेगा और ऋण भुगतान के संदर्भ में अल्पकालिक साख संकट का सामना कर रहे इन देशों को आपातकालिक नगद धन भी उपलब्ध कराएगा।

बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में होगा और यह 2016 से काम करना शुरू कर देगा। समानता के आधार पर सभी सदस्य देश बारी बारी से इस बैंक की अध्यक्षता करेंगे। पहले छह वर्षो के लिए भारत इसका अध्यक्ष होगा। इसके बाद पांच वर्ष के लिए ब्राजील और फिर रूस अध्यक्ष होंगे। निदेशक मंडल का पहला अध्यक्ष ब्राजील से चुना जाएगा जबकि प्रशासक/संचालक मंडल का पहला अध्यक्ष रूस से चुना जाएगा। यह व्यवस्था विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश (आईएमएफ) जैसी संस्थाओं की व्यवस्था से अलग है जहां अक्सर कोई अमेरिकी नागरिक या कोई यूरोपीय सदस्य ही प्रमुख होता है। ब्रिक्स सीआरए ब्रिक्स देशों तथा अन्य गरीब देशों के समक्ष ऋण भुगतान में समस्याओं की स्थिति में उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने वाली आईएमएफ जैसी संस्थाओं का विकल्प बनकर उभरेगा। नवीन विकास बैंक पिछड़े देशों के लिए भी एक मंच का काम करेगा और अपनी सदस्यता उन देशों को भी उपलब्धता कराएगा जो ब्रिक्स समूह के अंदर नहीं हैं।

इस तरह यह वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में विश्व बैंक के एकाधिकार को बड़ी चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स नेता शेयर बाजार में अपारदर्शी वाल स्ट्रीट जर्नल के प्रभुत्व को कम करने के लिए ब्रिक्स विनिमय गठजोड़ और ऊर्जा क्षेत्र में अंतर्महाद्वीपीय एक्सचेंज (आईसीई) के प्रभुत्व को कम करने के लिए ऊर्जा गठजोड़ पर भी विचार कर रहे हैं। ये चारों संस्थाएं (नवीन विकास बैंक, सीआरए, ब्रिक्स विनिमय गठजोड़ और ब्रिक्स ऊर्जा गठजोड़) जब काम काज शुरू कर देंगी तो नयी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे।

संकलन: वाटिका चंद्रा, उपसंपादक (योजना, अंग्रेजी)
ईमेल: vchandra-iis2014@gmail.com

हम आपको प्रशासक बनाते हैं, इतिहासकार नहीं!
नामांकन आरम्भ
SIHANTA IAS
इतिहास का एकमात्र मानक संस्थान

इतिहास
रजनीश राज

निःशुल्क कार्यशाला
1 Sept., 5:30 P.M.
कक्षा कार्यक्रम प्रातः 8:30 बजे सुबह एवं सायं 6:30 बजे से

कोर्स अवधि चार महीने

KIRAN KAUSHAL RANK- 3

MITHILESH MISHRA RANK- 46

ABHISHEK SINGH RANK- 48

ATUL SHARMA RANK- 99

नवीन परिप्रेक्ष्य, नवीन कार्ययोजना

KANA RAM RANK-54 (UPSC)

REENA NIRANJAN RANK-211 (UPSC)
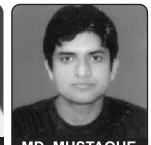
MD. MUSTAQUE RANK-4 (BPSC)

VINAY SINGH RANK-09 (UPPCS)

उपरोक्त सभी प्रतिभागी इतिहास में श्रेष्ठ अंक के कारण ही कामयाब हुए।

विशिष्ट बिन्दु

बेसिक से उच्च स्तर तक का अध्ययन
100 प्रतिशत कोर्स कवरेज एवं
100 प्रतिशत प्रश्न-पत्र की गारंटी
समझ विकसित करने पर विशेष बल
प्रश्न समझने एवं उत्तर लिखने का कौशल
विकसित करने पर सर्वाधिक बल

प्रत्येक अध्याय पर आकस्मिक टेस्ट एवं 16 नियमित टेस्ट मानचित्र की नियमित कक्षाएं प्रत्येक अध्याय से सम्बन्धित अभ्यास पुस्तिका एवं सार संक्षेप

संकल्पनात्मक विकास एवं लेखन शैली पर सर्वाधिक बल के कारण सिहान्ता के श्रेष्ठ अंकधारी

विष्णुकांत तिवारी-378 अंक
नरेश सैनी -376 अंक
रामाशीष -376 अंक
आलोक पाण्डेय-372 अंक
राजेन्द्र मीणा -371 अंक
मयंक प्रभा -371 अंक
द्रोपसिंह मीणा-371 अंक
विवेक अग्रवाल-368 अंक
क्रमशः

Plot No. 8-9, Flat No. 301-302, Ansal Building Comm.Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
web : www.sihantaias.com Ph. : 011-42875012, 08743045487

YH - 154/2014

सूचना तकनीक से लैस होंगे स्मार्ट शहर

कविता पंत

देश में पहली बार व्यापक पैमाने पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस शहरों का जाल बिछाने की योजना मूर्त रूप ले रही है। इस वर्ष के बजट में घोषित 100 स्मार्ट शहर जब अपने वास्तविक आकार में आंएगे तो इनके निवासी वास्तव में जीवन के आनन्द को महसूस कर पाएंगे। नागरिक सुविधाओं से लेकर रोजगार के अवसरों तक इन शहरों का चरित्र स्मार्ट बनाने के कोशिश पुरजोर की गयी है। इस कड़ी के आंरम्भिक शहरों के 2021 तक आकार लेने के उम्मीद है। शुरूआती स्मार्ट शहर दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारे के इर्द गिर्द होंगे

सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 के बजट में विश्व स्तर के 100 स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री का सपना है कि बड़े शहरों के सेटलाईट टाउन्स और मौजूदा मध्यम आकार के शहरों के आधुनिकीकरण के रूप में 100 स्मार्ट शहर विकसित किए जाएं। इन शहरों के विकास के लिए 70 अरब 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। देश में उभर रहा नया मध्यम वर्ग बेहतर जीवन स्तर की आकांक्षा रखता है। इन स्मार्ट शहरों में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा, और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। अभी तक आमतौर पर शिक्षा, रोजगार और मनोरंजन के सबसे ज्यादा अवसर शहरों और कस्बों में ही देखने को मिलते हैं जिनके कारण बड़ी संख्या में लोग गांवों से निकल कर शहरों में आ रहे हैं। शहरों की इस बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए यदि नए शहर विकसित नहीं किए गए तो मौजूदा शहर रहने योग्य नहीं रहेंगे।

देश में नये शहरों की तत्काल आवश्यकता है। एक अनुमान के मुताबिक अगले 20 वर्षों के दौरान हर मिनट पर 30 भारतीय गांवों को छोड़कर शहरी इलाके में आ जाएंगे। सन् 2050 तक 70 प्रतिशत लोग शहरों में रह रहे होंगे। इसे देखते हुए भारत को अगले दो दशकों में 500 नये शहरों की जरुरत पड़ेगी। जैसे जैसे शहरी जनसंख्या बढ़ेगी, शहरी बुनियादी ढांचे की मांग भी बढ़ेगी जिनमें परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा शामिल है।

उभरती हुई और स्थापित अर्थव्यवस्थाओं दोनों के लिए स्मार्ट शहर अनिवार्य हैं। शहरी आबादी जो 2001 में 27.8 प्रतिशत थी वह 2026 में बढ़कर 38.2 प्रतिशत हो जाएगी। इस बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए नए शहरों की आवश्यकता है। मैकेन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या 2030 तक बढ़कर 59 करोड़ हो जाएगी जो 2008 में 34 करोड़ थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि उचित नियोजन से भारतीय शहर सकल घरेलू उत्पाद का 70 प्रतिशत दे सकते हैं और 2030 तक देश की प्रति व्यक्ति आय चार गुना बढ़ सकती है। भारत का स्थान उन देशों में दूसरा है जहां सबसे अधिक शहरी इलाके हैं। कुल 5 लाख लोगों से अधिक की आबादी वाले स्थान को शहर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस परिभाषा के मुताबिक भारत में ऐसे 93 इलाके हैं और हमारी आबादी का करीब छठा हिस्सा इन इलाकों में रहता है। चीन एकमात्र ऐसा देश हैं जहां भारत की तुलना में इस तरह के क्षेत्र अधिक हैं।

स्मार्ट सिटी दो तरह से बसाए जाएंगे। पहला कुछ पुराने शहरों को ही स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा और दूसरा पूरी तरह से कुछ नए शहर बसाए जाएंगे। देश भर में स्मार्ट शहरों की योजना ऐसी पद्धति पर आधारित होगी जिनमें शहरों की आधुनिक अवधारणा पर गौर करते हुए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की सुविधा हो ताकि स्वच्छ शहरों का निर्माण हो सके। इन शहरों में ऐसे इंतजाम होंगे ताकि दुर्गंध, शोर, प्रदूषण और भीड़-भाड़ कम से कम हो, बिजली की बेहतर आपूर्ति हो और परिवहन व्यवस्था भी दुरुस्त रहे।

इन आधुनिक शहरों में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ऊर्जा संरक्षण के लिए विशेष तकनीक

लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं। 1986 से 2004 तक पीटीआई भाषा में मुख्य उप संपादक रहीं। इसके बाद इंडिया टीवी में समाचार संपादक और प्रोड्यूसर रहीं। संप्रति स्वतंत्र पत्रकारिता विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित। ईमेल: kavitapant24@yahoo.co.in

अपनाई जाएगी। इन शहरों के साथ मालवाहक गलियारों का भी निर्माण किया जाएगा। लोग बेहतर शिक्षा, हरित कार्यक्रम, सरकार तक आसानी से पहुंच, सस्ते मकान और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक विकल्प चाहते हैं। भारत के संदर्भ में स्मार्ट शहर ऐसा शहर होगा जहां लोगों को यातायात प्रबंध, बिजली, कचरा प्रबंध, टेक्नोलॉजी और उसके रखरखाव, इंटरनेट, गैस, पानी और बिजली की सुविधा मिले। सभी नागरिक एक दूसरे से जुड़े हों और शहर में नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हो।

प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए 2011 में इस दिशा में बड़ी पहल की थी। अहमदाबाद के नजदीक 903 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बन रहा औद्योगिक शहर धोलैरा देश की शुरुआती स्मार्ट सिटी में से एक होगा। यह दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। इसे गुजरात इंटरनेशनल फीनेन्शियल टैक-सिटी यानी 'गिफ्ट' नाम दिया गया है। इसे छह चरणों

अहमदाबाद के नजदीक 903 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बन रहा औद्योगिक शहर धोलैरा देश की शुरुआती स्मार्ट सिटी में से एक होगा। यह दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। इसे गुजरात इंटरनेशनल फीनेन्शियल टैक-सिटी यानी 'गिफ्ट' नाम दिया गया है। इसे छह चरणों में विकसित किया जाएगा।

में विकसित किया जाएगा। शहर के 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विकसित करने का काम 2021 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। यह देश का पहला इंटरनेशनल फीनेन्शियल टैक स्मार्ट सिटी होगा। इस परियोजना पर 70,000 करोड़ रुपये लागत आएगी। इस परियोजना के जरिये 5 लाख लोगों के लिए सीधी नौकरियां तथा 5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। इस स्मार्ट शहर में बनने वाले ट्विन टावर के नजदीक 12 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई जा रही है जिसमें शहर के लिए पानी की पाइपलाइन, बिजली लाइन, आप्टिकल फाइबर और सीवर का जाल बिछाया जाएगा। इसी सुरंग से गुजरने वाली एक पाइपलाइन घरों से निकलने वाले कचरे को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सोख लेगी और कचरा सीधे पाइपलाइन के जरिये कचरा प्रसंस्करण संयंत्र में पहुंच जाएगा। शहर में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम होगा। शहर में बिजली-पानी की तरह इंटरनेट सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। शहर के अंदर काम को व्यवस्थित करने के लिए सूचना और संचार केन्द्र बनाया जाएगा और बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसे दोबारा इस्तेमाल में लाने की व्यवस्था की जाएगी। बारिश के पानी के भंडारण की व्यवस्था करने से देश में पानी के संकट को काफी हद तक दूर किया जा सकता है और धरती का जलस्तर भी बढ़ सकता है। जिन स्थानों पर किसानों ने अपनी कोशिशों से बारिश के पानी का संचय किया है वहां फसलें अच्छी हुई है और जलस्तर बढ़ा है।

दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे की पहले चरण की परियोजना में शेन्द्रे बिडकिन औद्योगिक शहर, करनाड में लॉजिस्टिक पार्क, औरंगाबाद में प्रदर्शनी और सम्मेलन केन्द्र, शेन्द्रा में जलापूर्ति की योजना शामिल होगी। इन परियोजनाओं से करीब 3,30,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन होने का अनुमान है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने इस परियोजना के लिए 3200 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों को विकसित क्षेत्र में भी 15 प्रतिशत जमीन मुहैया कराई जाएगी। अनुमान है कि अगले दशक तक दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे से सटे औद्योगिक शहरों में रोजगार के अवसर दोगुने हो जाएंगे। साथ ही इस दौरान इन शहरों का औद्योगिक उत्पादन तीन गुना बढ़ जाएगा और निर्यात चार गुना हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है।

भारतीय शहरों को रोजाना बढ़ती भीड़, ट्रैफिक के मामले में अफरा-तफरी, पानी और बिजली की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट शहर इन समस्याओं के समाधान में सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकते हैं।

इन शहरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्राथमिक चिकित्सालय से लेकर एम्स की तर्ज पर ट्रोमा सेंटर और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बनाया जायेगा। इसके साथ आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिये एम्बुलेंस सेवा तत्काल उपलब्ध कराने के उपाय होंगे। जीवनदायिनी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिये अस्पतालों और अग्निशमन सेवा केन्द्रों में जनसंपर्क केन्द्रों को इंटरनेट के जरिये फोन नंबरों से जोड़ा जायेगा जिससे जरूरत पड़ने पर मदद देने में कोताही नहीं हो।

युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिये हर स्मार्ट सिटी का एक कॉमन डाटाबेस बनेगा जिससे कभी भी यह जानकारी हासिल की जा सकेगी कि उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उस वक्त नौकरी कहां उपलब्ध है। फरवरी 2015 में केंद्रीय बजट पेश होने से पहले कुछ स्मार्ट सिटी की डेटाबेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जायेगी। ये योजनाएं अगले 25 वर्ष की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी ताकि हर स्मार्ट सिटी में हर साल आने वाली आबादी के हिसाब से व्यवस्था बनी रहे।

स्मार्ट सिटी में विभिन्न सेवाओं को मोबाइल फोन से जोड़ा जायेगा क्योंकि इसका उपयोग अधिकतर लोग कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी की योजना बनाने के लिये नई दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज और अहमदाबाद के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा जा रहा है। इसके लिये राज्य सरकारों से बातचीत शुरू हो चुकी है।

इन शहरों में पीने के पानी और बाकी

दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे की पहले चरण की परियोजना में शेन्द्रे बिडकिन औद्योगिक शहर, करनाड में लॉजिस्टिक पार्क, औरंगाबाद में प्रदर्शनी और सम्मेलन केन्द्र, शेन्द्रा में जलापूर्ति की योजना शामिल होगी। इन परियोजनाओं से करीब 3,30,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन होने का अनुमान है।

जरूरतों के लिये पानी की आपूर्ति अलग अलग करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। एक बार पानी का इस्तेमाल होने के बाद फिर से उसके इस्तेमाल के तरीकों पर गौर किया जा रहा हैं। इस बारे में प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है जिसमें यह पाया गया कि पानी की आपूर्ति दुरुस्त करने के साथ उसके रिसाव और बर्बादी को रोकने की जरूरत है।

सरकार ने सिंगापुर के थ्यानजिन नॉलेज सिटी जैसे शहर बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। सिंगापुर के विदेश मंत्री के षणमुगम के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की बंदरगाहों, बंदरगाहों के प्रबंधन, कौशल विकास, स्मार्ट शहरों के विकास और पानी के इंतजाम में दिलचस्पी है। श्री षणमुगम ने भारत सरकार को विश्वास दिलाया है कि सिंगापुर अपनी तकनीक और अनुभवों को भारत के साथ बांटेगा। सिंगापुर ने दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे के बीच 7

ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग करने की इच्छा भी व्यक्त की है।

स्मार्ट सिटी विकसित करने के लिये सिंगापुर को मॉडल के रूप में चुना गया है। इसके अनुरूप शहर के बीच बाग बगीचे लगाने की नहीं बल्कि बाग बगीचों के बीच शहर बसाने की अवधारणा है। हर स्मार्ट सिटी में रसोई गैस की आपूर्ति पाइप लाइन से करने की योजना है। कई महानगरों और उसके आसपास के उपनगरों में पाईपलाइन के जरिये गैस उपलब्ध कराने का काम पहले से चल रहा है। ई गवर्ननेंस को बढ़ावा दिया जायेगा जिससे पानी बिजली रसोई गैस के बिल संपत्ति कर जमा कराने जन्म एवं मृत्य प्रमाण पत्र पाने के लिये

स्मार्ट सिटी में बिजली पानी की आपूर्ति का सौ दिन का डेटा रखा जायेगा फिर मांग के अनुसार सुगम आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी। पानी के साथ रसोई गैस की आपूर्ति प्रणाली की कम्प्यूटर से मानिटरिंग की जायेगी। अगर कहीं भी लीकेज हुआ तो उसके स्थान की सूचना तुरंत मिल जायेगी फिर उसे दुरुस्त करने की व्यवस्था की जायेगी।

लाइन में नहीं लगना पड़े। इंटरनेट और मोबाइल फोन पर सारी सरकारी देनदारी की जानकारी हासिल हो और सबका ऑनलाइन भुगतान किया जा सके। स्मार्ट सिटी में बिजली पानी की आपूर्ति का सौ दिन का डेटा रखा जायेगा फिर मांग के अनुसार सुगम आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी। पानी के साथ रसोई गैस की आपूर्ति प्रणाली की कम्प्यूटर से मानिटरिंग की जायेगी। अगर कहीं भी लीकेज हुआ तो उसके स्थान की सूचना तुरंत मिल जायेगी फिर उसे दुरुस्त करने की व्यवस्था की जायेगी। सिंगापुर की तर्ज पर कचरा पेटियों की जीपीएस के माध्यम से निगरानी रखी जायेगी। हानिकारक कचरे अर्थात प्लास्टिक इलेक्ट्रानिक बोतल आदि के लिये अलग से डंपिंग यार्ड तैयार किया जायेगा और बाकी कचरे के लिये प्रोसंसिंग सेंटर विकसित किये जायेंगे।

स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी स्कूलों को विकल्प दिया जाएगा कि वे प्रोजेक्टर में दी जा रही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जापान और चीन में इस तरह की पढ़ाई प्रचलन में आ रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना का आधार दुनिया के बड़े शहरों के मॉडल हैं। इन्हें भारतीय शहरों के हिसाब से ढाला जा रहा है। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की रफ्तार पर नजर रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं और पैदल चलने वालों की तस्वीरें खींची जाती हैं। स्मार्ट शहरों में यह भी व्यवस्था होगी कि लोगों को अपने घर के बाहर 500 मीटर के फासले पर सार्वजनिक वाहन मिल सके। इससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम होगी और जाम लगने से भी छुटकारा मिलेगा। जेएनएनयूआरएम स्कीम वाले 65 शहर बाकी 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर स्मार्ट सिटी बनेंगे।

आबू धाबी में मसदर सिटी इसका सटीक उदाहरण है जिसे व्यवसायिक दृष्टि से 2025 तक एक लाख लोगों के लिए लंबे समय तक टिकने लायक बना दिया जाएगा। इस सिटी में सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा जहां कार्बन की मात्रा नहीं होगी और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा।

दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे में 7 और स्मार्ट शहरों पर काम चल रहा है। इनमें धौलेरा, अहमदाबाद; शेन्द्रा-बिडकिन औद्योगिक पार्क, औरंगाबाद, महाराष्ट्र; मानेसर-बावल, हरियाणा; खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना, राजस्थान; पीतमपुर-धार-मऊ, मध्य प्रदेश; दादरी-नोएडा-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश; दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र; पौन्नेरी, तमिलनाडु; कृष्णापतनम, आंध्र प्रदेश और तुमकूर, कर्नाटक शामिल हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में पायलट परियोजना पर काम शुरु हो चुका है। यह परिकल्पना की गई है कि इन शहरों को 25-50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की टाउनशिप के विकास के साथ शुरू किया जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र में तीन बड़े शहर विकसित किए जाएंगे। 2019 तक धौलेरा, शेन्द्रा-बिडकिन में दो स्मार्ट शहर और हरियाणा में ग्लोबल सिटी बनाने की योजना है।

100 स्मार्ट शहरों के बन जाने से देश में मकानों की कमी काफी हद तक दूर होगी, सम्पत्ति की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगेगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और व्यवसाय के नये केन्द्र बनेंगे जिनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। शहरों में मकानों की कमी का आकलन करने के लिए आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा गठित एक तकनीकी समूह के अनुमान के अनुसार 10वीं पंचवर्षीय

शहरों में मकानों की कमी का आकलन करने के लिए आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा गठित एक तकनीकी समूह के अनुमान के अनुसार 10वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08) की समाप्ति पर देश में 2 करोड़ 47 लाख 10 हजार मकानों की कमी थी।

योजना (2007-08) की समाप्ति पर देश में 2 करोड़ 47 लाख 10 हजार मकानों की कमी थी। 11वीं योजना में 18 लाख 20 हजार अतिरिक्त घरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया। अभी देश में 2 करोड़ 65 लाख 30 हजार घरों की कमी है।

विश्व स्तर के नये स्मार्ट शहर बनाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की योजना डिजिटल भारत की ओर बढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मोदी सरकार ने शहरीकाण को चुनौती मानने के बजाय अवसर के रूप में लेने का आह्वान किया है। सरकार ने बड़ा रोड मैप तैयार किया है और उसे भरोसा है कि जब देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तो प्रत्येक परिवार के पास अपना पक्का घर होगा और पानी बिजली परिवहन की सेवा बेरोकटोक उपलब्ध होगी। ❑

(पृष्ठ 14 का शेषांश)

योजनाओं पर अमल करने की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे कार्यक्रमों का लाभ उठाकर हमारे नीति-निर्माता और नगर सेवक क्यूरीटीबा का अनुसरण करके एकीकृत शहर का विकास करेंगे या गरीबों और अमीरों के बीच ऊंची दीवारें खड़ी करके फ्रांस के शहरों के रास्ते पर बढ़ेंगे जिसे पहले दुनिया अलग-अलग जुमलों से संबोधित करती थी-प्यार का शहर, सुगन्धों का शहर, तहजीब का शहर, जीवन-शैली का शहर, रोशनी का शहर। लेकिन टुकड़ों - टुकड़ों में किए गए विकास और वंचितों की बंदिशों की जिन्दगी ने वर्ष 2005 के दौरान फ्रांस में ऐसा उफान पैदा कर दिया गया कि फ्रांस सरकार की चूलें हिल गई और आनन-फानन में लगाई गई 'आपातकाल' से भी 'आक्रोश' दबाए नहीं दबा।

भारत के लिए मौका है 'सकल राष्ट्रीय खुशहाली' के मानदंड को पाने का, जिसके आधार पर हम एक समतामूलक और लोकतांत्रिक शहर के सपने की तरफ बढ़ सकें। ❑

विकास पथ

सहभागी शासन के लिए ई-पोर्टल

सहभागी शासन के लिए हाल ही में एक पहल ई-पोर्टल के रूप में की गयी है। 'माईगॉव' नामक इस पोर्टल का नागरिकों को आवश्यक मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ उन्हें इस दिशा में काम करने का मौका देना है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा संचालित इस मंच पर स्वच्छ गंगा, स्वच्छ भारत, कुशल भारत, डिजिटल भारत, बालिका शिक्षा इत्यादि विषय आधारित समूह बनाये गये हैं। हरेक समूह के स्वयंसेवी ऑनलाईन और जमीनी कार्यों की जिम्मेदारी लेंगे। सभी नागरिकों के लिए खुले इस मंच पर विभिन्न विषयों पर सामूहिक चर्चाएं होंगी और एक समूह/व्यक्ति द्वारा सुझाए गये विचारों पर दूसरे समूह में भी चर्चा कर विकास प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

गोवंश का संरक्षण

देशी गायों की नस्लों के संरक्षण और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए ''राष्ट्रीय गोकुल मिशन'' नामक योजना 500 करोड रुपये की लागत से शुरू की गयी है। कर्नाटक की कृष्णा घाटी, केरल की वेचुर और आंध्र प्रदेश की पंगानुर आदि नस्लों को इसके लिए चिह्नित किया गया है। मिशन के तहत इन नस्लों की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अनुसंधान, देशी मवेशी केंद्रों (गोकुल ग्राम) तथा गोपालन संघों की स्थापना आदि कार्य किये जाएंगे। गोकुल ग्राम योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ केन्द्र का प्रबंधन करने वाले किसान को ''गोपाल रत्न'' पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।

यूआईपी के तहत तीन नये टीके

सरकार ने सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत बच्चों के लिए तीन नये टीके उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ये इंजेक्टेबल पोलियो, रूबेला और रोटावायरस टीके हैं। इस योजना का उद्देश्य 2015 तक शिशु मृत्यु को दो तिहाई कम करने के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य को पूरा करना है। अब यूआईपी के तहत हर वर्ष दो करोड़ 70 लाख बच्चों के लिए 13 जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके उपलब्ध रहेंगे।

भविष्य निधि पहचान संख्या के लिए ऑनलाईन सुविधा

नियोक्ताओं को भविष्य निधि पहचान संख्या जारी करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल की सुविधा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल में ही शुरू की है। फिलहाल यह संख्या ऑफलाईन तरीके से हासिल करने में कम से कम 20 दिन लग जाते हैं। ऑनलाईन प्रक्रिया होने के बाद इस समय में काफी बचत होगी। इसके लिए कंपनियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।

राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृति

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 40,000 करोड़ रूपये की लागत से राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिन्हें दो वर्ष में पूरा किया जाना है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में हैं। इसमें से 20,000 करोड़ अकेले जम्मू-कश्मीर को दिये गये हैं जहां राजमार्गों को टूलेन और फोरलेन में बदला जाना है।

9 विद्युत वितरण परियोजनाओं को स्वीकृति

उच्च क्षमता की अंतर्राज्यीय विद्युत आपूर्ति लाइनों के लिए 12,500 रूपये की कुल लागत से नौ नयी विद्युत वितरण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गयी है जिनसे हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि राज्यों को फायदा मिलेगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से आगामी तीन वर्षों में अंतक्षेत्रीय विद्युत वितरण लाईनों की क्षमता में लगभग 28,000 मेगावाट की वृद्धि होगी ताकि यह क्षमता 2017 तक 66,000 मेगावाट से अधिक हो जाए।

सभी राज्यों में फाईल निगरानी प्रणाली

ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी राज्यों में फाईल निगरानी प्रणाली (एफटीएस) स्थापित करेगा। इसके तहत सभी ग्रामीण विकास सचिवालयों को एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जिसके जरिए वे एफटीएस में प्रवेश कर किसी भी फाईल की जानकारी ले सकेंगे। हालांकि इसमें संबंधित राज्य अपनी ओर से किये गये अनुरोधों के बारी में ही देख सकेंगे न कि किसी अन्य राज्य के अनुरोधों के बारे में। इससे मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित फाइलों की त्वरित स्वीकृति में मदद मिलेगी।

ENGLISH

by

Muntosh Mishra "भारत"

Complete Grammar + Writing Skills

* 7 DAYS' CLASSES FREE
* Vocabulary के लिए आधे घंटे हर दिन
* Practice sets + Previous years' के Questions का solution
* मात्र 3-4 महीने में English की किसी भी Competition के लिए पूर्ण तैयारी
* Printed, updated study materials
* UPSC, PO और SSC के लिए Separate Batches
* English में लिखना सिखाने पर विशेष ध्यान

अगर आपको लगता है कि आपकी English बहुत कमजोर है तो Free trial classes जरूर लें।

Satisfaction नहीं होने पर Fees 45 दिनों में कभी भी वापस

THE WELL™

SANCTUM OF SUCCESS

308, Top Floor, Jyoti Bhawan
In Front of Post Office
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

09811141396, 09899324319

YH - 156/2014

लाल किले की प्राचीर से

श्रेष्ठ भारत के लिए प्रधानमंत्री का रोडमैप

गरीबों के लिए बीमा सुरक्षा

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने देश की निर्धनतम आबादी को बैंक खातों से लैस करने की एक योजना जल्द शुरू करने की घोशणा की है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना नामक इस योजना के तहत हरेक परिवार से एक खाताधारक को एक डेबिट कार्ड के साथ एक लाख रुपये का सुनिश्चित बीमा प्रदान किया जाएगा। इससे संकट की घड़ी में गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री ने सांसद आदर्श ग्राम योजना आरंभ करने की भी घोषणा की। इसके तहत सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से किसी एक गांव का चुनाव करेंगे जिसकी आबादी तीन से पांच हजार के बीच हो। इस चयन का मानक बस्ती के परिप्रेक्ष्य में समय, स्थान व अन्य परिस्थितियां होंगी। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, वातावरण, हरियाली, परस्पर सहयोग आदि तथ्यों का भी ध्यान रखा जाएगा। इन मानकों के आधार पर हरेक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव को 2016 तक आदर्श ग्राम बनाना होगा।

दो-दो और गांवों का चयन 2016 तथा 2019 के बाद किया जाएगा। प्रत्येक सांसद को अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में अपने निर्वाचन क्षेत्र से पांच आदर्श ग्राम तैयार करने होंगे। शहरी क्षेत्रों के सांसद तथा राज्यसभा सांसद भी एक-एक गांव इस योजना के तहत गोद ले सकते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का पूरा खाका 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर सभी सांसदों तथा राज्य सरकारों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ब्रांड इंडिया

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भारत को विनिर्माण हब बनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करके ही हम युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ साथ आयात व निर्यात के बीच संतुलन बना सकेंगे। उन्होंने अपील की कि पूरी दुनिया में ब्रांड इंडिया को स्वीकृति मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने ''आओ, भारत में बनाओ'', ''आओ भारत में तैयार करो'' का नारा दिया।

उन्होंने युवाओं से कम से कम एक ऐसे उत्पाद का उत्पादन, खासकर, सूक्ष्म व लघु उद्योग क्षेत्रों में, करने की अपील की जिसे देश को भविष्य में आयात करना नहीं पड़े। उन्होंने कहा ''हमें तो उस दिशा में बढ़ना चाहिए जहां से हम इन उत्पादों के निर्यात के बारे में सोच सकें। यदि हमारे प्रति 10 लाख आबादी में से एक युवा भी ऐसे उत्पादों का उत्पादन शुरू कर दे तो भारत वस्तुओं का शुद्ध निर्यातक हो जाएगा।''

प्रधानमंत्री ने भारतीय विनिर्माण उद्यमियों से अपील की कि वे जीरो डिफेक्ट (कमी शून्यता) व जीरो इफेक्ट (नकारात्मक प्रभाव शून्यता) का मंत्र अपनाएं। यानि वस्तुओं का उत्पादन इस तरह से होना चाहिए कि उनमें कोई ऐब न रहे और न ही पर्यावरण पर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव हो।

स्वच्छ भारत

स्वच्छता की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने इस वर्ष गांधी जयंती के अवसर पर दो अक्टूबर को ''स्वच्छ भारत'' योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसे गांधीजी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2019 तक पूरा किया जाना है। इसी से संबंधित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ''स्वच्छ भारत'' अभियान तत्काल प्रभाव से शुरू होता है। इसकी शुरूआत के तौर पर हम सभी विद्यालयों शौचालय बनाने का संकल्प ले सकते हैं जिसमें बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की योजना भी शामिल हो और इसे पहले वर्ष में ही पूरा कर लिया जाए।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधि इस्तेमाल इस कार्य के लिए करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कारपोरेट जगत से कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत स्कूलों में अलग शौचालय के प्रावधान को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अगले स्वतंत्रता दिवस पर हमें ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां से विश्वासपूर्वक कहा जा सके कि भारत में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं जहां बालिकाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है।

पूंजी हैं बेटियां

असंतुलित लिंगानुपात के मर्मस्पर्शी विषय पर गंभीरता से विचार करने की अपील प्रधानमंत्री ने पूरे देश से की है। फिलहाल देश में प्रति हजार बालकों पर 940 बालिकाएं पैदा हो रही हैं। उन्होंने चिकित्सकों से अपील की कि वे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा नहीं दें, वहीं परिवारों से कहा कि वे एक पुत्र की आशा में कन्याओं का बलिदान करने से बचें। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले 64 खिलाड़ियों में 29 महिलाएं हैं। उन्होंने राष्ट्र से अपील कि बेटियों पर गर्व करें और उन्हें कंधे से कंधा मिलाने का मौका दें।

प्रकाशक एवं मुद्रक ईरा जोशी, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए इंटरनेशनल-प्रिंट-ओ-पैक लिमिटेड, बी-206, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-1, नयी दिल्ली-110020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: जयसिंह

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2012-14
Reg.No. D.L.-05/3231/2012-14 at RMS, Delhi
23 अगस्त 2014 को प्रकाशित • 29-30 अगस्त 2014 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2012-14
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

क्या आप

बैंक

पिछले वर्षों के हल प्रश्न-पत्रों सहित

प्रोबेशनरी ऑफीसर्स
मैनेजमेंट ट्रेनीज
सम्मिलित लिखित परीक्षा
में सम्मिलित हो रहे हैं, तो पढ़िए...

उपकार की पुस्तकें

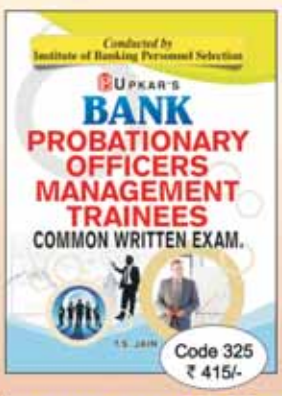

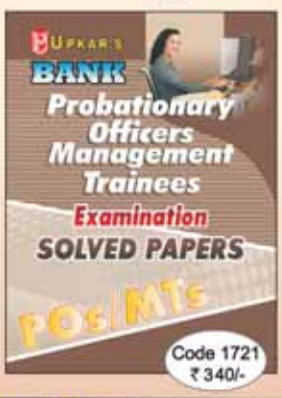

योग्य एवं अनुभवी लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें जो आपको महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी विषय-वस्तु उपलब्ध कराने के साथ-साथ परीक्षा में आपका उचित मार्गदर्शन भी करेंगी.

अन्य उपयोगी पुस्तकें

उपकार प्रकाशन
(An ISO 9001:2000 Company)
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 66753330 • पटना 2673340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080

YH - 149/2014